रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73 REGISTERED NO. D—(DN)—73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, शनिवार मार्च 24, 1983 (चैत्र 4, 1906)
No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 24, 1983 (CHAITRA 4, 1906)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड-1—भारत सरकार के मन्त्रालयो (रक्षा मन्त्रालय को छोडकर) द्वारा जारी किए गए सकल्पो और असाविधिक आदेशो के सम्बन्ध मे अधिसूचनाए	315
भाग I—खण्ड-2—भारत सरकार के मन्त्रालयो (रक्षा मंत्रालय को छोडकर) द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियो, पदोन्नतियो आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाए . . .	375
भाग I—खड 3—रमन्त्रालय द्वारा जारी किए गये सकल्पो और असाविधिक आदेशो के सम्बन्ध मे अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियो, पदोन्नतियां आदि के सम्बन्ध मे अधिसूचनाए	433
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	
भाग II—खण्ड-1-क—अधिनियमो, अध्यादेशो और विनियमो का हिन्दी भाषा मे प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयको पर प्रवर समितियो के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खड -3-उप-खड (i)—भारत सरकार के मन्त्रालयो (रक्षा मन्त्रालय को छोडकर) और केन्द्रीय प्राधिकरणो (सघ शासित क्षेत्रो के प्रशासनो को छोडकर) द्वाराजारी किए गए सामान्य साविधिक नियम (जिनमे सामान्य स्वरूप के आदेश और उपलब्धिया आदि भी शामिल है)	*
भाग II—खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मन्त्रालयो (रक्षा मन्त्रालय को छोडकर) और केन्द्रीय प्राधिकरणो (सघ शासित क्षेत्रो के प्रशासनो को छोडकर) द्वारा जारी किए गए साविधिक आदेश और अधिसूचनाए	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खड (iii)—भारत सरकार के मन्त्रालयो (जिनमे रक्षा मन्त्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणो (सघ शासित क्षेत्रो के प्रशासनो को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य साविधिक नियमों और साविधिक आदेशो (जिनमे सामान्य स्वरूप की उपविधिया भी शामिल हैं) के हिन्दी मे प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठो को छोडकर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 मे प्रकाशित होते है)	*
भाग II—खड 4—रक्षा मन्त्रालय द्वारा किए गए साविधिक नियम और आदेश .	*
भाग III—खड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक सघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयो और भारत सरकार के सबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयो द्वारा जारी की गई अधिसूचनाए	6361
भाग III—खड 2—पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाए और नोटिस	157
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तो के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाए	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाए जिनमे साविधिक निकायो द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें आदेश विज्ञापन, और नोटिस शामिल है	1375
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायो द्वारा विज्ञापन और नोटिस	53
भाग V—अग्रेजी और हिन्दी दोनो मे जन्म और मृत्यु के आकडे को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ सख्या प्राप्त नही हुई।

CONTENTS

	PAGES
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Governmen India (other than the Ministry of Defence) ..	315
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	375
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resotutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	433
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India.	6361
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta	157
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ..	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ..	1375
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	53
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc, both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 1984

सं 24-प्रेज/84—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उत्कृष्ट वीरता के कार्यों के लिए "कीर्ति चक्र" प्रदान किए जाने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. 131152 नायक राम बहादुर छेत्री, (मरणोपरान्त)
असम राइफल
(प्रभावी तारीख 18 दिसम्बर, 1980)

18 दिसम्बर, 1980 को अपराह्न 3.45 बजे, असम राइफल के नायक राम बहादुर छेत्री अपने कमांडर के साथ एम ओ एन आर सी 4303 से सीमा चौकी सिंगाचिन्गन् आर सी 5294 तक आवश्यक रसद ले जा रहे थे। रास्ते में एक जगह चूनकर बनाए गए एक मजबूत मोर्चे से लगभग 30 भूमिगत विरोधियों ने उन पर हमला बोल दिया। उनकी गाडी पर राकेटों की भारी बौछार हुई और स्वचालित गन से गोलियां दागी गईं। गाड़ी का आगे का पहिया, जिस पर राकेट पडा था, तुरंत ठप्प हो गया और एक राकेट ने ड्राइवर के दो टुकड़े कर दिए। ड्राइवर के पास की आगे की बाईं सीट पर बैठे नायक राम बहादुर छेत्री भी राकेट की किरचों से घायल हुए। चोट लगने के बावजूद उन्होंने गाड़ी से छलांग लगा दी और तुरंत अपनी मशीन-कारबाइन से दो-तीन बौछारें फायर की। साथ ही, वे ऐसे ठिकाने पर पहुंचने की कोशिश करते रहे जहां से ज्यादा असरदार फायर कर सकें। परन्तु उनकी फायर शक्ति उनसे संख्या में कहीं अधिक भूमिगत विरोधियों के सभी दिशाओं से होने वाली भयंकर फायर का मुकाबला न कर सकी। मौत के इतना करीब होते हुए भी नायक राम बहादुर छेत्री आखिर तक जवाबी फायर करते रहे।

इस प्रकार नायक राम बहादुर छेत्री ने मौत के मुंह में होते हुए भी अपने निर्भीक वीर और अत्यधिक सेवा निष्ठ होने का परिचय दिया ।

2. श्री मोहम्मद याकूब अली, (मरणोपरान्त)
सेकेन्ड्री ग्रेड अध्यापक,
जूनियर बेसिक सहायता प्राप्त एलीमेन्ट्री स्कूल,
राझामुन्दरी
(प्रभावी तारीख 13 दिसम्बर, 1981)

जूनियर बेसिक सहायता प्राप्त एलीमेन्ट्री स्कूल, राझामुन्दरी, के सेकेन्ड्री ग्रेड अध्यापक श्री मोहम्मद याकूब अली 12/13 दिसम्बर, 1981, की रात को विजयवाड़ा-काकीनाडा पेसेन्जर ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। जब ट्रेन नवाबपेटे और मारमपल्ली स्टेशनों के बीच चल रही थी तो एक डिब्बे में चाकुओं से लैस चार व्यक्तियों ने दो महिलाओं सहित कुछ यात्रियों पर हमला किया और उनके सोने के जेवरात तथा कलाई की घड़ियां आदि छीन लीं। जिस समय यह लूट-पाट हो रही थी उस समय श्री मोहम्मद याकूब अली टायलेट से बाहर निकले और स्थिति को भांपते हुए उन व्यक्तियों में से एक को पकड़ने की कोशिश की। एक लुटेरे ने उन पर चाकू से प्रहार किया। इस बीच ट्रेन मारमपल्ली स्टेशन के आउटर सिगनल पर पहुंच गई तथा लुटेरों ने लूट के माल के साथ चलती ट्रेन से कूदना शुरू कर दिया। पहले से घायल याकूब अली ने दूसरी बार साहस करके उनमें से एक को पकड़ने की कोशिश की और इस कार्रवाई में उनकी छाती पर चाकू से दूसरा प्रहार हुआ जो कि उनके लिए घातक सिद्ध हुआ और कुछ मिनटों के अन्दर ही उनकी मृत्यु हो गई।

इस प्रकार श्री मोहम्मद याकूब अली ने अनुकरणीय साहस, उच्चस्तरीय नागरिक उत्तरदायित्व और अपने जीवन की परवाह न करते हुए उच्चकोटि की बलिदान भावना का परिचय दिया ।

3. कैप्टन कर्णी सिंह राठौर, (आई. सी. 37049),
राजपुताना राइफल्स
(प्रभावी तारीख 13 अप्रैल, 1982)

कैप्टन कर्णी सिंह राठौर जब मार्च 1981 में इम्फाल गये तब इम्फाल शहर के भीतर और बाहर राष्ट्रविरोधी गतिविधियां अपनी चरम सीमा पर थीं। शुरू-शुरू में इम्फाल शहर के बिल्कुल बीच अपनी कम्पनी के साथ सिगजेमल चौकी पर वे तैनात थे। कैप्टन कर्णी सिंह राठौर ने तुरन्त अपने आपको शहरी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की मौजूदा हालत के मुताबिक ढाल लिया और ऐसे कई सफल मिशनों का नेतृत्व किया जिसमें उन्होंने अद्भुत वीरता प्रदर्शित की ।

13 अप्रैल, 1982 को कैप्टन कर्णी सिंह राठौर ने कदम फोकपी खुनाओ (इम्फाल) में एक झोंपडी का घेराव करने के लिये एक कमांडो टास्क फोर्स का नेतृत्व किया, जहां उग्रवादियों का एक बडा दल सुविधाजनक फायरिंग पोजीशनों में जमा हुआ था। उन्होंने निकट से आती भारी गोलाबारी का सामना करते हुए अपनी टीम का नेतृत्व किया और झोंपड़ी को चारों ओर से घेर लेने में कामयाब हो गये। भारी गोलाबारी के बीच वे अन्दर गये और अपनी टीम को वहां तैनात कर वहां से निकल भागने के सभी रास्तों को बन्द कर दिया। इस बीच कुछ राष्ट्रविरोधियों ने, जिनमें मणिपुर की पीपुल्ज लिबरेशन आर्मी के कट्टरपंथी भी शामिल थे, बार-बार चेतावनी दिये जाने के बावजूद आत्मसमर्पण करने से इंकार कर दिया और जबरदस्त रुकावट डाली। इन राष्ट्रविरोधियों को बाहर निकालने के लिए अंत में उस झोंपड़ी में आग लगा दी गई। झोंपडी में जैसे ही आग लगी, कैप्टन कर्णी सिंह एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए अपने दल के लोगों को लड़ने के लिये बढ़ावा देने लगे और भागते हुए राष्ट्रविरोधियों पर खुद भी फायर करने लगे। खिड़की से एक राष्ट्रविरोधी को भागते हुए देखकर, कैप्टन कर्णी सिंह अपनी जान की परवाह न करते हुए लेटी हुई स्थिति से उठ कर खड़े हो गए, एक सिपाही से राइफल ली और उस राष्ट्रविरोधी को

गोली मार दी जो आगे चल कर पीपुल्ज लिबरेशन आर्मी का चेयरमैन थोगम कुंज बिहारी उर्फ रघु के रूप में पहचाना गया। कैप्टन कर्णी सिंह राठौर भागते हुए दूसरे राष्ट्रविरोधियों पर भी फायर करते रहे। ये राष्ट्रविरोधी भी जवाबी फायर कर रहे थे। यह देखकर कि कुछ मृत और घायल राष्ट्रविरोधी जलती हुई झोंपडी में फंसे पडे थे कैप्टन कर्णी सिंह अपनी जान जोखिम में डाल कर दहती हुई झोपडी में से मरे और घायल राष्ट्र-विरोधियों को बाहर निकाल लाए। इस कार्रवाई के दौरान पीपुल्ज लिबरेशन आर्मी के चेयरमैन सहित नौ कट्टरपथी मार डाले गए या पकड़ लिए गए।

इस प्रकार कैप्टन कर्णी सिंह राठौर ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

4. श्री सुरेश कुमार,
सुपुत्र श्री उमराव सिंह,
बी-35, एम. सी. डी. कालोनी,
आजादपुर,
दिल्ली
(प्रभावी तारीख 28 मई, 1982)

28 मई, 1982 को 173/55, रामेश्वर नगर, दिल्ली, के निवासी श्री राजकुमार की पत्नी संतोष जब नानीवाला बाग, आजादपुर दिल्ली से सब्जी खरीदने के बाद अपने घर वापस जा रही थी तो एक अज्ञात व्यक्ति ने अन्धेरे का फायदा उठाकर उनपर हमला कर दिया। उनकी चीखें सुनकर श्री सुरेश कुमार उनकी सहायता के लिए दौडे तथा हमलावर के साथ गुत्थम-गुत्था हुई और उसने उनकी छाती में चाकू घोंप दिया। इसके परिणाम-स्वरूप श्री सुरेश कुमार नीचे गिर पडे और अपराधी भागने में सफल हो गया। श्री सुरेश कुमार को अस्पताल ले जाया गया जहां घावों के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

इस प्रकार श्री सुरेश कुमार ने उत्कृष्ट वीरता, उच्चस्तरीय नागरिक उत्तरदायित्व और तत्परता का परिचय दिया और इस कार्रवाई में अपने प्राणों की आहुति दे दी।

5 श्री अरविंदर पाल सिंह,
ए-227, डी. डी. ए. कालोनी,
न्यू रणजीत नगर,
नई दिल्ली
(प्रभावी तारीख 17 अक्तूबर, 1982)

16/17 अक्तूबर, 1982, की रात को करीब 2 बजे कुछ लुटेरे न्यू रणजीत नगर, नई दिल्ली में डी डी ए कालोनी के एक मकान नं ए 306 में घुसे। उन्होंने मकान मालिक श्री बलदेव राज को दबोच लिया और उनकी एक सोने की जंजीर छीन ली। श्री बलदेव राज के शोर मचाने पर उनकी पत्नी उठ गई पर लुटेरों ने उन पर भी काबू पा लिया।

शोर सुनने पर पडोसी उनकी सहायता के लिए दौडे। लुटेरों ने जैसे ही लोगों को मकान की तरफ आते देखा वे भाग खडे हुए। एक पडोसी श्री अरविंदर पाल सिंह ने भागते हुए लुटेरों को ललकारा और उनमें से एक को पकड लिया। श्री सिंह के चगुल से अपने को छुडाने की कोशिश में उस लुटेरे ने गोली चला दी जो उनके माथे, बाईं आंख और सिर पर लगी। श्री सिंह को तुरंत विलिंगडन अस्पताल ले जाया गया लेकिन डाक्टर उनकी आंख नहीं बचा सके।

इस प्रकार श्री अरविंदर पाल सिंह ने उच्चकोटि के नागरिक दायित्व, साहस और उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया।

6. श्री अशोक कुमार शर्मा, (मरणोपरान्त)
सुपुत्र श्री गिरराज किशोर शर्मा,
कचहरी घाट (आगरा),
जिला आगरा
(प्रभावी तारीख 17 अक्तूबर, 1982)

17 अक्तूबर, 1982 की रात लगभग 11 बजे डाकुओं के एक गिरोह ने आगरा में लक्ष्मीनारायण ओमप्रकाश नामक एक फर्म को लूटा। फर्म के चार व्यक्तियों पर चाकुओं से वार करने के बाद डाकुओं ने उन्हें एक कोठरी में बंद कर दिया। इतने में फर्म के मालिक श्री गंगा शरण घटना-स्थल पर पहुंच गए। उन पर भी हमला करके डाकुओं ने काबू पा लिया और तिजोरी खुलवाने के लिए उन्हें बुरी तरह पीटा।

पिछवाडे की सडक से एक मोटर साइकिल गुजरी। उसे पुलिस समझकर डाकू फर्म के गोदाम से भागने लगे। मौके का फायदा उठाते हुए श्री गंगा शरण अपने मुनीम के साथ छत की ओर भागे। परन्तु डाकुओं ने उनका पीछा किया और वे पिछवाडे की ओर स्थित श्री अशोक कुमार के मकान पर जा गिरे। इससे श्री अशोक कुमार के मकान में चीख-पुकार शुरू हो गई। श्री अशोक कुमार शर्मा उस समय हलवाई की दुकान में दूध ले रहे थे। शोरगुल सुनते ही उन्होंने भाग रहे डाकुओं का पीछा किया और एक को पकड़ कर जमीन पर पटक दिया। फिर दूसरे डाकू को भी ललकारा। श्री शर्मा उसे पकडने के लिए दौड ही रहे थे कि इतने में एक अन्य डाकू ने उनकी छाती में गोली मार दी जिससे उनकी मृत्यु हो गई।

इस प्रकार केवल 17 साल की उम्र के श्री अशोक कुमार शर्मा ने निहत्थे ही डाकुओं का मुकाबला किया और अपने प्राणों की आहुति देकर बहुत असाधारण बहादुरी का परिचय दिया।

7 4174027 सिपाही उमेश चन्द्र, (मरणोपरान्त)
कुमाऊं
(प्रभावी तारीख 11 दिसम्बर, 1982)

11 दिसम्बर, 1982 को कुमाऊं बटालियन का एक दल, जिसमें एक जे सी ओ और आठ जवान शामिल थे, अपनी यूनिट की एक सीमा चौकी की ओर बढ़ रहा था, जहां उसे ऊंचे पहाडों में खराब मौसम की वजह से फंसे पडे उस सीमा चौकी के पांच कार्मिकों को निकाल लाना था।

सिपाही उमेश चन्द्र इस दल के अगुआ थे और यह दल के आगे बढने के लिये कमर तक जमी बर्फ के बीच से बडी कठिनाई से रास्ता बनाते जा रहे थे। इस दल का हर एक आदमी कमर में बंधी एक रस्सी के जरिए सिपाही उमेश चन्द्र से लेकर आखिरी आदमी तक जुडा हुआ था। जिस इलाके में उन्हें गुजरना था उधर बर्फीली चट्टानों के खिसकने की बहुत आशंका थी।

अचानक एक बडे धमाके की आवाज आई और देखा गया कि एक बहुत बडी चट्टान इस दल की ओर खिसकती आ रही थी। सिपाही उमेश चन्द्र ने अपनी जान की भी परवाह न करते हुए हाथ में लिये डंडे को बर्फ में गाड दिया और उसके सहारे खडा हो गया और दूसरों को मजबूती से रस्सी पकडे रहने के लिये जोर से आवाज दी। यह चट्टान सिपाही उमेश चन्द्र से आ कर टकराई लेकिन वे अपनी जगह पर मजबूती से जमे रहे।

बाद में इस दल के लोगों ने धीरे-धीरे पीछे से अपने को मुक्त कर लिया। जब यह दल सिपाही उमेश चन्द्र जिन्होंने इस चट्टान की पूरी मार सही थी, के पास पहुंचा तो उसे बर्फ में काफी गहराई तक धंसा और अचेत पाया, लेकिन बर्फ में गड़े हुए

डण्डे पर उसकी पकड़ अब भी कायम थी। हर तरह की कोशिश के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और थोड़ी ही देर बाद उन्होंने वीरगति पाई।

इस प्रकार सिपाही उमेश चन्द्र ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए उत्कृष्ट साहस का परिचय दिया।

8 4059855 राइफलमैन श्रीपाल चन्द,
गढ़वाल राइफल्ज
(प्रभावी तारीख 28 दिसम्बर, 1982)

5 गढ़वाल राइफल के राइफलमैन श्रीपाल चन्द एक गश्ती टुकड़ी में थे जो 27 दिसम्बर, 1982 की रात को परवा के विरोधी मिजो नेशनल फ्रंट की एक टुकड़ी से मुठभेड़ करने भेजी गई थी। सूचना थी कि पास के ही क्षेत्र में विरोधी मौजूद थे।

राइफल मैन श्रीपाल चन्द उस गश्ती टोली के संचालन स्काउट थे जो 20 दिसम्बर 1982 को घने जंगली क्षेत्र में एक नाले की तलाश कर रही थी। सवेरे 9 25 के करीब अचानक जंगल से उन पर फायर किया गया। एक गोली से उनकी बाईं बाह की हड्डी टूट गई और रीढ़ की हड्डी में भी चोट आई। हालांकि उनकी बाह से खून बह रहा था, फिर भी उन्होंने अपनी चेतना शक्ति नहीं खोई और अपने आपको संभालते हुए पेड़ों के बीच छिपी उन तीन भूमिगत झोपड़ियों को देख लिया जहां से गोलियां आ रही थीं। उन्होंने अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए जवाबी असरदार फायर किया और स्काउट ग्रुप के कमांडर हवलदार दर्शन सिंह नेगी को उधर का इशारा भी किया। ग्रुप कमांडर के तत्काल निर्णय और कार्रवाई के कारण गश्ती टुकड़ी के संचालक ने पहल बनाए रखी और दुश्मन के ठिकाने पर बिजली की सी तेजी से हमला बोल दिया। परिणामस्वरूप बहुत बड़ी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद पर कब्जा पाया जा सका।

इस प्रकार राइफलमैन श्रीपाल चन्द ने उत्कृष्ट वीरता, सूझ-बूझ और उच्च-कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

9 मेजर नीलकंठन जयचन्द्रन नायर (आई सी 25070)
मराठा लाइट इन्फेंट्री
(प्रभावी तारीख 13 फरवरी, 1983)

मेजर नीलकंठन जयचन्द्रन नायर मिजोरम के मामित क्षेत्र में जनवरी 1980 से एक राइफल कम्पनी की कमान कर रहे थे।

8 फरवरी, 1983 को पूर्व सूचना पर मामित से दो गश्त निकलीं। एक मेजर नीलकंठन जयचन्द्रन नायर के नेतृत्व में विशेष मिशन पर नौका गश्त पर और दूसरी पलवा नदी के पूर्वी इलाके की गश्त के लिए पैदल चल दी। ऐसे ऊपर इलाके पर जहां कोई पथ वगैरह नहीं है, 25 किलोमीटर तक थका कर चूर-चूर कर देने वाला मार्च करने के बाद 11 फरवरी, 1983 को उनकी अनौपचारिक गश्त नदी के किनारे पहुंची जहां से वे यहीं के नाविकों के कपड़ों में नौका से आगे बढ़े।

13 फरवरी, 1983 को नदी के किनारे पूर्व निश्चित स्थान पर गश्त ने पड़ाव डाल दिया और इंतजार करने लगे। इसके शीघ्र ही बाद आशा के मुताबिक दो भूमिगत वहां आए और उन्होंने गश्त वालों को वहीं का नाविक दल समझा। गश्त के लीडर बिल्कुल शान्त, धीर और सतर्क रहे। वह एक राइफल धारी भूमिगत के पास गए। जैसे ही दोनों ने यह समझा कि वे फंस गए हैं उन्होंने फौरन ही मेजर नीलकंठन जयचन्द्रन नायर को अपनी-अपनी राइफलों का निशाना बनाया। दोनों तरफ से की जाने वाली फायरिंग के दौरान एक भूमिगत ने मेजर नीलकंठन जयचन्द्रन नायर पर बिल्कुल नजदीक से फायर किया। गोली ने मेजर नीलकंठन जयचन्द्रन नायर की दोनों जांघों को भेद कर बुरी तरह घायल कर दिया। फिर भी मेजर नायर ने एक राष्ट्र-विरोधी को अपनी गोली का निशाना बना लिया और दूसरे से भी निपटने के लिए मुंह फेरा लेकिन इससे पहले कि वे दूसरे को अपना निशाना बनाते वह नदी में कूद गया। यद्यपि उनके बहुत ही खून बह रहा था फिर भी वे कुशलतापूर्वक अपनी गश्त का निर्देश करते रहे और अपनी ऐसी नाजुक हालत के बावजूद उस भूमिगत का पीछा करने के लिए नदी में कूद पड़े जो बच निकलने की पूरी कोशिश में था। इतना जख्मी होने के बावजूद अफसर गश्त का तब तक निर्देशन करते रहे जब तक कि अगले दिन हवाई जहाज उन्हें वहां से सिलचर नहीं ले गया।

इस प्रकार मेजर नीलकंठन जयचन्द्रन नायर ने अपनी वैयक्तिक सुरक्षा की परवाह न करते हुए उत्कृष्ट वीरता और साहस का परिचय दिया।

10 स्क्वाड्रन लीडर हरि नाथ चतुर्वेदी,
वी. एम. (11161), चिकित्सा
(प्रभावी तारीख 19 फरवरी, 1983)

स्क्वाड्रन लीडर हरि नाथ चतुर्वेदी (11161), चिकित्सा, 1982-83 के दक्षिण-ध्रुव के लिए द्वितीय भारतीय वैज्ञानिक अभियान दल के चिकित्सा अधिकारी चुने गये थे। वहां उन्होंने अत्यन्त प्रतिकूल मौसमी स्थितियों में अभियान की सम्पूर्ण अवधि में चिकित्सा सेवा का संचालन किया।

19 फरवरी, 1983 को जब दक्षिण ध्रुव बेस कैम्प में केवल तीन वैज्ञानिक रह गए तब स्क्वाड्रन लीडर चतुर्वेदी पोत पर लौट कर अपेक्षाकृत सुख-सुविधा से रहने की बजाये कैम्प में ही रुके रहने के लिये राजी हो गए। बहुत तड़के 130 कि.मी. प्रति घंटा वेग के बर्फानी तूफान में कैम्प घिर गया। उस समय दृश्यता लगभग नहीं के बराबर हो गई और तापमान 15 डि से. तक नीचे गिर गया। मिनटों में सारा कैम्प बुरी तरह से नष्ट-भ्रष्ट हो गया। जिन तम्बुओं में वैज्ञानिक उपकरण और रसोई का प्रबंध था वे सभी उखड़ कर बर्फ की परतों में दब गए। यहां तक कि वहां निर्मित पक्का कुटीर भी इस हिम-झंझावात को नहीं सह सका। इसके दोनों दरवाजे उड़ गये और धड़ल्ले से अन्दर आ-आ कर बर्फ भर गई। इस छोटे से ठिकाने से भी बाहर निकलने का साहस करने में इधर-उधर उड़ रहे कैम्प के सामान से चोट खाने और कुछ भी दिखाई न पड़ने के कारण भटक जाने का भी भय था।

स्क्वाड्रन लीडर चतुर्वेदी ने अपनी जान सरासर जोखिम में डाल कर अपने को एक लम्बे रस्से से बांधा और उस रस्से को कुटीर से खूंटे की तरह बांध कर नष्ट-भ्रष्ट तम्बुओं में बारी-बारी से जाकर जो कुछ भी उपकरण और सामान वह पा सके उन्हें बचाया और सुरक्षित रखा।

रात होते-होते एक सदस्य गंभीर रूप से बीमार हो गया और दूसरे में अपताप के लक्षण दिखाई देने लगे। पहले-पहल दवाइयों की पेटी ढूंढने पर नहीं मिल पायी। थके-मांदे होने पर भी स्क्वाड्रन लीडर चतुर्वेदी फिर उसे ढूंढने के लिए बाहर निकले और मात्र दृढ़ संकल्प और आत्मोत्सर्ग के बल पर वह दवाइयों की पेटी ढूंढ पाने में सफल हो गये। बीमार सदस्यों को दवा देने के बाद वह उनके ठीक होने तक उनकी रात-भर देख-रेख करते रहे।

इस हिम-झंझावात की विनाशलीला बावन घंटे चलती रही। इस अवधि में अल्प भोजन सामग्री और लगभग बिना किसी आश्रय के होते हुए स्क्वाड्रन लीडर चतुर्वेदी ने उच्चतम कोटि की व्यावसायिक निष्ठा और कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया। यदि उन्होंने सूझ-बूझ और साहस से काम न लिया होता तो

अधिकांश महत्वपूर्ण और अत्यन्त मूल्यवान वैज्ञानिक उपकरण नष्ट हो जाते और अभियान के दौरान जुटाए और रिकार्ड किए गए अमूल्य आंकड़े भी लुप्त हो जाते।

इस प्रकार स्क्वाड्रन लीडर हरि नाथ चतुर्वेदी ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और अति उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

11. 17732, नायक टेक बहादुर थापा, (मरणोपरान्त)
असम राइफल
(प्रभावी तारीख 23 फरवरी, 1983)

22 फरवरी, 1982 को सटीक गांव परिषद के अध्यक्ष श्री के. थांटलुएगा को मिजो राष्ट्रीय मोर्चे के किसी अज्ञात भूमिगत विरोधी ने गोली से मार डाला। सटीक गांव परिषद के अध्यक्ष वे पहले व्यक्ति थे जो मिजो राष्ट्रीय मोर्चे की हिंसा के शिकार हुए। 11 फरवरी, 1983 की गांव परिषद के अध्यक्ष की हत्या से काफी सनसनी फैल गई और मुजरिम को जल्दी से पकड़ना और खत्म करना सुरक्षा बल के लिए चुनौती बन गया।

23 फरवरी, 1983 को सटीक के आसपास के गांवों और झूम इलाके की पूरी तलाशी लेनी शुरू कर दी जिससे सटीक गांव परिषद के अध्यक्ष के हत्यारे को पकड़ा और खत्म किया जा सके। नायक टेक बहादुर थापा भी उस गश्त के एक सदस्य थे जिसने इस संक्रिया में भाग लिया था। असम राइफल के 3 अन्य श्रेणी सैनिकों के साथ जब वे सहायक गश्त के तौर पर तछिप क्षेत्र के आस-पास तलाशी ले रहे थे तब उन्होंने एक झूम-झोंपड़ी में कुछ हलचल देखी। तत्काल उन्होंने उस झूम-झोंपड़ी के इर्द-गिर्द अपनी गश्त के दूसरे सदस्यों को फैला दिया और इस झोंपड़ी की पूरी तरह तलाशी लेने की दृष्टि से झोंपड़ी के प्रवेश-द्वार पर पहुंचे। प्रवेश-द्वार पर झोंपड़ी के अन्दर से उन पर एक के बाद एक दो गोलियां फायर की गईं, इनमें से एक गोली उनके पेट में लगी। गोली से लगी चोट की जरा-सी भी परवाह किए बिना, नायक टेक बहादुर थापा अपने हमलावर पर टूट पड़े ताकि वे उसे जिंदा पकड़ सकें और निरस्त्र कर सकें। लेकिन हमलावार ने नायक टेक बहादुर से पीछा छुड़ा लिया और बच कर भागना शुरू कर दिया। कोई और चारा न देख कर और अपनी सूझ-बूझ को बनाए रखते हुए, उन्होंने फौरन अपनी स्टेन मशीन कावाइन से फायर शुरू कर दिया और भागते हुए हमलावर को मार गिराया। अत्यधिक खून बहने से हुई कमजोरी और प्राण-घातक पीड़ा सहते हुए भी नायक थापा ने दूसरे सदस्यों की मदद से वहां से दो और संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा और गश्त लीडर के आने तक स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखा। उन्हें यूनिट हास्पिटल ले जाया गया किन्तु इससे पहले कि वहां उनके पेट में लगी गोली को आपरेशन करके निकाला जाता वे वीरगति को प्राप्त हुए।

बाद में पता चला कि वह मृतक तथाकथित प्राइवेट थान-जुआला था और वही सटीक गांव परिषद के अध्यक्ष का हत्यारा था।

इस प्रकार नायक टेक बहादुर थापा ने विरोधी को पकडने में अपने जीवन की परवाह न करते हुए उत्कृष्ट वीरता और साहस का परिचय दिया।

सं. 25-प्रेज/84—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को वीरता पूर्ण कार्यों के लिए "शौर्य चक्र" प्रदान किए जाने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

(1) जी ओ-1405 सिविलियन अफसर ग्रेड-3
कृष्णानन्द मैनाली (मरणोपरान्त)
(प्रभावी तारीख 17 अप्रैल, 1982)

सीमा सड़क संगठन के श्री कृष्णानन्द मैनाली 17 अप्रैल, 1982 को अपराह्न 3-30 बजे दो पाइनियर के साथ जीप पर अपने मुख्यालय लौट रहे थे तो गाड़ी के एक टायर में हवा कम होने के कारण इन्हें इम्फाल शहर से कुछ ही दूरी पर मजबूरन रुकना पड़ा। वे गाड़ी में एक राइफल और रोकड़ बाक्स ले जा रहे थे।

श्री मैनाली ने पाइनियर चौधरी की सहायता के लिए मुख्यालय भेज दिया और पाइनियर ड्राइवर श्री रवीन्द्रन वासुदेवन कंडाथिवडाकेतिल के साथ वहीं रुक गए। श्री मैनाली रोकड़ बाक्स और राइफल के साथ गाड़ी में अगली सीट पर बैठे हुए थे और पाइनियर रवीन्द्रन पिछले पहिए की जैकिंग कर रहे थे। इतने में दो राष्ट्रविरोधी वहां पहुंचे और उन्होंने रोकड़ बाक्स तथा राइफल छीनने की कोशिश की। रोकड़ बाक्स और राइफल बचाने में श्री मैनाली की राष्ट्रविरोधियों से भिडन्त हो गई और राष्ट्रविरोधियों ने नजदीक से गोली चलाकर उन्हें मार डाला। पाइनियर रवीन्द्रन दूसरे राष्ट्रविरोधी पर काबू पाने में सफल हो गए जो उनसे भिड़ रहा था और गाड़ी को तीन पहियों पर ही चलाकर सबसे समीप वाले केन्द्रीय रिजर्व पुलिस कैम्प में ले गए।

इस प्रकार श्री कृष्णानन्द मैनाली ने अपनी जान की बाजी लगाकर अनुकरणीय साहस, कर्त्तव्यपरायणता और उच्चकोटि के उत्तरदायित्व का परिचय दिया।

(2) जी-154636 पाइनियर रवीन्द्रन वासुदेवन
कंडाथिवड्डाकेतिल
(प्रभावी तारीख 17 अप्रैल, 1982)

17 अप्रैल, 1982 को सीमा सड़क संगठन के पाइनियर रवीन्द्रन वासुदेवन कंडाथिवड्डाकेतिल अपने अफसर कमांडिंग श्री कृष्णानन्द मैनाली की जीप पर जिसमें एक तिजोरी (केश-बाक्स) और राइफल थी, इम्फाल लौट रहे थे। इम्फाल के बाहर गाड़ी का एक पहिया पंक्चर हो गया और गाड़ी को नौरमथोंग पुल के पास मजबूरन रोकना पड़ा। पाइनियर रवीन्द्रन और श्री मैनाली गाड़ी की निगरानी कर रहे थे जबकि एक अन्य पाइनियर चौधरी को, जो कि गाड़ी में उनके साथ थे, मदद लाने के लिए मुख्यालय भेजा गया।

जब उनके पास से गुजर रहे दो राष्ट्रविरोधियों में से एक ने राइफल छीनने का प्रयास किया तो पाइनियर रवीन्द्रन उससे भिड़ गए। दूसरे राष्ट्रविरोधी ने गाड़ी की अगली सीट पर बैठे श्री मैनाली को गोली से मार दिया। हालांकि पाइनियर रवीन्द्रन काफी जख्मी हो गए थे फिर भी ये गाड़ी को केवल तीन पहियों के सहारे पुल के पार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की नजदीकी यूनिट तक ले गए। इस प्रकार इन्होंने तिजोरी और राइफल को राष्ट्रविरोधियों के हाथों में पड़ने से बचा लिया।

इस प्रकार पाइनियर रवीन्द्रन वासुदेवन कंडाथिवड्डाकेतिल ने बड़ी सूझ-बूझ, साहस और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

(3) लेफ्टिनेन्ट रवीन्द्र कक्कड (01835-डब्ल्यू)
(प्रभावी तारीख 16 जून, 1982)

पारादीप के पास उड़ीसा के तट पर आए भयंकर चक्रवात तथा तूफानी हवाओं के कारण वहां जान-माल की भारी क्षति हुई। मछली पकड़ने की अनेक नौकाएं डूब गईं। बन्दरगाह क्षेत्र में अनेक स्थानों पर बहुत से छोटे-छोटे जहाज क्षतिग्रस्त होकर डूब गए। इससे वहां जहाजों का आना-जाना बहुत जोखिमपूर्ण हो गया था। समुद्र की तलहटी में डूबी इन नौकाओं और अन्य जलयानों के ध्वंसावशेषों का शीघ्र पता लगाने और उन्हें निकालने का खतरे से भरा काम भारतीय नौसेना को सौंपा गया।

16 जून, 1982 को क्लीयरेन्स डाइविंग अफसर लेफ्टिनेन्ट रवीन्द्र कक्कड़ (01835-डब्ल्यू) को इन ध्वंसावशेषों का पता लगाने तथा उन्हें निकालने का सारा का सारा काम सौंपा गया। मछली पकड़ने के जालों, ध्वंस पोतों के बिखरे होने तथा पानी के अंदर करीब-करीब न दिखने की स्थिति होने के बावजूद इन्होंने ध्वंसावशेषों का पता लगाने के लिए पानी में गोते लगाए। इनके प्रेरक नेतृत्व में सुव्यवस्थित योजना से काम करके इनके दल ने यथासंभव कम समय में बन्दरगाह से ध्वंसावशेषों को निकालने में सफलता प्राप्त की।

इस प्रकार लेफ्टिनेन्ट रवीन्द्र कक्कड़ ने उच्चकोटि की व्यावसायिक कुशलता, दृढ़ता, साहस और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

(4) स्क्वाड्रन लीडर सदानन्द केशव दीक्षित (12407), उड़ान (पाइलट)
(प्रभावी तारीख 22 जुलाई, 1982)

स्क्वाड्रन लीडर सदानन्द केशव दीक्षित (12407) (पाइलट) लेह में एक यूनिट की डिटैचमेन्ट में तैनात थे। 21 जुलाई, 1982 को इन्हें पर्यटकों के एक दल की खोज के लिए भेजा गया। यह विभिन्न देशों के 10 पर्यटकों का एक दल था जो पदम गांव से दो रैफ्ट नौकाओं पर जान्स्कर नदी के बहाव की ओर गया था। उसी दिन निम्मू पर जहां जान्स्कर नदी सिंध नदी में मिलती है, दो खाली रैफ्ट नौकाएं देखी गईं और यह आशंका हुई कि वे 10 पर्यटक किसी खतरे में थे। जांस्कर नदी औसतन लगभग 7 फुट चौड़ी है और इसकी घाटी बहुत ही संकरी है। नदी के दोनों तटों की ओर हजारों फुट ऊंची चट्टानें हैं।

स्क्वाड्रन लीडर दीक्षित अपराह्न 3 बजे लेह से चले। इन्हें चुनौतीपूर्ण बचाव कार्य में निहित भारी खतरों का पूरा ज्ञान था। जिस समय ये सिंध और जांस्कर नदी के संगम के पास पहुंचे, सूर्य ढल चुका था और चारों ओर परछाइयां और अंधेरा छाने लगा था। इसके साथ ही तेज हवायें चल रहीं थीं। इन सब कारणों तथा जोर की हवाओं और तूफान से खोज कार्य लगभग असंभव था। नदी की संकरी घाटी और मधम होते हुए प्रकाश को देखते हुए इन्हें अपने हैलीकाप्टर को 100 फुट की ऊंचाई तक नीचे लाना पड़ा। वहां का दृश्य एकदम रोंगटे खड़े करने वाला था। ऐसी स्थिति में विमान उड़ाने का साहस करना, विपरीत परिस्थितियों से जूझना और तब बचे हुए पर्यटकों की तलाश करना एक ऐसा काम था जिसके लिए असाधारण साहस और उच्च कोटि की व्यावसायिक कुशलता की जरूरत थी। स्क्वाड्रन लीडर दीक्षित इन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं हुए और तलाश जारी रखी। 30 मिनट तक लगातार उड़ान भरते रहने के बाद उस अंधेरी घाटी में इन्होंने नदी के दायें किनारे पर किसी को चलते हुए सा देखा। पर्यटक एक बहुत गहरी ढलवीं चट्टान से चिपके हुए थे। इन्होंने इन लोगों के पास पहुंचने का हर संभव प्रयास किया लेकिन उसमें असमर्थ रहने पर नदी के दूसरे किनारे की ओर एक पथरीली जगह पर बड़ी कठिनाई से अपना हैलीकाप्टर उतारा। पर्यटकों के साथ सम्पर्क करने पर मालूम हुआ कि वे सब सुरक्षित थे लेकिन उनके पास भोजन और वस्त्र नहीं थे। इन्होंने खाद्य-सामग्री के दो पैकिट दिए ताकि वे कुछ खाकर रात बिता सकें। स्क्वाड्रन लीडर दीक्षित अपना हैलीकाप्टर वापस लेह ले गए। अगले दिन पौ फटते ही ये हैलीकाप्टर से फिर वहीं पहुंचे। इनके साथ इंजीनियरों का एक दल भी गया था ताकि नदी के पार पुल बनाकर उन पर्यटकों को लाया जा सके। लेकिन तुरन्त ही यह महसूस किया गया कि काम चलाऊ पुल से काम नहीं चलेगा इसलिए फैसला किया गया कि हैलीकाप्टर को नदी के दायें किनारे की ओर ढलवीं चट्टान के साथ नीचे लाकर उन पर्यटकों को ऊपर चढ़ा दिया जाए। यह बहुत ही कठिन और जोखिमपूर्ण काम था क्योंकि वहां काफी तेज हवायें चल रहीं थीं और पूरे किनारे की ओर खड़ी ऊंची-ऊंची चट्टानें थी। इस हालत में पर्यटकों को ऊपर चढ़ाना बहुत कठिन कार्य था। इन्हीं परिस्थितियों में वहां हैलीकाप्टर से तीन बार उड़ान की गई और तब पर्यटकों को सुरक्षित लेह पहुंचाया जा सका।

इस प्रकार स्क्वाड्रन लीडर सदानन्द केशव दीक्षित ने वीरता, अदम्य साहस और असाधारण व्यावसायिक कुशलता का परिचय दिया।

(5) 18768 लांस नायक प्रेम बहादुर छेत्री, असम राइफल
(प्रभावी तारीख 11 अगस्त, 1982)

लंगफून के नजदीक के जंगलों में छुपने की जगहों की सूचना पाते ही एक विशेष गश्ती दल आस इलाके की खोज के लिए भेजा गया। बीहड़ जंगल, घने झाड-झंखाड़, खड़े ढलानों और खडी चट्टानों से यह इलाका घिरा है। इस क्षेत्र की सही ढंग से खोज करने के लिए गश्ती दल को छोटी-छोटी टुकड़ियों में बांट दिया गया और इस क्षेत्र की नियमित खोज की गई। इस इलाके की लगातार तकरीबन 24 घंटे खोज करने के बाद 11 अगस्त, 1982 को रात्रि लगभग 8 बजे एक टुकड़ी को जिसमें लांस नायक प्रेम बहादुर छेत्री और अन्य रैंक शामिल थे, पश्चिम की ओर तकरीबन 75 मीटर की दूरी से दो व्यक्तियों के बोलने की आवाज सुनाई दी। इस क्षेत्र में विरोधियों के सिवाय और कोई भी नहीं हो सकता, ऐसा सोचकर यह टुकड़ी तुरन्त उस दिशा की ओर बढ़ गई।

इस टुकड़ी के आगे लांस नायक प्रेम बहादुर छेत्री चल रहे थे, उन्होंने अपनी स्टेनगन से फायर शुरू कर दिया लेकिन दुर्भाग्य से उसमें कुछ रुकावट आ गई। फिर भी उनकी नजर भागते हुए विरोधियों पर पड़ गई। अपनी जान की परवाह किए बिना वे भागते हुए उस ओर झपटे जिस ओर विरोधी भाग रहे थे। उसने जैसे ही यह महसूस किया कि वह जल्द ही पकड़ जाने वाला है, अपनी जैकेट में से पिस्तौल निकाली, मुड़ा और उन पर गोली चला दी। इतना देखते ही लांस नायक प्रेम बहादुर छेत्री फुरती से उस पर कूद पड़े और दबोच कर उसे पकड़ लिया।

इस प्रकार नायक प्रेम बहादुर छेत्री ने साहस, सूझ-बूझ और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

(6) 5336272 नायक सूबेदार देव सिंह ठाकुर, गोरखा राइफल्स
(प्रभावी तारीख 24 अगस्त, 1982)

24 अगस्त, 1982 को चेमपांग से तीन गाड़ियों का एक काफिला बहुत अग्रिम क्षेत्रों में स्थित चौकियों को राशन और अन्य जरूरी सामान ले जा रहा था। काफिले की सुरक्षा का

भार नायब सूबेदार देव सिंह ठाकुर पर था। काफिला जब चेमपोंग और अग्रिम चौकी के बीच तोहोक पुल के बाद पडने वाली चढाई पार कर रहा था तो विरोधियों ने जो घात लगाए हुए थे, तीन राकेट दाग दिए और स्वचालित राइफलों से गोलाबारी करके काफिले की सबसे आगे वाली गाडी खराब कर दी। उसके चालक, सहयोगी चालक और एक सिपाही को तत्काल मार डाला। दो अन्य जवानों को भी जख्मी कर दिया।

नायब सूबेदार देव सिंह ठाकुर ने जो दूसरी गाडी में सवार थे, तुरन्त लाइट मशीनगन से उस ओर गोलाबारी शुरू कर दी जहां विरोधी घात लगाए हुए थे और फिर अपने जीवन की परवाह किए बिना अपने पाच सिपाहियों के साथ गोलाबारी करते हुए उसी ओर बढ़े। दूसरी ओर स्वचालित हथियारों से हो रही भारी गोलाबारी और ओलावृष्टि की तरह गोलियों की बौछारों के बावजूद ये अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते रहे। फिर बिजली की तेजी के साथ ये खराब गाडी के पास पहुंचे। वहां देखा एक विरोधी मृत सिपाही की राइफल, सहयोगी ड्राइवर की स्टेनगन और रेडियो सेट वी. एम. 25ए वहां से ले जाने की कोशिश कर रहा था। इन्होंने उस पर हमला किया। उसने भी इन पर गोली चला दी। दूसरे विरोधियों की ओर से भी इन पर गोलियों की बौछारें हो रहीं थीं। लेकिन ये बिना घबराए आगे बढ़ते रहे। इनके इस साहस पर विरोधी हक्का-बक्का रह गया और डर के मारे भाग निकला। चीन में बनी अपनी एम 21 राइफल और अन्य हथियार वहीं फेंक गया। इन्होंने उसका पीछा किया और गोली मार कर उसे घायल कर दिया। भागते हुए विरोधी का इन्होंने पीछा किया लेकिन ऊपर से हो रही भारी गोला-बारी और घने जंगल की आड़ में वह बच निकला। नायब सूबेदार देव सिंह ठाकुर ने अपने मृत कार्मिकों की राइफलें, स्टेनगन और वी एम 25ए विरोधियों के हाथ पडने से बचा लिए और विरोधी की चीनी राइफल भी पकड ली।

इस प्रकार नायब सूबेदार देव सिंह ठाकुर ने अपने जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को ताक में रखकर एक बहुत साहसिक कार्य किया।

(7) कैप्टन कवलप्पारा सिवरामन मुथुकृष्णन (आई सी-32583), इंजीनियर्स

(प्रभावी तारीख 29 अगस्त, 1982)

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में अगस्त-सितम्बर, 1982 में आई अभूतपूर्व बाढ के दौरान राहत-कार्यों के लिए 62 फील्ड रेजीमेन्ट के मेजर कपिल के नेतृत्व में एक सैनिक टुकडी भेजी गई थी जिसमें कैप्टन कवलप्पारा सिवरामन मुथुकृष्णन प्रभारी इंजीनियर अफसर थे।

29 अगस्त, 1982 को शाम के लगभग 4 बजे जब कैप्टन मुथुकृष्णन केन नदी में नाव से अपने बेस को लौट रहे थे तो कुछ लोगों की बचाओ-बचाओ की चीत्कार सुनाई दी। ये तुरन्त नाव उसी ओर ले गए और देखा कि पानी में लगभग पूरी तरह डूबे हुए पेड की टहनियां पकडे गांव के 13 व्यक्ति बडी कठिनाई से अपने को बहने से बचाए हुए थे। बाढ़ के तेज पानी के थपेडों से टहनियां तडतडा रहीं थीं। देखते ही 11 वर्ष के एक लडके और 75 वर्ष के एक वृद्ध के हाथ की टहनी टूट गई और वे दोनों पानी में बहने और डूबने लगे। कैप्टन मुथुकृष्णन अपने जीवन की परवाह किए बिना तुरन्त पानी में कूद गए और तेज धारा को काटते हुए उन्हें बचाने की कोशिश करने लगे। इन्हें देखते ही इनके साथी सैपर रवीन्द्रन और सैपर मुनिस्वामी भी कमर में ट्यूब बांध कर नदी में कूद पड़े। काफी संघर्ष करने के बाद कैप्टन मुथुकृष्णन ने उस लड़के तथा वृद्ध को बचा लिया। पानी के अन्दर कंटीली झाड़ियों से इनका शरीर बुरी तरह बिंध गया था फिर भी ये अपने दो जवानों की सहायता से शेष 11 व्यक्तियों को बचाने में जुट गए।

इस प्रकार कैप्टन कवलप्पारा सिवरामन मुथुकृष्णन ने अपनी जान के खतरे की परवाह न करते हुए असाधारण कर्त्तव्यपरायणता और वीरता का परिचय दिया।

(8) सेकिण्ड लेफ्टिनैन्ट सुशील सिंह (एस एस 30690), जम्मू और कश्मीर राइफल्स

(प्रभावी तारीख 31 अगस्त, 1982)

सेकिण्ड लेफ्टिनैन्ट सुशील सिंह ने मिजोरम में अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सिलचरी चौकी की कमान सम्भाल रखी थी। गैर-कानूनी मिजो राष्ट्रीय सेना ने बंगला देश के चिटगांव पहाडी-पगडंडियों में अपना सामरिक मुख्यालय कायम कर लिया था। विरोधी प्राय: इस स्थान से संघ शासित प्रदेश मिजोरम में घुसपैठ कर तोड-फोड की कार्रवाई करते थे और आतंक फैलाया करते थे। सेकिन्ड लेफ्टिनैन्ट सुशील सिंह द्वारा कमान की गई चौकी को विरोधियों की घुसपैठ रोकने और सीमाओं से पार छिपने की जगह से निकलने से रोकथाम करने की कार्रवाई का काम सौंपा गया था।

31 अगस्त, 1982 को लगभग 7.30 बजे शाम सेकिन्ड लेफ्टि. सुशील सिंह को अपुष्ट सूचना प्राप्त हुई कि उनकी चौकी से पांच किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर स्थित छुपने की जगह में हथियारों से लैस विरोधियों के कुछ सशस्त्र सैनिक मौजूद थे। फौरन अचानक छापा मारकर सेकिन्ड लेफ्टिनैन्ट सुशील सिंह ने सशस्त्र विरोधियों को पकड़ने की योजना बनाई और अंधेरे में अपने गश्ती-दल के साथ खतरनाक जोखिम भरे इलाके को पार किया। उनकी संकल्प भरी कोशिशों और टोह लेने की होशियारी से विरोधियों के छिपने के ठिकानों का सही पता लग गया। बचकर निकल भागने के तमाम रास्तों को कारगर ढग से रोका और उसी दिन लगभग 11-40 बजे विरोधियों के ठिकाने पर धावा बोल दिया। अचानक हमला होने पर विरोधी घबरा गए और वे गश्ती-दल पर फायर करते हुए अपनी सुरक्षा के लिए जंगल में भागने लगे।

अपने आप को गम्भीर खतरे में डालकर सेकिन्ड लेफ्टि. सुशील सिंह ने भागने वाले विरोधियों का पीछा किया और उन पर फायर किया जिसके कारण एक विरोधी को पंगु कर दिया। इस मुठभेड़ में एक और विरोधी भी गंभीर रूप से घायल हुआ और एक और विरोधी को दबोच लिया गया और पकड लिया गया।

इस मुठभेड़ में सेकिन्ड लेफ्टि. सुशील सिंह ने पहल शक्ति, साहस, दृढ़ निश्चय, कर्त्तव्यपरायणता और उच्चकोटि के नेतृत्व का परिचय दिया।

(9) लेफ्टि. कमांडर अजय हेमंत चिटनिस (02108 डब्ल्यू)

(प्रभावी तारीख 8 सितम्बर, 1982)

लेफ्टि. कमांडर अजय हेमंत चिटनिस (01208 डब्ल्यू) 1969 में भारतीय नौसेना में भर्ती हुए और नेवल पाइलट के रूप में उनका रिकार्ड उत्कृष्ट है।

8 सितम्बर, 1982 को ले. कमांडर ए. एच. चिटनिस अशांत समुद्र में पनडुब्बी निरोधी मिशन पर पनडुब्बी का पता लगाने के लिये भेजे गये। समुद्र के ऊपर सवा घंटे तक उड़ान भरने के पश्चात् इनके हेलीकाप्टर के दो इंजनों में से एक में अचानक कुछ खराबी आ गई। तब तक अन्धेरा भी बढ़ गया था और बहुत कम दिखाई देने लगा था। इन्होंने इस स्थिति

का शीघ्र जायजा लेकर कार्य को वहीं पर स्थगित करने का निर्णय लिया और जहाज की ओर वापस मुड़े जो कि दस मील दूर था। जहाज की ओर बढ़ते समय बादलों के घिरने के कारण दिखाई देना पहले से भी कम हो गया। जैसे ही हेलीकाप्टर जहाज पर उतरने के लिए मुड़ा उस के स्टार बोर्ड इंजन ने पूरी तरह से काम करना बन्द कर दिया और उसे एकदम बन्द कर देना पड़ा। इस प्रकार संकट के समय में हेलीकाप्टर को अपनी आधी शक्ति से वंचित होना पडा। ऐसी अवस्था में लेफ्टि. कमांडर चिटनिस के सामने दो रास्ते थे या तो वायुयान को पानी में उतारना अथवा उसे एक इंजन की सहायता से आई एन एस राजपूत के 10 मी. × 10 मी. हेलीपैड पर उतारने की कोशिश करना। जहाज समुद्र में 24 नाटिकल मील की चाल से चल रहा था और उसमें काफी उलट-पलट हो रही थी। लेफ्टि. कमांडर चिटनिस ने भारी जोखिम उठा कर बड़े साहस से हेलीकाप्टर को जहाज के हैलीपैड पर उतारने की सोची। इस प्रकार का काम इससे पहले कभी नहीं किया गया था। उत्कृष्ट उडान कौशल का परिचय देते हुए ले. कमांडर चिटनिस ने जहाज के डेक पर एक इंजन की सहायता से हेलीकाप्टर को सफलतापूर्वक उतारा। इन्होंने बड़े धैर्यपूर्वक ठीक निर्णय लेकर उत्कृष्ट उडान-क्षमता दिखाते हुए जहाज को सुरक्षित उतार लिया और इस प्रकार न केवल मूल्यवान हेलीकाप्टर को बचा लिया बल्कि उसमें सवार दो प्रेक्षकों की जान भी बचा ली ।

इस प्रकार लेफ्टि. कमांडर अजय हेमंत चिटनिस ने अपने आपको खतरे में डालकर विषय परिस्थितियों में भी व्यावसायिक कार्यकुशलता, धैर्य, साहस और वीरता का परिचय दिया।

(10) जी/16629 मैसन पृथी सिंह

(प्रभावी तारीख 9 सितम्बर, 1982)

8 सितम्बर, 1982, को दक्षिण मिजोरम में लंगलेह-तुइपांग सडक, जो संचार व्यवस्था का मुख्य साधन है, भारी वर्षा और भू-स्खलन के कारण बंद हो गई थी।

9 सितम्बर, 1982, को सुबह 6 बजे सीमा सडक संगठन के जी/16629 मैसन पृथी सिंह, श्रमिकों के एक दल के साथ अपने कैम्प से भूस्खलन के स्थान की ओर चले। जब इस दल को ले जाने वाली गाडी 17 किलोमीटर की दूरी पर पहुंची तो विरोधियों ने गाड़ी पर घात लगाई और भारी गोला-बारी शुरू कर दी। मैसन पृथी सिंह ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने आदमियों को गाडी के पीछे से निकाल लिया। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर लेने के बाद जब वे गाडी से बाहर निकल रहे थे तो विरोधियों ने उनके पेट में गोली मार दी।

इस प्रकार मैसन पृथी सिंह ने निस्वार्थ कर्त्तव्य-निष्ठा के साथ काम करके अपने आदमियों की जान बचाने में साहस और सूझ-बूझ का परिचय दिया।

(11) 1061963 सवार कालू राम जाट,
कवचित कोर

(प्रभावी तारीख 8 अक्तूबर, 1982)

8 अक्तूबर, 1982 की रात को सवार कालू राम जाट गांव सादनगर, भाणी ककराली, में अपने घर आकस्मिक छुट्टी पर थे। लगभग तीन बजे मदद के लिए चीखों की आवाज से उन की नींद खुली। उन्होंने हथियारों से लैस तीन डाकुओं को देखा जिनमें से एक बाहर खडा था और दो मकान के अन्दर थे। उनके ललकारने पर डाकुओं ने गोलाबारी और अंधेरी की आड़ में भाग निकलने की कोशिश की।

डाकुओं की गोलाबारी के बावजूद सवार कालू राम जाट ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अकेले ही उन का पीछा किया। संकरे मोडों वाले रास्तों पर काफी पीछा करने के बाद उन्होंने एक डाकू को पकड ही लिया। पकडे गए डाकू के पास से 12 बोर की एक देशी पिस्तौल, एक लाइव कारतूस और कई फायर किए हुए कारतूस बरामद हुए।

इस प्रकार सवार कालू राम जाट ने डाकू को पकडने में असाधारण साहस का परिचय दिया।

(12) फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट सीतारमण लक्ष्मीनारायण थांत्री
(12847), वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिकी)

(प्रभावी तारीख 14 अक्तूबर, 1982)

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट सीतारमण लक्ष्मीनारायणन थांत्री (12847) वैमा. इंजी. (इलैक्ट.) एक टीम के सदस्य थे जिसे बिजली घर में डीजल जनरेटिंग सेटों की स्थापना, परीक्षण और चालू करने का काम सौंपा गया था।

14 अक्तूबर, 1982 को एक इंजन में अत्यधिक कम्पन ठीक करने के बाद उसे आगे जांच के लिए चालू किया गया था। चालू करते ही इंजन भागने लगा। उसकी गति एकदम बढ़कर 1000 चक्कर प्रति मिनट की सामान्य प्रचालन गति से कहीं ऊपर पहुंच गई। कन्ट्रोल केबिन में लगे विद्युत नियंत्रण पैनल से इंजन बन्द करने और इंजन पर लगे "स्टाप सोलेनायड" को हाथ से चला कर इंजन बंद करने की कोशिशें व्यर्थ चली गईं। इसी बीच इंजन का एक्जास्ट पाइप लगा पदार्थ आग पकड गया। इससे सारे बिजली घर में जहरीली गैसें और घना धुंआ भर गया जिससे अन्दर कुछ भी दिखाई देना लगभग बन्द हो गया। आल्टरनेटर से निकलती तेज चिनगारियां भी देखी गईं। स्थिति की गम्भीरता को महसूस करते हुए फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट सीतारमण लक्ष्मीनारायणन थांत्री ने निर्णय लिया कि इंजन को जाने वाली ईन्धन सप्लाई बन्द कर दी जाए ताकि ईन्धन न मिलने से इंजन बंद हो जाए । अपनी जान को भारी जोखिम में डालकर वे रेंगते हुए इंजन के पीछे गए और इंजन का ईन्धन वाल्व बंद कर दिया। इसके बाद फौरन आग बुझाने के यंत्रों को चालू करवा दिया।

इस प्रकार फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट सीतारमण लक्ष्मीनारायणन थांत्री ने न सिर्फ इंजन को पूर्णतया नष्ट होने से बचाया बल्कि उस बिजली घर में लगे अन्य साजोसामान को हो सकने वाले भारी नुकसान से बचा कर असाधारण साहस का परिचय दिया।

(13) फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट सुमेर चन्द गौड (14118),
वैमानिक इंजीनियरी (मैकेनिकल)/वायु

(प्रभावी तारीख 25 नवम्बर, 1982)

25 नवम्बर, 1982 को फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट सुमेर चन्द गौड़ (14118) वैमानिक इंजीनियरी (मैकेनिकल)/वायु को रात्रि में परिक्रमा तथा अवतरण अभ्यास करने के लिए पैकेट वायुयान में फ्लाइट इंजीनियर के रूप में भेजा गया। इस उडान में छठा सर्किट भरते समय जब अवचक्र स्विच को नीचे किया गया तो नोज-व्हील-गियर का पाजिटिव लाक-डाउन हरा संकेत नहीं जला। इन्होंने आपात-स्थिति को संभालने के लिए तुरन्त उपयुक्त उपाय किए। नोज-व्हील की जांच करने पर इन्होंने पाया कि नोज-व्हील-गियर पूरी तरह बाहर की ओर नहीं निकला था और ग्राउन्ड-लाकिंग-पिन की सुराखें एक सीध में नहीं थीं। अवचक्र को नीचे करने के लिए जिससे वह पूरी तरह फैल जाए, सभी निर्धारित आपाती उपाय असफल रहे। इस प्रणाली की ठोस और व्यापक जानकारी होने के नाते इस अफसर ने सोचा कि इसका अब एक यही उपाय है कि एक्चुएटर जेक को अलग करके

नोज अवचक्र को पूरी तरह फैलने दिया जाए जिससे नोज-लॉकिंग पिन को अन्दर डालना संभव हो जाएगा और सुरक्षित नीचे उतारा जा सकेगा। परन्तु इसके लिए खुले नोज-व्हील में जाकर एक्चुएटर-जैक के कावलों को खोलना और ग्राउण्ड-लॉकिंग-पिन के सुराखों को सीध में करके ग्राउण्ड-लॉकिंग-पिनों को उनमें डालना आवश्यक था। उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर यह काम सफलतापूर्वक पूरा किया। बाद में वायुयान सुरक्षित उतरने में सफल हुआ।

इस प्रकार फ्लाइट लेफ्टि ग्मेर चंद गौड़ ने साहस और उच्चकोटि की व्यावसायिक कुशलता का परिचय दिया।

(14) जे सी-112770 नायब सूबेदार दर्शन सिंह असवाल, गढ़वाल राइफल।
(प्रभावी तारीख 28 दिसम्बर, 1982)

28 दिसम्बर, 1982 को नायब सूबेदार दर्शन सिंह असवाल दक्षिण मिजोरम के परवा सैक्टर में एक गश्त की अगुआई कर रहे थे। इस गश्त को घने वन क्षेत्र की खोज करने के लिए भेजा गया था जहां विरोधियों की गोलाबारी से दल के अगुआ जख्मी हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नायब सूबेदार दर्शन सिंह असवाल ने बडी फुर्ती से काम लिया और अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने व्यक्तियों को शत्रु पर पूरे साहस से धावा करने के लिए फिर से संगठित किया। यह कार्रवाई इतनी अनायास और आशातीत दृढ़ता तथा तेजी से की गई जिससे विरोधियों के होश उड़ गए और वे बड़ी मात्रा में गोला-बारूद और शस्त्र छोड़कर भाग खड़े हुए। फिर भी विरोधियों ने हिम्मत नहीं हारी तथा थोड़ी ऊंचाई पर सुरक्षित जगह मिलते ही गश्त पर राइफलों और स्वचालित फायरों से प्रभावी गोलाबारी शुरू कर दी। नायब सूबेदार दर्शन सिंह असवाल ने तत्काल अपनी गश्त को पुनः संगठित किया और उन्हें विरोधियों की धमकी का उत्तर देने के लिए दूर-दूर तक फैला दिया। उन्होंने विरोधियों को खदेड़ने तथा संभव हो तो उनका पीछा करने के लिए भी एक और छोटी टुकड़ी भेज दी। इस टुकड़ी को आते देख विरोधी अंतरराष्ट्रीय सीमा-रेखा के पार भाग खड़े हुए।

इस सम्पूर्ण कार्रवाई में नायब सूबेदार दर्शन सिंह असवाल ने बड़े साहस, धैर्य, उच्चकोटि की व्यावसायिक कुशलता और दृढ़-निश्चय का परिचय दिया।

(15) विंग कमांडर दिलीप कुमार रणछोडदास अशर (7686) फ्लाइट (पायलट) (मरणोपरान्त)
(प्रभावी तारीख 24 जनवरी, 1983)

फ्लाइंग पायलट विंग कमांडर दिलीप कुमार रणछोड़दास अशर (7686) वायुसेना की एक संक्रियात्मक बम्बर स्क्वाड्रन की कमान कर रहे थे। 24 जनवरी, 1983 को रात में प्रशिक्षण उडान के दौरान इनका कैनबरा प्रशिक्षण विमान एक पक्षी से टकरा गया जिससे स्टारबोर्ड इंजन में आग लग गई और विमान एक ओर को झुकने लगा। इस झुकाव को रोकना कठिन हो गया और विमान 90 अंश के कोण में दाईं तरफ से गिरता हुआ जमीन से कुछ ही फुट ऊपर रह गया। इतनी तेजी से यह गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाने पर भी विंग कमांडर अशर ने धीरज नहीं खोया और तुरन्त विमान ऊपर उठाने के प्रयास में जुट गए। उस हालत में जबकि मृत्यु लगभग निश्चित थी, विंग कमांडर अशर ने एक अच्छे कमांडर और सैनिक के रूप में अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए अपने कर्मीदल को सतर्क किया, बाएं इंजन को बंद किया तथा उड़ान सही रखने की कोशिश जारी रखी अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा करने में देरी कर दी होती तो विमान उलट कर नीचे गिर गया होता। इस कार्रवाई में आहत होकर उनकी मृत्यु हो गई लेकिन उन्होंने अपने कर्मीदल के दो सदस्यों की जान बचा ली।

इस प्रकार विंग कमांडर दिलीप कुमार रणछोड़दास अशर ने साहस, उच्चकोटि की व्यावसायिक कुशलता और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

(16) मेजर प्रेम बहादुर थापा (आई सी-24696), गढ़वाल राइफल्स
(प्रभावी तारीख 27 जनवरी, 1983)

27 जनवरी, 1983 की शाम करीब 6.30 बजे मेजर प्रेम बहादुर थापा को अपने एक गश्ती जवान से यह सूचना मिली कि राष्ट्रविरोधियों की एक टुकड़ी करीब के एक गांव दम-देब में छिपी थी। मेजर थापा ने स्थिति का सही जायजा लेते हुए बिजली की तेजी से छापा मारने का निश्चय किया तथा गांव से भागने के सभी मार्गों को रोकने के लिए घात-टोलियां बिठाने का आदेश देकर वे स्वयं एक दस्ते के साथ गांव की तलाशी को निकल पड़े।

तलाशी के दौरान एक मुखबिर ने उस झोंपड़ी की तरफ संकेत किया, जहां विरोधी छिपे थे। मेजर थापा ने अपनी सुरक्षा का ध्यान रखे बिना शीघ्रता से झोंपड़ी को घेर लिया तथा अंदर छिपे लोगों को आत्म-समर्पण के लिए बार-बार ललकारा। विरोधियों ने उनकी ललकार की परवाह किए बिना अंधेरे का लाभ उठा कर झोंपड़ी से भाग निकलने का प्रयास किया। स्थिति को भांप कर मेजर थापा उनके पीछे दौड़े तथा कारबाइन से गोलियां चलाईं। मेजर थापा ने 20-30 गज की दूरी से दो विरोधियों को मार गिराया। बाकी गश्ती दल ने भी मेजर थापा का अनुकरण करते हुए भागने वाले राष्ट्रविरोधियों पर गोली चलाई और पांच को मार गिराया। इस संघ-शासित क्षेत्र में हिंसा फैलाने के उद्देश्य से आए मिजो नेशनल फ्रंट के सात विरोधी कुशलता से सम्पन्न इस प्रक्रिया में मार दिए गए।

इस प्रकार मेजर प्रेम बहादुर थापा ने वैयक्तिक साहस, व्यावसायिक कुशलता और सही निर्णय लेने की क्षमता का परिचय दिया।

(17) लेफ्टिनेन्ट कमांडर राजबीर सिंह गिल (01120-डब्ल्यू),
(प्रभावी तारीख 30 जनवरी, 1983)

लेफ्टिनेन्ट कमांडर राजबीर सिंह गिल अंटार्कटिक को जाने वाले दूसरे भारतीय अभियान दल के दो भारतीय नौसैनिक हेलीकाप्टरों के फ्लाइट कमांडर थे। यह एक काफी कठिन और भारी जिम्मेदारी थी क्योंकि यह उड़ान रख-रखाव अथवा खोज और बचाव के किसी प्रकार के बिना सहारे पूर्णतः प्रतिकूल और कठोर परिस्थितियों में भरी जानी थी। अंटार्कटिक में उड़ान भरना भी सदैव एक जोखिमपूर्ण कार्य होता है। ध्रुवों की विशेष परिस्थितियों के कारण, दिशा-निर्देशन और संचार उपस्कर ठीक प्रकार से काम नहीं करते और ठीक प्रकार से दिखाई न देने से उड़ान में बाधा पहुंचती है। अतः अंटार्कटिक में उड़ान भरने वाले पायलट का जीवन सदा संकटापन्न होता है।

इन गंभीर खतरों और बाधाओं के बावजूद इन्होंने भारी उपस्करों, सामान और लोगों को वहां पहुंचाने में सफलतापूर्वक कई उड़ानें भरी और अपनी उड़ान-कौशल का अत्युत्तम परिचय दिया। इस कठिन कार्य को करने के लिए वे स्वयं आगे आए

और अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नेतृत्व का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अच्छे उड़ान करने का नैतिक साहस दिखाया।

30 जनवरी, 1983 को उस क्षेत्र में भयंकर तूफान आया और भारतीय दल के कुछ सदस्य दक्षिण गंगोत्री से 100 किलो-मीटर की दूरी पर बिना संचार व्यवस्था और जीवन रक्षा के बहुत कम आवश्यक उपकरणों के असहाय अवस्था में फंस गए थे। इन सदस्यों को बर्फ में जमने से बचाना और उनकी जीवन रक्षा के लिए खाद्य-सामग्री और चिकित्सा सुविधा पहुंचाना बहुत आवश्यक था अपने जीवन की परवाह न करते हुए लेफ्टिनेन्टकमांडर गिल ने बर्फ और धुंध के कारण कुछ भी न दिखाई देने वाले और बर्फ से ढके स्थान पर बड़ी सतर्कता, गति और निश्चय के साथ निश्चित स्थान पर उड़ान भरी। इस प्रकार ये अभियान के तीन सदस्यों को उस स्थान से निकालने में सफल रहे तथा विपदाग्रस्त क्षेत्र में शेष बचे सदस्यों को सुरक्षित पाकर ही वापस लौटे।

इस प्रकार लेफ्टिनेन्ट कमांडर राजबीर सिंह गिल ने अपने जीवन को जोखिम में डालकर असाधारण साहस, पहलशक्ति, कर्त्तव्यपरायणता और उच्चकोटि के उड़ान कौशल का परिचय दिया।

(18) लेफ्टिनेन्ट कमांडर कुलवंत सिंह समरा,
एन एम (0219 डब्ल्यू)
(प्रभावी तारीख 31 जनवरी, 1983)

लेफ्टिनेन्ट कमांडर कुलवंत सिंह समरा अंटार्कटिक के द्वितीय अभियान दल के दो हेलीकाप्टर उड़ाकों में थे। शुरू में ही ये बड़े उत्साह के साथ योजना बनाने और उसे कार्यरूप देने में जुट गए। पहले अभियान दल के बेस कैम्प का पता लगाने में सफलता प्राप्त की। कैम्प 100 किलोमीटर की दूरी पर था और बर्फ से ढके हुए होने तथा दिखाई न देने पर भी इन्होंने उसे ढूंढ लिया। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि बर्फ के ढेर निरन्तर अपना स्थान व आकार बदलते रहते हैं और इस प्रकार वे सभी चिह्न मिटा देते हैं जिनके आधार पर कार्य को आगे बढ़ाया जा सके।

अंटार्कटिक में अभियान दल के साथ लेफ्टिनेन्ट कमांडर समरा ने लोगों तथा सामान को अंटार्कटिक में पहुंचाने में बड़े उत्साह और उच्चकोटि की कुशलता का परिचय दिया। इन्होंने 1500 पौंड भार के दो "स्नो ट्रैक्टरों" को शानदार ढग से पहुंचा कर प्रकार से उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की क्योंकि चेतक हेलीकाप्टर पर इतना भार ढोने का यह पहला मौका था।

31 जनवरी, 1983 को दिन में एक बजे जबकि दूसरा हेलीकाप्टर काम करने की हालत में नहीं था लेफ्टिनेन्ट कमांडर समरा को बेस कैम्प से 200 किलोमीटर की दूरी पर रख-रखाव कार्मिकों को पहुंचाने के लिए कहा गया। उस समय बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। बादलों के बहुत ही नीचे होने तथा वायु के 100 किलोमीटर की गति से चलते होने पर भी इन्होंने इस कार्य को बड़े साहस और उच्चकोटि की व्यावसायिक कुशलता से पूरा किया।

इस प्रकार लेफ्टिनेन्ट कमांडर कुलवंत सिंह समरा ने उत्कृष्ट साहस और उच्चकोटि की व्यावसायिकता का परिचय दिया।

(19) लेफ्टिनेन्ट कमांडर कुलदीप सिंह रंधावा,
एन एम (01189 ए)
(प्रभावी तारीख 4 फरवरी, 1983)

लेफ्टिनेन्ट कमांडर कुलदीप सिंह रंधावा अंटार्कटिक के दूसरे भारतीय अभियान दल में भारतीय नौसेना के पायलट थे। ध्रुवों की विशेष परिस्थितियों के कारण दिशा-निदेशक और संचार उपस्कर ठीक प्रकार से काम नहीं करते और अंटार्कटिक में उड़ान भरना अत्यन्त जोखिमपूर्ण है। मौसम का भी खराब हो जाना, ठीक प्रकार से दिखाई न देना, पूर्णतया नए और विपरीत परिस्थितियों वाले क्षेत्र में सर्द मौसम में उड़ान भरना बहुत कठिन काम है। अत: अंटार्कटिक में उड़ान भरने वाले पायलट का जीवन सदा संकटापन्न होता है।

इन भारी विषमताओं के भय से विचलित न होकर और अपनी निजी सुरक्षा को खतरे में डालकर लेफ्टिनेन्ट कमांडर रंधावा ने इस प्रकार इन गंभीर खतरों से किसी प्रकार घबराए बिना और अपने जीवन को जोखिम में डालकर भारी सामान, खाद्य-सामग्री और अन्य आवश्यक चीजें और वैज्ञानिक दल के सदस्यों को पहुं-चाने के लिए इन्होंने अनेक उड़ानें भरीं। इस कार्य में इन्होंने उत्कृष्ट उड़ान कौशल का परिचय देते हुए साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता दिखाई।

30 जनवरी, 1983 को एक दल बेस कैम्प से 200 किलो-मीटर की दूरी पर हौलथोट पर्वत पर खतरनाक परिस्थितियों में फंस गया। गहरी धुंध थी और हवाएं भी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थीं। इन्होंने बड़ी निर्भीकता, कृतसंकल्प होकर आवश्यक खाद्य-सामग्री और अन्य सामान उस स्थान पर पहुंचाया। ऐसे गंभीर संकट में इन्होंने उच्चकोटि का साहस दिखाकर घोर विपत्ति में फंसे लोगों को संकट से उबारा और अगले दिन दल के सदस्यों को वहां से निकाला गया।

फिर 4 फरवरी, 1983 को मौसम खराब होना शुरू हो गया और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवाएं चलने लगीं। हेलीकाप्टर की बैलूनिंग कैनोपी और इंजन का ढक्कन हवा से पाल की तरह चलने लगे और हेलीकाप्टर को डेक-एच की ओर मोड़ दिया। अपने जीवन की परवाह न करते हुए लेफ्टिनेन्ट कमांडर रंधावा, हैलोडेक पर गए और ढक्कन को उखाड़ फैंका। इस प्रकार सेन्टर ब्लेड फिर से ठीक प्रकार से काम करने लगे। इनके साहसपूर्ण और अथक प्रयासों से हैलीकाप्टर को भारी क्षति पहुंचने से बचाया जा सका। हैलीकाप्टरों को किसी प्रकार की क्षति पहुंचने से अभियान दल भारी खतरे में फस जाता।

इस प्रकार लेफ्टिनेन्ट कमांडर कुलदीप सिंह रंधावा ने उत्कृष्ट साहस, उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता और अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना असाधारण उड़ान कौशल का परिचय दिया।

(20) लेफ्टिनेन्ट कमांडर राजेश सेठी (01232 जेड)
(प्रभावी तारीख 4 फरवरी, 1983)

लेफ्टिनेन्ट कमांडर राजेश सेठी अंटार्कटिक के दूसरे भारतीय अभियान दल के दो हेलीकाप्टर फ्लाइटों में से एक थे। अंटार्कटिक में उड़ान भरना सदैव ही बहुत ही जोखिमपूर्ण कार्य रहा है। ध्रुवों में विशेष परिस्थितियों के कारण दिशा-निर्देशक और संचार उपस्कर ठीक प्रकार से काम नहीं करते और ठीक प्रकार से दिखाई न देने के कारण भी उड़ान में बाधा पहुंचती है। अत: अंटार्कटिक में उड़ान भरने वाले पायलट का जीवन सदा संकटापन्न होता है।

विषम परिस्थितियों से किसी प्रकार विचलित न होते हुए और अपने जीवन की परवाह न करते हुए लेफ्ट. कमांडर सेठी ने बड़े साहस और दृढ़ निश्चय से सर्वेक्षण, भारी सामान, वैज्ञानिक दल और तकनीशियनों को पहुंचाने के लिए अनेक उड़ानें भरीं।

30 जनवरी, 1983 को जबकि मौसम बड़ी तेजी से खराब हो रहा था, इंजन की खराबी के कारण आई एन 458 हेलीकाप्टर हालेथोट पर्वत की बाहरी श्रेणी में फंस गया। कर्मीदल और यात्रियों को उस स्थान से निकालने के प्रयत्न किए गए थे परन्तु लेफ्टिनेन्ट कमांडर सेठी ने उस खराब हेलीकाप्टर को भीषण तूफान की कृपा पर छोड़कर स्वयं वहां से जाने के लिए इंकार कर दिया। सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाने पर इन्होंने 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे तूफान और शून्य से भी 10 सेन्टीग्रेड कम तापमान में हेलीकाप्टर उड़ाया और हेलीकाप्टर को किसी प्रकार की हानि न हो, इस बारे में सावधानी बरती। हेलीकाप्टर को किसी प्रकार की क्षति पहुंचने से अभियान के लिए गंभीर खतरा हो सकता था।

4 फरवरी, 1983 को मौसम जब पुनः खराब होने लगा तब लेफ्टिनेन्ट कमांडर सेठी हैलीडेक की ओर भागे और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे तूफान में हेलीकाप्टर की सुरक्षा का प्रबन्ध किया। वायुयान की रस्सियां टूट गईं और उसके ब्लेड अनियंत्रित हो कर झूलने लगे। बैलूनिंग कैनोपी और इंजन का ढक्कन हवा में फड़फड़ा रहे थे और हेलीकाप्टर को डेक के किनारे की ओर धकेल रहे थे। अपनी जान की परवाह न करते हुए लेफ्टिनेन्ट कमांडर सेठी ने ढक्कन को हटा कर मुख्य सेन्टर ब्लेड को ठीक करने में सफल रहे और इस प्रकार अन्य प्रयासों में हेलीकाप्टरों को बचा लिया।

इस प्रकार लेफ्टिनेन्ट कमांडर राजेश सेठी ने अपने जीवन को खतरे में डालकर उत्कृष्ट साहस, पहल शक्ति, कर्त्तव्यपरायणता और उच्चकोटि की व्यावसायिक कुशलता का परिचय दिया।

(21) स्क्वाड्रन लीडर राजेन्द्र सिंह टंडन (9432), उड़ान (पायलट)
(प्रभावी तारीख 21 फरवरी, 1983)

स्क्वाड्रन लीडर राजेन्द्र सिंह टंडन (9432) उड़ान (पायलट) उस प्रथम वायु सेना दल के सदस्य थे जिसने 1982-83 में दक्षिण ध्रुव पर द्वितीय भारतीय वैज्ञानिक अभियान में भाग लिया।

इन्होंने पोत से अभियान के समस्त साज-सामान को उतारने की जिम्मेदारी स्वेच्छा से सम्भाली। उन्होंने सामान उतरवाने का ऐसा प्रबन्ध किया कि 40 टन सामान को कम से कम समय में उतारा जा सके और इसके लिए इन्होंने 24 घंटे से भी अधिक समय तक लगातार अथक कार्य किया। इन्होंने बेस कैम्प में विभिन्न प्रशासकीय कार्यों का सार्थकता, कुशलता तथा दायित्व की उत्कृष्ट भावना के साथ प्रबंध किया और उन्हें सम्पन्न किया।

''स्कीवे'' बनाने के लिए उपयुक्त स्थान की खोज में वे शून्य से भी कम तापमान में पैदल या खुले स्नो-स्कूटर पर कई बार प्रारम्भिक सर्वेक्षण के लिए टोह पर गए। इसके लिए वे खतरनाक अदृश्य दरारों और कोटरों से भरे बीहड़ क्षेत्र से होकर गुजरे और उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की रत्ती भर परवाह नहीं की। इनके साहस, सर्मपण तथा उत्साह के बल पर नितान्त अपरिचित पर्यावरण तथा कठोर मौसमी हालात में दस दिन की अल्पावधि में ही कार्यों को सम्पन्न करने में बहुत बड़ी सहायता मिली।

18 फरवरी, 1983 की रात में बेस कैम्प पर एक भयानक बर्फानी तूफान का थपेड़ा पड़ा जो दो दिन तक चलता रहा। क्षतिग्रस्त कैम्प में अभियान के चार सदस्य फंसे पड़े रहे और बेस कैम्प तबाह हो गया और बहुत सा वैज्ञानिक और दूसरा साज-सामान या तो तूफान में उड़ गया या खराब हो गया।

21 फरवरी, 1983 को भोर में चार बजे पोत से एक बचाव मिशन भेजा गया। स्क्वाड्रन लीडर आर. एस. टंडन ने स्वेच्छा से इस बचाव मिशन का काम हाथ में ले लिया। पोत का अग्र भाग केवल बहुत थोड़े समय के लिए ही बर्फीली कगार से जोड़ा जा सका। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की जरा भी परवाह न करते हुए तथा अत्यन्त उच्चकोटि की बहादुरी का परिचय देते हुए स्क्वाड्रन लीडर टंडन जहाज पर से बर्फीली कगार पर कूद पड़े और पैदल ही बेस कैम्प की ओर चल पड़े जहां इन्होंने फंसे हुए सदस्यों को उबारा और उनके द्वारा एकत्रित बहुमूल्य आंकड़े और अधिकांश वैज्ञानिक उपकरण भी वे बचाकर निकाल लाए।

इस प्रकार स्क्वाड्रन लीडर राजेन्द्र सिंह टंडन ने साहस तथा त्यागपूर्ण कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

(22) कैप्टन गोपी लाल पनेरी (आई. सी. 27071), ग्रेनेडियर
(प्रभावी तारीख 22 फरवरी, 1983)

कैप्टन गोपी लाल पनेरी 6 ग्रेनेडियर की एक कम्पनी के सेकन्ड इन-कमांड के रूप में कार्यरत थे। इन्हें पूर्वी मणिपुर जिले के राष्ट्रविरोधियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का कार्य सौंपा गया था। इन्होंने थोड़ी-सी सूझ-बूझ और कार्यकुशलता से ही उस क्षेत्र के तनखुल नागाओं के दिलों को जीत लिया। अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के साथ-साथ, उन्होंने नागरिकों के बीच भी काफी कार्यक्रम चलाए। उनके इस उत्तम कार्य की वजह से सेना को सभी क्षेत्रों से सम्मान और आदर प्राप्त हुआ।

22 फरवरी, 1983 के दिन कैप्टन गोपी लाल पनेरी को ''प्रिपाक'' पार्टी के एक उग्रवादी को पकड़ने का कार्य सौंपा गया ऐसा विश्वास था कि इस उग्रवादी के पास काफी मात्रा में शस्त्र एवं गोला-बारूद थे, इसलिए काफी दिनों से सुरक्षा बल इसकी खोज में था। कैप्टन गोपी लाल पनेरी ने तुरन्त एक योजना बनाई, अपने आदमियों को उस बारे में बताया और अपने दल को लेकर इथापी उपोकमी गांव की ओर बढ़ गए। उग्रवादी के घर को बहुत प्रभावशाली ढंग से घेर लिया गया। सुरक्षा बल की उपस्थिति का अनुमान होते ही उग्रवादियों ने अंधेरे में वहां से भागने की कोशिश की लेकिन कैप्टन गोपी लाल पनेरी सतर्क थे। उन्हें उग्रवादियों की हरकतों का आभास हो गया। उन्होंने अपने आदमियों को उस दिशा में टार्च की लाइट डालने के आदेश दिए और खुद घने कटीले क्षेत्र में भागने वाले उग्रवादियों का 500 मीटर दूरी से पीछा करने लगे और आखिरकार एक को कब्जे में लेने में सफल हो गए। बाद में वह उग्रवादी उनके दल को उस स्थान पर ले गया जहां एक पिस्तौल छिपाई गई थी। कैप्टन गोपी लाल पनेरी द्वारा उस उग्रवादी से पूछताछ करने पर दो अन्य सशस्त्र उग्रवादियों का पता चला जो फरार थे। उस क्षेत्र में सैनिकों की उपस्थिति और फरार हुए उग्रवादियों के परिवार से पूछताछ किए जाने के कारण उन उग्रवादियों ने मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष बिना किसी शर्त आत्म-सर्मपण कर दिया।

इस प्रकार कैप्टन गोपी लाल पनेरी ने साहस, उच्च-व्यावसायिकता और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

(23) जे सी 112774 नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह, गढ़वाल राइफल्स
(प्रभावी तारीख 1 मार्च, 1983)

दक्षिण मिजोरम के जगनासूरी क्षेत्र में विरोधियों को पकड़ने के लिए 28 फरवरी, 1983 को एक कार्रवाई की गई। उपर्युक्त

कार्रवाई कुछ अपुष्ट रिपोर्ट के आधार पर की गई थी और इस क्षेत्र में पांच विशेष गश्ती टुकड़ियां भेजी गई। इनमें से एक टुकडी का नेतृत्व नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह ने किया। 26 और 27 फरवरी, 1983 को संदिग्ध क्षेत्रों में लगातार छानबीन की गई और छापे मारे गए लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला इसके बावजूद गश्ती टुकड़ियां इस क्षेत्र के दूसरे इलाकों में छानबीन करती रहीं।

1 मार्च, 1983 को करीब 05.00 बजे जगनासूरी की चौकी के कमांडर को किसी तरह यह खबर मिली कि इस जंगल के एक खास इलाके में तीन भूमिगत सैनिकों का एक गिरोह मौजूद था। उस समय सभी गश्ती टुकडियां इस क्षेत्र से दूर गश्त कर रही थीं और समय था ही नहीं। अतः चौकी कमांडर ने विशेष गश्ती टुकडी का नेतृत्व कर रहे नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह को इस क्षेत्र की छानबीन करने का आदेश दिया। इस क्षेत्र के बारे में अच्छी जानकारी होने से नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह निश्चित क्षेत्र की ओर बड़ी तेजी से बढ़े और निर्धारित समय से काफी पहले ही सुबह 6.30 बजे वहां पहुंच गए और संगठित छानबीन शुरू कर दी। जिस समय यह कार्रवाई चल रही थी तभी करीब 7.00 बजे नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह को लगभग 250-300 गज की दूरी पर दो भूमिगत विरोधी भागते हुए दिखाई पड़े जो चोटी के पीछे छिपने जा रहे थे। इनमें से एक भूमिगत विरोधी के पास एक राइफल थी। इस गिरोह ने एकदम फायरिंग शुरू कर दी मगर ऊंची-नीची जमीन और घनी झाडियां होने से कारगर नहीं हो पाई। नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह ने भागते हुए विरोधियों का पीछा करने का तत्काल निर्णय किया। इन्होंने बहुत जल्दी कार्रवाई करने की योजना बनायी और चोटी के दोनों तरफ छानबीन करने के लिए गश्ती टुकडी को दो दलों में बांट दिया। विरोधियों के बच निकलने के रास्ते को रोकने के लिए गश्ती टुकडी ने चोटी के दोनों तरफ आटोमेटिक राइफलों से गोली चलाना शुरू कर दी और हथगोले फेंके।

जंगल घना था और विरोधी का पीछा करते हुए नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह का घुटना भी एक बांस की ठूंठ से जख्मी हो चुका था फिर भी वे अपनी परवाह किए बगैर भूमिगत विरोधियों का लगातार पीछा करते गए और उनमें से एक को, उसके गोली चलाने से पहले ही दबोच लिया। उसके साथ मुठभेड में नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह ने, जो कमांडो इन्स्ट्रक्टर भी रह चुके थे, अपना कौशल दिखाया, उस पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया तथा उसे बेहथियार कर दिया। इस तरह नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बिना साहसिक हाथापाई करके एक विरोधी को पकड़ा और उसके साथ एक चीनी राइफल और 74 गोलियां बरामद कीं।

इस प्रकार नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह ने साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

(मरणोपरान्त)

(24) 584330-राइफल मैन परसु छेत्री,
गोरखा राइफल ।
(प्रभावी तारीख 6 मार्च, 1983)

6 मार्च, 1983 को राजस्थान में किसी स्थान पर सैनिक अभ्यास के दौरान एक 3 टन गाडी में आग लग गई थी। उसमें इफेंट्री ब्रिगेड हेडक्वाटर कैम्प के पेट्रोल के कैरल भरे हुए थे। आग काबू से बाहर होने के बावजूद राइफलमैन परसु छेत्री अपनी जान की परवाह किए बिना गाडी में चढ गए और कैरलों को बाहर फेंक कर आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। अभी 8-10 कैरल बाहर फेंके पाए थे कि एक कैरल फट गया और राइफलमैन परसु छेत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन आग को बढ़ने से रोक कर वे एक मोटर-साइकिल, चार हथियार और उस 3 टन गाडी को बचा लेने में सफल हो गए। राइफलमैन परसु छेत्री का शरीर 70% जल गया था और 11 मार्च, 1983 को दिल्ली छावनी के सैनिक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई ।

इस प्रकार राइफलमैन परसु छेत्री ने अपनी जान की बाजी लगाकर वीरता का परिचय दिया ।

(25) मेजर गणेश काले (आई सी-25314),
मराठा लाइट इफैंट्री ।
मराठा लाइट इंफैंट्री ।

2 मराठा लाइट इंफैंट्री, थोबाल (मणिपुर) में सी. कम्पनी कमांडर मेजर गणेश काले ने एक गुप्त सूचना के आधार पर 9 दिन तक रात-दिन व्यापक खोजबीन करने के बाद 25/26 मार्च, 1983 को उग्रवादी संगठन अर्थात पीपुल्स लिबरेशन आर्मी तथा "प्रीपाक" के दो सक्रिय सदस्यों को पकड़ लिया। इन दोनों सक्रिय सदस्यों से मालूम की गई सूचना के आधार पर मेजर काले ने 26 मार्च, 1983 को निमई सिंह जहां छिपा था उस इलाके की घेरा-बंदी कर दी और मकान की तलाशी लेनी शुरू कर दी । तलाशी के समय जैसे ही इन्होंने एक कमरे का दरवाजा खोला एक आदमी ने लम्बे चाकू से इन पर हमला कर दिया। बड़ी फुर्ती से उसके वार को बचाकर इन्होंने अपनी 9 मि. मी. ब्राउनिंग पिस्तोल के कुंदे से आक्रमणकारी पर जोर का वार किया और फिर झडप में उस पर काबू पा लिया । इस व्यक्ति से की गई पूछताछ से पता चला कि वह "प्रीपाक" संगठन का प्रमुख सदस्य था और उस संगठन के चोटी के नेताओं का पक्का सहयोगी होने के साथ-साथ इस भूमिगत संगठन में वित्त मंत्री के रूप में काम करता था ।

इस प्रकार मेजर गणेश काले ने इन उग्रवादियों को पकड़ने में बडी सूझबूझ, कर्त्तव्यपरायणता और वीरता का परिचय दिया।

(26) मेजर मोहनन पापिनी वीटिल (आई सी-23177),
मद्रास ।
(प्रभावी तारीख 12 अप्रैल 1983)

मेजर मोहनन पापिनी वीटिल 28 मद्रास रेजिमेंट में सैकिंड-इन-कमान थे जिसे फरवरी, 1981 में नागालैंड के मोन जिले में तैनात किया गया था। छुपे विरोधियों के आन्दोलन के लिए सबसे अधिक संख्या में लोग इसी क्षेत्र के थे और यहां के रहने वाले सुरक्षा-बल के खूंखार विरोधी थे। वे सरकार की कार्रवाईयों के खिलाफ विरोधियों की खुलेआम मदद कर रहे थे।

मेजर मोहनन को उनके कमान अफसर से यह निदेश मिला कि वे जनसाधारण को सुरक्षा बल की ईमानदारी से अवगत करायें और उन्हें विश्वास दिलायें कि सुरक्षा बल वास्तव में स्थानीय लोगों की सहायता करने आया है, साथ ही यह भी कि वे वहां पर एक कारगर आसूचना व्यवस्था कायम करें।

मेजर मोहनन बड़े उत्साह, निष्ठा और अपरिमित धैर्य के साथ इस कार्य में जुड गए। वे निडर होकर गांव-गांव और घर-घर जाकर हरेक आदमी से मिलते, उनसे विनय-पूर्वक बातचीत करते और उनका विश्वास जीतते। वे ज्यादातर अकेले और निहत्थे पूरी वर्दी में उनके पास जाते। इससे वहां के स्थानीय लोगों में भी उनके प्रति विश्वास की भावना जागने लगी जो अब तक सुरक्षा बल के कट्टर विरोधी थे। उन लोगों ने इन्हें अपना मान लिया

इसके साथ ही, इन्होंने उन लोगों के बीच बड़ी सूझबूझ से ऐसा छिपा प्रचार किया और उन्हें समझाया कि विरोधियों की सहायता करना और उनसे सम्बन्ध बनाये रखना बिल्कुल फायदे की बात नहीं है, साथ ही उनसे भारतीय लोगों के साथ मिल कर रहने का आग्रह किया। इस तरह इन्होंने ने एक खुफिया जाल सा बुन लिया जिससे बहुत फायदे पहुंचे।

12 अप्रैल, 1983 को मेजर मोहनन द्वारा विश्वास में लिए गए लोगों में से किसी ने यह सूचना दी कि कुछ छिपे हुए विरोधी घुसपैठ कर के निकलने के इरादे से शेंधा-तंगतैन की ओर बढ़े रहे थे। तत्काल उन लोगों को पकडने के लिए विशेष कार्रवाई शुरू कर दी गई। मोर्चे से कार्रवाई करने वाले कालम का संचालन मेजर मोहनन कर रहा थे। जिस समय वे शेंधा-तंगतैन-शेंथा-चिंगयु की पगडंडी पर आगे बढ़ रहे थे तो इन की नजर उन छुपे विरोधियों पर पड़ी इन्होंने तत्काल अपने कालम की और आई सी-31505 कैप्टन सुब्रतो मित्र के कालम को वहां पहुंचने और उन्हें जिंदा पकड़ लेने का आदेश दिया ।

इस कालम को देखते ही छिपे विरोधी छोटे-छोटे दलों में भाग निकले और घने जगल में जा छिपे। मेजर मोहनन घने जंगल के बीच के बचकर भाग निकलने वाले उन विरोधियों के पीछे भागे। एक लम्बा घेरा डालकर उनका रास्ता रोक लिया स्वयं अपनी जान की बाजी लगाकर उन भाग निकलने वाले तीन विरोधियों को पकड़ने और उनसे पूछताछ करने से बाद में और साहसिक कार्रवाई से उनके जवानों ने प्रेरणा ली, विरोधियों का पीछा किया और भागते हुए विरोधियों को भी पकड़ लिया। मेजर मोहनन द्वारा परिस्थिति का बुद्धिपूर्वक जायजा लेने और विरोधियों की अपने जवानों से घिरवा लेने से ही सभी 11 छुपे विरोधियों को जीवित पकड़ना संभव हो सका। इन छुपे विरोधियों को पकड़ने और उनसे पूछताछ करने से बाद में और भी बहुत सारे छुपे विरोधियों को पकड़ने में बड़ी मदद मिली ।

इस प्रकार मेजर मोहनन पापिनी वीटिल ने साहस और उच्च-कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

(27) जी/21578 मेट किशन लाल,

(प्रभावी तारीख 19 अप्रैल, 1983)

19 अप्रैल, 1983 को ऋषिकेश-उत्तरकाशी-हरसील सडक पर एक डोजर हटाया जा रहा था। 166.150 किलो मीटर पर अनगढ़े पत्थरों की चिनी हुई पुश्ता दीवार अचानक गिर गई जिसके फलस्वरूप इस डोजर का नदी-घाटी में उल्ट जाने का खतरा पैदा हो गया ।

जी/21578 मेट किशन लाल, कमीदल के साथ इस डोजर के साथ रहा तथा डोजर को बचाने के लिए इन्होंने बड़ी सूझबूझ तथा अदम्य साहस का परिचय दिया। ये डोजर के नीचे घुस गए और इन्होंने पत्थरों को पुनः इस ढग से लगाया जिससे डोजर तब तक खड़ा रह सके जब तक आपरेटर डोजर पर नियंत्रण नहीं पा लेता और उसे सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचा लेता।

इस प्रकार मेट किशन लाल ने डोजर और उसके चालक को बचाने में बहुत साहस और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

(28) स्क्वाड्रन लीडर कृष्ण प्रताप नारायण सिंह (11023), उड़ान (पायलट)

(प्रभावी तारीख 5 जून, 1983)

5 जून, 1983 को हिमाचल प्रदेश के दंदाचेन शिखर के निकट भयंकर बर्फानी तूफान के कारण संकट में पडे एक एन सी सी अभियान दल में स्क्वाड्रन लीडर कृष्ण प्रताप नारायण सिंह (11023) उड़ान (पायलट) को बचाव मिशन पर भेजा गया और 17,500 फुट की ऊंचाई पर बर्फ से ढके खड़ी ढाल वाले चट्टानी क्षेत्र में इन्होंने कैडेट शंकर ठाकुरी तथा नायक मुहम्मद शफी को ढूंढ निकाला। अत्यधिक सावधानी बरतते हुए तथा उल्लेखनीय उड़ान-कौशल और साहस का परिचय देते हुए 45 नाट की गति से चल रही तीव्र तिरछी हवाओं के बीच एक छोटे से चपटे स्थान पर वे हेलीकाप्टर को उतारने में सफल हुए और इस प्रकार उन्होंने घायल शंकर ठाकुरी को बचा लिया। 17,500 फुट की ऊंचाई पर अत्यंत प्रतिकूल मौसम में ऊबड़-खाबड़ भूमि पर हैलीकाप्टर को उतारने के स्क्वाड्रन लीडर के. पी. एन. सिंह के निर्णय के फलस्वरूप एक बहुमूल्य जान बच गई और अभियान दल के अन्य सदस्यों का मनोबल भी बढ़ गया।

इस प्रकार स्क्वाड्रन लीडर कृष्ण प्रताप नारायण सिंह ने कर्त्तव्य की आवश्यकता से भी आगे जाकर असाधारण व्यावसायिकता, समर्पण तथा उच्चकोटि के साहस का परिचय दिया ।

(29) स्क्वाड्रन लीडर बोमेनवल्ली नारायणप्पा रामचन्द्र (10920), उड़ान (पायलट) ।

(प्रभावी तारीख 13 अगस्त, 1983)

आंध्र प्रदेश में बाढ़-राहत कार्य के लिये एम, आई.-8 हैलीकाप्टर भेजे गए थे। स्क्वाड्रन लीडर बोमेनवल्ली नारायणप्पा रामचन्द्र (10920) उड़ान (पायलट) इनमें से एक हैलीकाप्टर के कैप्टन थे। 13 अगस्त, 1983 को रामागुंडम गांव में बाढ़ के कारण 17 व्यक्ति एक झोंपड़ी में फस गए थे जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे।

जिलाधीश, करीमगंज से संदेश प्राप्त होते ही स्क्वाड्रन लीडर रामचन्द्र अपने दल सहित हैलीकाप्टर से घटनास्थल पर पहुंचे। बाढ़ के पानी में घिरी झोंपड़ी को देखते ही इन्होंने विंचिंग आपरेशन शुरू कर दिया। लेकिन बाढ़ के प्रकोप और जिस तेजी से पानी चढ़ रहा था उसे देखते ही इन्होंने अंदाज लगा लिया कि विंच द्वारा एक-एक व्यक्ति को हैलीकाप्टर में चढ़ाने में बहुत समय लगेगा जिससे सभी 17 व्यक्तियों की जान बचाना सम्भव नहीं हो पाएगा। इसलिए इन्होंने फैसला किया कि विंचिंग आपरेशन बन्द किया जाए और हैलीकाप्टर को नीचे उतारने का प्रयास किया जाए जिससे सभी को वहां बचाया जा सकेगा ।

हैलीकाप्टर नीचे उतारने की जो थोड़ी-बहुत जगह थी उसमें बाढ़ से घिरे वहीं लोग खड़े थे इसलिए वहां नीचे उतरना संभव नहीं था। अतः इन्होंने हैलीकाप्टर को नीचे लाकर इस तरह होवर किया कि उसका दरवाजा झोंपड़ी के एकदम पास आ गया। इन्होंने फ्लाइट गनर को विंच के सहारे झोंपड़ी की छत पर कूदने का आदेश दिया और गनर ने विंच केबल को एक तगड़े आदमी की कमर से बांध कर उसकी सहायता से औरतों और बच्चों को हैलीकाप्टर में चढ़ा दिया। इस तरह उन सभी 17 व्यक्तियों को बचा लिया गया ।

इस प्रकार इस सारी कार्रवाई के दौरान स्क्वाड्रन लीडर बोमेनवल्ली नारायणप्पा रामचन्द्र ने उच्चकोटि की व्यावसायिक कुशलता, साहस और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

(30) 209669-मास्टर वारन्ट अफसर सुभाष चन्द्र सेन, फ्लाइट गनर,

(प्रभावी तारीख 13 अगस्त, 1983)

फ्लाइट गनर मास्टर वारंट अफसर सुभाष चन्द्र सेन को 13 अगस्त, 1983 को फ्लाइट गनर के रूप में एक मिशन पर भेजा गया जिसका नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर रामचन्द्र कर रहे थे और

जिसने गोदावरी नदी की उफनती हुई बाढ़ में घिरी एक झोंपडी से 17 असहाय लोगों की जानें बचाईं।

विंचिंग आपरेशन के दौरान मास्टर वारट अफसर एस सी. सेन ने देखा कि गांव वाले बेल्ट की सहायता से हैलिकाप्टर में चढ़ नहीं पा रहे थे। तब विंचिंग आपरेशन जारी रखते हुए इन्होंने हाथ के इशारे करके और चिल्ला-चिल्ला कर उन्हें विंच बेल्ट बांधना बताने की कोशिश की।

लेकिन समय की कमी के कारण स्क्वाड्रन लीडर रामचन्द्र ने विंच से काम करना बंद कर दिया और हैलिकाप्टर को झोंपडी के एकदम पास ले आए। इसके बाद मास्टर वारट अफसर सेन से कहा गया कि विंच केबल के सहारे से झोंपड़ी पर उतरें। ये बिना हिचकिचाहट के झोंपडी की छत पर कूदे और विंच केबल को एक तगड़े से आदमी की कमर में बांध कर औरतों और बच्चों को हैलिकाप्टर में चढाने में सहायता दी। इस तरह उन सभी 17 व्यक्तियों को बचा लिया गया।

इस प्रकार मास्टर वारट अफसर सुभाष चन्द्र सेन ने साहस और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

सं. 26-प्रेज/84—राष्ट्रपति हरियाणा पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री लक्ष्मण दास,
कमाण्डेन्ट,
एच. ए. पी. टुकड़ी,
दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)।
(वर्तमान में उप पुलिस महानिरीक्षक, हरियाणा)

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

हरियाणा शस्त्र पुलिस बटालियन के कमाण्डेन्ट के रूप में श्री लक्ष्मण दास को दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में तैनात किया गया था। 19 अगस्त, 1970, को सायं लगभग 6.15 बजे को जब दुर्गापुर में उप-मंडल अधिकारी और उप मंडल पुलिस अधिकारी कानून और व्यवस्था की ड्यूटी करके एक पुलिस दल के साथ वापस जा रहे थे तो कुछ बदमाशों ने, जो संख्या में 30 थे, उन पर बमों और अन्य घातक हथियारों से हमला किया। उप-मंडल अधिकारी के आदेश से पुलिस ने गोलियां चलायीं और उप मडल पुलिस अधिकारी और पुलिस दल ने भागते हुए बदमाशों का पीछा किया। श्री लक्ष्मण दास, जो दुर्गापुर में तैनात हरियाणा शस्त्र पुलिस टुकड़ी के कमाण्डेन्ट थे, बम विस्फोटों की खबर सुनने पर अपने घर से बाहर आए। उन्होंने सशस्त्र बदमाशों का पीछा किया और पूरी तरह यह जानते हुए कि बदमाशों के पास बम थे, अपने जीवन को गम्भीर खतरे में डालकर उनमें से दो को पकड लिया।

अपराधियों को पकडने के अपने प्रयास में श्री लक्ष्मण दास ने उत्कृष्ट वीरता और उच्चकोटि के साहस का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 19 अगस्त, 1970, से दिया जाएगा।

सु. नीलकण्ठन
राष्ट्रपति का उप सचिव

योजना मंत्रालय

साख्यिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनाक 3 फरवरी 1984

सं० एम० 13016/3/81-समन्वय—इस विभाग के दिनांक 29-8-1981 की अधिसूचना संख्या एम०-13016/3/81—समन्वय द्वारा गठित अन्तर्राष्ट्रीय तुलना सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति का पुनगर्ठन किया गया है जिसकी संरचना निम्नलिखित है :—

1.	डा० ए० के० घोष, उपाध्यक्ष राज्य योजना बोर्ड पश्चिम बंगाल सरकार 6 कामक स्ट्रीट, कलकत्ता-700017	अध्यक्ष
2.	प्रो० एम० मुकर्जी, अवैतनिक प्राध्यापक भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, 9-जी, गोविन्दपुर रोड, कलकत्ता-700045	सदस्य
3.	प्रो० के० एल० कृष्णा, संकाय अध्यक्ष एवं निदेशक, दिल्ली स्कूल आफ एकोनामिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007	सदस्य
5.	महा निदेशक, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली।	सदस्य
5.	सलाहकार (भावी योजना प्रभाग), योजना आयोग, योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली	सदस्य
6	डा० ए० बागेही, विशेष कार्य अधिकारी, आर्थिक कार्य विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली।	सदस्य
7	डा० पी० के० पाणि, आर्थिक विश्लेषण एव नीति विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, न्यू सेंट्रल आफिस बिल्डिग, पोस्ट बाक्स न० 103, बम्बई-400023	सदस्य
8	अपर निदेशक, राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, केंद्रीय साख्यिकीय संगठन, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली।	सदस्य-सचिव

2 समिति के कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(1) अन्तर्राष्ट्रीय तुलना परियोजना मे सयुक्त राष्ट्र साख्यिकीय कार्यालय द्वारा अपनाई गई प्रणालियो एव कार्यविधियो की समीक्षा करना तथा उनके बारे मे संभाव्य सुधारो के सम्बन्ध मे सलाह देना, और

(2) अन्तर्राष्ट्रीय तुलना परियोजना मे विभिन्न प्रावस्थाओ से सम्बद्ध तकनीकी मामलो मे मार्ग दर्शन देना ।

3 समिति की बैठको मे शामिल होने के गैर-सरकारी अधिकारियो के यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता सबंधी व्यय सामान्य नियमो के अनुसार साख्यिकी विभाग द्वारा वहन किया जाएगा । समिति का सचिवालयीय सहायता केंद्रीय सांख्यिकीय सगठन, साख्यिकी विभाग द्वारा प्रदान की जाएंगी ।

4 विशेषज्ञ समिति कार्य तब तक जारी रहेगा जब तक भारत अन्तर्राष्ट्रीय तुलना परियोजना मे भाग लेगा ।

आर० एम० सुन्दरम, अवर सचिव

गृह मत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 1984

सं० यू० 13019/7/83 ए० एन० एल०—चेतलत द्वीपसमूह के श्री एम० एम० सैयद इस्माइल कोया इस अधिसूचना के जारी होने तक की तारीख से, लक्षद्वीप के प्रशासक से संबद्ध सलाहकार समिति के, जिसका गठन 1983–84 के लिए किया गया था, सदस्य नही रहेगे ।

श्रीमति उमा पिल्लै, निदेशक

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च, 1984

नियम

सं० 10/2/84–के० से०–ii—कर्मचारी चयन आयोग, (गृह मंत्रालय) कार्मिक और शासनिक सुधार विभाग, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "घ" में अस्थायी रिक्तियो को भरने के लिए वर्ष 1984 के दौरान प्रत्येक दो महीने मे एक बार एक महीने के द्वितीय शनिवार तथा रविवार और यदि आवश्यक हुआ तो उसके बाद पड़ने वाली छुट्टी/रविवार को ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नियम जन साधारण को सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते है ।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के परीक्षा के परिणामो के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियो की सख्या का निर्धारण सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाएगा और कर्मचारी चयन आयोग को इसकी सूचना आयोग द्वारा परीक्षाओ परिणाम घोषित किए जाने से पहले दे दी जायेगी । प्रत्येक परीक्षा के लिए रिक्तियो की सख्या लगभग 50 होगी । भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित रिक्तियो के संबध मे भूतपूर्व सैनिको, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियो के उम्मीदवारो तथा शारीरिक रूप से विकलाग व्यक्तियों के लिए आरक्षण किए जायेगे ।

(1) भूतपूर्व सैनिक मे ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने संघ की सशस्त्र सेनाओं मे, जिनके अन्तर्गत भूतपूर्व भारतीय रियायतो की सशस्त्र सेनाये भी शामिल है, किन्तु जिनके अन्तर्गत आसाम राइफल्स, सेना सुरक्षा कोर जनरल रिजर्व इजीनियरी बल, लोक सहायक सेना और प्रादेशिक सेना नही आते, शपथ ग्रहण के पश्चात कम से कम छह मास की निरन्तर अवधि तक किसी रैंक मे (चाहे योद्धा के रूप मे या गैर-योद्धा के रूप मे) सेवा की है, और

(क) जिसे उसके अपने अनुरोध पर या कदाचार अथवा दक्षता के कारण पदच्युति या बर्खास्तगी के कारण के अलावा अन्य किसी रूप मे निर्मुक्त कर दिया गया है, अथवा ऐसी निर्मुक्ति तक लिए रिजर्व को स्थानान्तरित कर दिया गया है, या

(ख) जिसे यथा पूर्वोक्त निर्मुक्त या रिजर्व को स्थानान्तरित किए जाने के लिए हकदार बनने के लिए अपेक्षित सेवा की अवधि पूरी करने के लिए अधिक से अधिक छह मास सेवा करनी है; या

(ग) जिसे संघ की सशस्त्र सेनाओं में पाच वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात उसके अपने ही अनुरोध पर निर्मुक्त कर दिया गया है ।

(2) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति से ऐसे शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति (शरीर के निचले अंग) अभिप्रेत है जिन्हे शारीरिक दोष हो अथवा अग-विकृति हो जिससे कार्य करने मे हड्डी, पेशियो तथा जोड़ो मे सामान्य रूप से बाधा पैदा होती हो और जो व्यक्ति आशिक रूप से बहरे हो ।

परीक्षा में बैठने वाले शारीरिक रूप से विकलागो तथा अन्य वर्ग के व्यक्तियो को सहायक लेने की अनुमति नही दी जायेगी ।

(3) संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जन जाति), आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित जन जाति) सघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति (सूचिया) (संशोधन) आदेश 1956; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति (सशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा सशोधित संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1959; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आदेश (सशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा सशोधित, सविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962 सविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जन जाति आदेश 1962, सविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, सविधान अनुसूचित जन जाति (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, सविधान (गोआ, दमन और दीव) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1968 तथा सविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जन जातिया आदेश, 1970, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम,

1976, संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 तथा संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1978.

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट-1 में निर्धारित ढंग से ली जाएगी। प्रदेश के प्रयोजन के लिए उन्हें अपने आवेदन पत्र परिशिष्ट–ii में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सादे कागज पर भेजने होंगे। इन आवेदन पत्रों को संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा संवीक्षा के बाद परीक्षा लिए जाने वाले महीने के पूर्ववर्ती महीने की अधिक से अधिक 1 तारीख तक कर्मचारी चयन आयोग को अग्रेषित कर दिया जाएगा।

4. नियमित रूप से नियुक्त केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का कोई भी स्थायी या अस्थायी अवर श्रेणी/उच्च श्रेणी लिपिक इस परीक्षा में बैठने तथा उन रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता करने का पात्र होगा।

4 (1) सेवाकाल : उसने "निर्णायक तारीख" को (जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा समूह "घ") प्रतियोगिता परीक्षा (विनियम, 1969 के विनियम 2 (क) में परिभाषित है] केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड अथवा उच्च श्रेणी ग्रेड में कम से कम 2 वर्षों की अनुमोदित और लगातार सेवा पूर्ण कर ली हो।

टिप्पणी :—2 केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड या उच्च श्रेणी के वे अधिकारी जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नि:संवर्ग पदों में प्रतिनियुक्ति पर हैं, यदि अन्यथा पात्र हों तो इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। यह शर्त उस अधिकारी पर भी लागू होती है जो स्थानान्तरण पर किसी नि:संवर्ग पद पर या किसी अन्य सेवा में नियुक्त किया गया है और यदि उस अधिकारी का केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च श्रेणी ग्रेड में फिलहाल कोई पूर्व ग्रहणाधिकार चलता जा रहा हो।

टिप्पणी :—3 अवर श्रेणी या उच्च श्रेणी ग्रेड में नियमित रूप में नियुक्त अधिकारी का अर्थ उस अधिकारी से है जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम 1962 के आरम्भ में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के किसी संवर्ग में आबंटन हो या उसके पश्चात् उस सेवा की अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च ग्रेड में दीर्घकालीन आधार पर जैसी भी स्थिति हो, निर्धारित कार्य पद्धति के अनुसार नियुक्त हों।

(2) आयु : इस परीक्षा के लिए किसी उम्मीदवार की आयु "निर्णायक तारीख" को (जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा समूह "घ") (प्रतियोगिता परीक्षा विनियम, 1969 के नियम 2 (ख) में परिभाषित है) 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(3) उन भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में जिन्होंने संघ की सशस्त्र सेना में सत्यापन के बाद कम से कम छः महीने की निरन्तर सेवा की हो, सशस्त्र सेना उनकी कुल सेवा में तीन वर्ष की वृद्धि तक ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इस आयु छूट के अधीन परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित अथवा अनारक्षित सभी रिक्तियों के लिए प्रतियोगी होने के हकदार होंगे।

टिप्पणी :—उपरोक्त नियम 3 के प्रयोजन के लिए कि भूतपूर्व कर्मचारी की सशस्त्र सेना में आवाह्न पर सेवा ("काल आफ सर्विस") की अवधि भी सशस्त्र सेना में की गई सेवा के रूप में समझी जाएगी।

5. ऊपर बताई गई अधिकतम सीमा में निम्नलिखित मामलों में और ढील दी जा सकेगी :—

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक।

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जन जाति का हो तो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का सद्भाविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से सदभाव पूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का हो और श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

(vi) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया उगांडा या तंजानिया संयुक्त गणराज्य से प्रव्रजन किया हो या जाम्बिया, मलावी, जेरे और इथोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(vii) यदि उम्मीदवार बर्मा से सदभाव पूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(viii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो और वर्षों से सदभाव पूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो तथा उसने 1 जून 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

(ix) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किए गये रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(x) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष मे या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किये गये ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के हों, तो अधिक मे अधिक 8 वर्ष तक।

(xi) 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाही में विकलांग होने के परिणाम स्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए ऐसे सीमा सुरक्षा बल के रक्षा कार्मिकों के लिए अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(xii) 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाही में विकलांग होने के परिणाम स्वरूप सेवा से निर्मुक्त सीमा सुरक्षा बल के उन रक्षा कार्मिकों के लिए जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के हों, अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

(xiii) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय परिपत्र हो) और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकाल का प्रमाण-पत्र है, और जो वियतनाम से जुलाई, 1975 से पहले भारत नहीं आया ह, तो उसके लिए अधिक से अधिक 3 वर्ष;

(xiv) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का है तथा भारत मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति (भारतीय पारपत्र-धारी) है तथा साथ ही वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी आपातकाल प्रमाण पत्र रखने वाला ऐसा उम्मीदवार है जो वियतनाम में जुलाई, 1975 के बाद आया है तो अधिकतम आठ वर्ष तक, और

(xv) यदि उम्मीदवार शारीरिक रूप से विकलांग हो अर्थात् जिसका कोई अंग विकृत है और वह आंशिक रूप से बहरा है तो अधिक से अधिक 10 वर्ष।

ऊपर की गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती है।

6. परीक्षा में असफल होने वाला उम्मीदवार अगली परीक्षा में बैठने का पात्र नही होगा, परन्तु उससे अगली या उसके बाद की ही परीक्षा में बैठने का पात्र होगा।

7. ऐसे किसी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा जिसके पास आयोग द्वारा दिया गया प्रवेश पत्र न हो।

8. सामान्य उम्मीदवारों को रु० 8.00 (केवल रु० आठ) तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को रु० 2.00 (केवल रु० दो) की निर्धारित फीस पोस्टल आर्डरों या बैंक ड्राफ्टों के द्वारा देनी होगी। भूतपूर्व सैनिकों द्वारा कोई फीस नहीं दी जानी है।

9. अपने उम्मीदवारों के लिये किसी भी साधन द्वारा समर्थन प्राप्त करने के प्रयास किए जाने से प्रवेश के लिए उसे अनर्हक किया जा सकेगा।

10. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने :—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति के छदम रूप से कार्य साधन कराया है अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिया है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया ह, अथवा

(vii) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या

(viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो, या

(ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, या

(x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो,

(xi) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से, जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए —

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

11. परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को आयोग द्वारा एक सूची में प्रत्येक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिये गये कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम के अनुसार रखा जाएगा और इसी क्रम में उतने उम्मीदवारों को, जितनों को आयोग द्वारा, उत्तीर्ण समझा जाएगा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड "घ" के पदों में परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली अनारक्षित रिक्तियों की संख्या तक नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाएगी।

लेकिन यह भी शर्त है कि यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षित रिक्तियों की संख्या न भरी गई हो तो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित सामान्य स्तर के अनुसार उस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए उपर्युक्त घोषित कर देने पर उसे सेवा/पद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों पर नियुक्ति की जाने के लिए परीक्षा में उसके योग्यता क्रम के स्थान पर ध्यान किए बिना ही उसकी सिफारिश कर दी जाएगी। आयोग द्वारा जिन भूतपूर्व सैनिकों को परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति के लिए उपर्युक्त समझा जाएगा वे उनके लिए आरक्षित रिक्तियों में नियुक्त होने के पात्र होंगे चाहे इस परीक्षा के योग्यता क्रम मे उनका कोई भी स्थान हो।

परन्तु यह भी कि यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों से संबंधित भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों, तो आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट दे कर, चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान हो, सेवा में चयन करने के लिए उनकी सिफारिश की जाए बशर्ते कि ये उम्मीदवार इन सेवाओं में चयन के लिए उपयुक्त हों।

परन्तु यह भी कि यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का कोई भूतपूर्व सैनिक चुन लिया जाता है तो उसके चयन की गणना आरक्षण के ऐसे सम्पूर्ण कोटा के प्रति की जाएगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के लिए उपबन्धित किया जाए।

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को यह भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक। परीक्षा के लिए परिणामों के आधार पर सेवा के ग्रेड "घ" में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या निश्चित करने के लिए सरकार पूर्णतः सक्षम है। अतः किसी भी उम्मीदवार का इस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर, एक अधिकार के तौर पर ग्रेड "घ" आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं होगा।

12. अलग-अलग उम्मीदवारों के परीक्षा-परिणामों की सूचना के स्वरूप तथा प्रकार के बारे में आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार निर्णय किया जाएगा और आयोग उसके साथ परीक्षाफल के बारे में कोई पत्राचार नहीं करेगा।

13. परीक्षा में सफलता मात्र से ही चयन का तब तक कोई अधिकार नहीं मिलता जब तक कि सरकार द्वारा यथावश्यक जांच पड़ताल न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा में अपने चरित्र की दृष्टि से चयन के लिए सब प्रकार से उपयुक्त है।

वह उम्मीदवार जो परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने के पश्चात अथवा उस में बैठने के पश्चात अपने पद से त्याग पत्र दे देता है अथवा सेवा को अन्यथा छोड़ देता है। अथवा उसके साथ विच्छेद कर लेता है, उसके विभाग द्वारा उसकी नौकरी समाप्त कर दी जाती है अथवा जो उम्मीदवार, "स्थानान्तरण" पर किसी संवर्ग वाह्य पद अथवा किसी दूसरी सेवा में नियुक्त किया जाता है और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में उसका पूर्ण ग्रहणाधिकार नहीं होता है उस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

किन्तु यह उस उम्मीदवार पर लागू नहीं होता जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है।

एच० जी० मंडल, अवर सचिव

परिशिष्ट—1

उम्मीदवारों को अंग्रेजी में या हिन्दी में 10 मिनट की एक श्रुतलेख की परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से देनी होगी। जो उम्मीदवार अंग्रेजी परीक्षा देने का विकल्प करेंगे उन्हें 65 मिनट में लिप्यंतर करना होगा

और जो उम्मीदवार हिन्दी में परीक्षा देने का विकल्प करेंगे उन्हें क्रमश: 75 मिनट में लिप्यन्तर करना होगा। आशुलिपि परीक्षा के लिए अधिकतम अंक 300 होंगे।

टिप्पणी :—जो उम्मीदवार आशुलिपिक परीक्षा हिन्दी में देने का विकल्प लेंगे उन्हें अपनी नियुक्ति के बाद अंग्रेजी आशुलिपि और जो उम्मीदवार आशुलिपि की परीक्षा अंग्रेजी में देने का विकल्प लेंगे उन्हें हिन्दी आशुलिपि सीखनी होगी।

2. उम्मीदवारों को अपने आशुलिपि के नोटों का टाइपराइटर पर लिप्यांन्तरण करना होगा और इस प्रयोजन के लिये उन्हें अपने साथ अपने टाइपराइटर लाने होंगे।

परिशिष्ट—II

प्रपत्र

कर्मचारी चयन आयोग

ग्रेड "घ,, आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा

अन्तिम तारीख—परीक्षा के महीने में पहले के महीने का 10 तारीख

यहां उम्मीदवार के पासपोर्ट साइज के फोटो की हस्ताक्षरित प्रति चिपकाई जाए। दूसरी हस्ताक्षरित फोटो की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

(1) पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट का विवरण और मूल्य

(2) उम्मीदवार का नाम श्री/श्रीमती/कुमारी (साफ अक्षरों में)

(3) सही जन्म तिथि (इस्वी सन में)

(4) जिस कार्यालय में कार्य कर रहे हो उसका नाम तथा पता

(5) क्या आप :—

(i) अनुसूचित जाति _____

(ii) अनुसूचित जन जाति _____

(iii) भूतपूर्व सैनिक _____

(iv) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हैं? _____

तो उत्तर हां अथवा नहीं में दें।

(6) (i) पिता का नाम

(ii) पति का नाम (महिला उम्मीदवार के मामले में)

(7) जिस भाषा (हिन्दी अथवा अंग्रेजी) में आप आशुलिपिक परीक्षा देना चाहते हो, उसका नाम लिखें।

(8) क्या आप पिछली परीक्षा में बैठे थे यदि हां तो अपना रोल नम्बर तथा परीक्षा का महीना लिखें।

(9) क्या आप केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड/उच्च श्रेणी ग्रेड के स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अधिकारी हैं? और क्या आपने उस वर्ष की पहली जनवरी को जिसमें परीक्षा होनी है संगत ग्रेड में न्यूनतम दो वर्ष की अनुमोदित लगातार सेवा कर ली है।

(10) यदि आप सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर है अथवा संवर्ग वाह्य पद पर स्थानान्तरण के आधार पर है तो क्या आप पूर्व पद पर अपना धारणाधिकार (लियन) रखेंगे।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

उस कार्यालय के विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाने के लिए जिसमें उम्मीदवार सेवा कर रहा है।

प्रमाणित किया जाता है कि :—

(1) आवेदन पत्र के कालमों में उम्मीदवार द्वारा की गई प्रविष्टियों को उसके सेवा रिकार्डों मे जांच कर ली गई और वे सही हैं।

(2) उसके आवेदन पत्र की जांच कर ली गई है और प्रमाणित किया जाता है कि वह नियमों में निर्धारित

सभी शर्तों को पूरा करता है तथा वह परीक्षा में बैठने के लिए सभी तरह से पात्र है ।

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
विभाग/कार्यालय

संख्या———————
तारीख

टिप्पणी:— जो उम्मीदवार एक बार फेल हो जाता है वह केवल अगले तीनों महीनों के बाद की परीक्षा में बैठ सकता है अर्थात जो उम्मीदवार अप्रैल में ली जाने वाली परीक्षा में फेल हो जाए तो वह अगस्त अथवा उसके बाद होने वाली परीक्षा 2 में बैठ सकता है ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी 1984

संकल्प

सं० वी० 11014/6/83-एन० एम० (सी० एम० ओ०) भारत सरकार ने संचार संबंधी एक टास्क फोर्स का गठन किया है । इस टास्क फोर्स में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(1)	संयुक्त सचिव (प० क०) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	अध्यक्ष
(2)	सलाहकार (विपणन), परिवार कल्याण विभाग	सह-अध्यक्ष
(3)	चीफ मीडिया, परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
(4)	सेल्स प्रोमोशन एग्जीक्यूटिव	सदस्य-संयोजक
(5)	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का एक नामजद अधिकारी	सदस्य
(6)	दुरदर्शन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का एक नामजद अधिकारी	सदस्य
(7)	आकाशवाणी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का एक नामजद अधिकारी	सदस्य
(8)	राज्य एम० ई० एम० अधिकारी, केरल सरकार	सदस्य
(9)	उप-निदेशक (एम० ई० एम०), उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
(10)	सहायक निदेशक (एम० ई० एम०), गुजरात सरकार	सदस्य
(11)	राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, का एक नामजद अधिकारी	सदस्य
(12)	भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली का एक नामजद अधिकारी	सदस्य
(13)	आई० टी० सी० लिमिटेड के श्री सतीश मेहता अथवा उनका नुमाईदा	सदस्य
(14)	यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के श्री आर० एम० नायर अथवा उनका नुमांइदा	सदस्य
(15)	स्वास्थ्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य
(16)	डा० श्रीमति इंदिरा कपूर, प्रभारी अधिकारी परिवार कल्याण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, बम्बई ।	सदस्य
(17)	अध्यक्ष/महाप्रबन्धक, हिदुस्तान लेटैस्क लिमिटेड, त्रिवेंद्रम ।	सदस्य
(18)	आपरेशन रिसर्च ग्रुप से एक नामजद अधिकारी	सदस्य
(19)	हिन्दुस्तान थाम्सन एसोसिएट लिमिटेड का एक नामजद अधिकारी	सदस्य

2. विचारार्थ विषय :—

(1) सामाजिक विपणन परियोजना में की गई परिकल्पना के अनुसार यह टास्क फोर्स मर्भ-निरोधक विपणन संगठन के सूचना, शिक्षा और संचार के लिए कार्यनीति तैयार करेगा और सूचना शिक्षा और संचार संबंधी प्रशिक्षण क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार शीर्षस्थ संस्थान को नीति संबंधी शिक्षा निर्देश प्रदान करेगा । यह टास्क फोर्स चार महीनों के अन्दर-अन्दर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा ।

(2) इस टास्क फोर्स को अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए दूसरे विशेषज्ञों को सहयोजित/आमंत्रित करने की शक्ति होगी ।

3. इस टास्क फोर्स के गैर-सरकारी सदस्य इसकी बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार के नियमों के उपबन्धों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे । समिति के जो सदस्य सरकारी कर्मचारी है, वे यथा स्वीकार्य यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते उसी स्रोत से प्राप्त करेंगे जिससे वे अपना वेतन प्राप्त करते हैं ।

4. इस पर होने वाला खर्च मांग संख्या 49—परिवार कल्याण, मुख्य शीर्ष "281" ए-7(6) निरोध योजना ; ए-7(6)(2) यात्रा खर्च (योजना) 1983—84 एवं 1984—85 के नामे डाला जाएगा ।

जे० एस० कांग, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकाता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी 1984

स० 8—25/23—पी० पी० एस०—इस विभाग की अधि-सूचना संख्या 16—10/58-पी० पी० एस० दिनांक 4 जुलाई 1961 तथा सं० 8-10/74 पी० पी० एस० दिनांक 20 फरवरी

1975 में गुजरात के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निरीक्षण, धूमीकरण या रोगाणुनाशन के लिये तथा विदेशों, जिनकी सरकारें इस प्रकार के प्रमाण-पत्र की अपेक्षा करती है को निर्यात करने के लिये सयंत्रों तथा सयंत्र परियोजनाओं के संबंध में पादम-स्वच्छता प्रमाण पत्र मंडूर करने के लिये प्राधिकृत व्यक्तियों की सूची में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए ।

वनस्पति संगरोध अधिकारी, वनस्पति संगरोध तथा धूमीकरण केन्द्र, कृषि विभाग, जामनगर ।

ए० एम० सिंह, अवर सचिव

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

(पुस्तक प्रोन्नति प्रभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 18 जनवरी 1984

स० एफ० 7–17/79-पु० प्रो०-II—भारत सरकार के संकल्प सं० एफ० 7–17/79-पु० प्रो०-II दिनांक 15 सितम्बर 1983 के पैरा 5 के अनुसरण में श्री सुरेन्द्र झा, सम्पादक "साईस एज" नेहरु केन्द्र, बम्बई को व्यक्तिगत हैसियत से राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद् की प्रथम बैठक की तारीख से चार वर्षों की अवधि के लिए परिषद् के सदस्य के रूप में नामजद किया जाता है ।

मनमोहन सिंह, संयुक्त सचिव तथा
वित्त सलाहकार

ऊर्जा मंत्रालय

कोयला विभाग

नई दिल्ली दिनांक 29 फरवरी 1983

संकल्प

सं० 11/2/83-सी० एल०—कोयला सलाहकार परिषद् के पुनगर्ठन संबंधी इस विभाग के संकल्प सं० 11/2/83-सी० एल० दिनांक 17 जनवरी, 1984 में आंशिक संशोधन करते हुए सदस्यों की सूची में क्रम सं० 55 से 59 तक निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

55. इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के छह प्रतिनिधि
56. आल इंडिया ट्रेड यूनियन काग्रेस के तीन प्रतिनिधि
57. सेंटर आफ़ इंडियन ट्रेड यूनियनन्स के तीन प्रतिनिधि
58. हिन्द मजदूर सभा का एक प्रतिनिधि
59. भारतीय मजदूर संघ का एक प्रतिनिधि

समय सिंह, अवर सचिव

(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 1984

विषय —उत्तर ताष्ती सी–I संरचना) क्षेत्र के 113.75 वर्ग किलो मीटर (अपतट) क्षेत्र के लिए तेल एंव प्राकृतिक गैस आयोग को पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति ।

सं० ओ०–12012/42/83—प्रीडक्शन—पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हूए केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तेल भवन देहरादून (जिसको इसके बाद आयोग कहा जायेगा) के उत्तर ताष्ती सी–I) संरचना क्षेत्र के 113.75 वर्ग किलीमीटर (अपतट) क्षेत्र में पैट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 20-4-1983 से 4 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है। इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिये गये हैं ।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पैट्रोलियम के संबंध में होगा ।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाये गये तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केंद्रीय सरकार को देगा ।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जाएगी :

(i) समस्त अशोधित तेल तथा केसिंग हैड कन्डेन्सेट पर 61/– रुपये प्रति मी० टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में यह दर केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी ।

(iii) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पैट्रोलियम विभाग, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को की जायेगी ।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कन्डेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्व तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा । यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिये गये प्रपत्र में भरकर देना होगा ।

(ड) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम II की आवश्यकता के अनुसार आयोग 6000 रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा ।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी ।

1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए	4 रु०
2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए	20 रु०
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए	100 रू०

4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए 200 रु०

5. लाइसेंस के नवीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए 300 रुपये ।

(छ) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम II के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी ।

(ज) आयोग केंद्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों व्ययन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा ।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा ।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र नियंत्रण और विकास अधिनियम, 1948 (1948 का 53) और पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबन्ध लागू होंगे ।

(ट) पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक जैसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा ।

अनुसूची "क"

उत्तर ताप्ती क्षेत्र के भू-वैज्ञानिक निर्देशांक के ब्यौरे

(अपतटीय)

	रेखांश				अक्षांश			
बिन्दु "ए"	72°	18′	00″	ई	21°	04′	00″	एन
बिन्दु "बी"	72°	30′	00″	ई	21°	06′	00″	एन
बिन्दु "सी"	72°	30′	00″	ई	21°	04′	00″	एन
बिन्दु "डी"	72°	18′	00″	ई	21°	00′	00″	एन

अनुसूची—ख

अशोधित तेल, केसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण।

उत्तर ताप्ती (सी–I संरचनाएं के लिए पैट्रोलियम अन्वेषण (अपतट क्षेत्र)

क्षेत्रफल 11/375 वर्ग कलोमीटर (अपतटक्षेत्र)

माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये किलो लीटरों की सं०	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये लीटरों की सं०	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त किलो लीटरों की सं०	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख—केसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल किलो लीटरों की सं०	अपरिहार्य रुप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये किलो लीटरों की संख्या	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये किलो लीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त किलो लीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग—प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं, श्री———————————————सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है. उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्य निष्ठा से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर———————————

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम पर ।

दिनांक 29 फरवरी 1984

आदेश

विषय : गोदावरी क्षेत्र (अपतटीय) के 733.593 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र मे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को आदेश संख्या 12012/5/80—उत्पादन दिनांक 30-6-1980 के अधीन दिया गया पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस । प्रथम नवीकरण ।

सं० 12012/5/80—उत्पादन—पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 (जैसा समय-समय पर संशोधित किया गया) के नियम 10 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार ने ऊपर उल्लिखित सरकारी आदेश के अधीन तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को पहले ही प्रदान किये गये मौजूदा पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस का 30-11-1983 से एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए (अर्थात् 30-11-1983 से 29-11-1984 तक की अवधि के लिए) प्रथम नवीकरण किया है ।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम पर ।

विनय बंसल, निदेशक (ई)

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 1984

No. 24-Pres/84.—The President is pleased to approve the award of 'KIRTI CHAKRA' to the undermentioned persons for act of conspicuous gallantry :—

1. 131152 NAIK RAM BAHADUR CHHETRI, ASSAM RIFLES.

(Posthumous)

(Effective date of the award : 18th December, 1980)

On the 18th December, 1980, at 3.45 P.M., while escorting his commander in a jeep carrying essential supplies from MON RC 4303 to the border out-post Singhachingnyu RC 5294, Naik Ram Bahadur Chhetri, Assam Rifles, and his Commander were ambushed by a group of approximately 30 undergrounds from a well sited and prepared position. A heavy volley of rockets and automatic fire were brought on the vehicle. The front left wheel of the vehicle was hit by a rocket immob lising it instantaneously. The driver was killed and cut into two by a rocket splinters. Despite being hit, he jumped out of the vehicle and brought his Machine Carbine into immediate action firing two to three bursts. He simultaneously tried to reach a position where he could be more effective. However, his fire power could not match the concentrated volume of fire by a vastly superior number of undergrounds firing from all directions. Yet even in the face of imminent death Naik Ram Bahadur Chhetri continued to return fire until the very end.

Naik Ram Bahadur Chhetri thus displayed fearlessness, bravery and extreme devotion to duty in the face of imminent death.

2. SHRI MOHD. YAKUB ALI, SECONDARY GRADE TEACHER, JUNIOR BASIC AIDED ELEMENTARY SCHOOL, RAJAHMUNDRY

(Posthumous)

(Effective date of the award : 13th December, 1981)

Shri Mohd. Yakub Ali, a Secondary Grade Teacher of the Junior Basic Aided Elementary School, Rajahmundry, was travelling in the Vijawada-Kakinada passenger train on the night of 12/13th December, 1981. While the train was running between Nawabpet and Marampally stations, four persons armed with knives attacked some passengers including two ladies in a compartment and robbed them of their gold ornaments, wrist watches etc. While the robbery was going on, Shri Mohd Yakub Ali emerged from the toilet and understanding the situation, tried to catch hold of one of the persons. A robber inflicted him a knife-blow. In the meanwhile, the train reached the outer signal of Marampally station and the dacoits started jumping out of the running train along with booty The already injured Yakub Ali made another valiant attempt to catch hold of one of them and in the process received another knife-blow on his chest which proved fatal and he died within minutes

Shri Mohd Yakub Ali thus displayed exemplary courage, a high degree of sense of civic responsibility and a spirit of supreme self-sacrifice disregarding the risk involved to his own life.

3. CAPTAIN KARNI SINGH RATHORE (IC-37049), RAJPUTANA RIFLES

(Effective date of the award : 13th April 1982)

Captain Karni Singh Rathore moved to Imphal during March, 1981 when the insurgency in and around Imphal town was at its height. He was initially located with his company at Singjemei post located in the heart of the Imphal town Captain Karni Singh Rathore quickly adopted himself to the prevailing situation in Urban insurgency and led a number of successful missions in which he displayed conspicuous gallantry of a very high order.

On the 13th April, 1982, Captain Karni Singh Rathore led a commando task force in Kadampakpi Khunao (Imphal) to cordon a hut in which a large number of extremists had taken dominating firing positions. He led his team braving the heavy and intense firing from close range and cordoned the hut successfully. He moved and adjusted his team members under heavy fire and successfully plugged all routes of escape. Meanwhile the insurgents who comprised, the hard-core of the People's Liberation Army, Manipur, refused to surrender in spite of repeated warning and put up a stiff resistance. The hut was eventually set on fire to flush out the insurgents. As the hut was set on fire, Captain Karni Singh Rathore moved from point to point exhorting his team members and fired personally at the fleeing insurgents. On noticing that one insurgent was trying to escape through a window, Captain Karni Singh Rathore unmindful of the personal safety got up from lying position, took a Rifle from a soldier and shot the insurgent dead who was later identified as Thongam Kunj Bihari alias Raghu, the Chairman of People's Liberation Army. Captain Karni Singh Rathore kept firing at other insurgents who were also firing back. Realising that some of the killed and wounded insurgents were getting trapped in the blazing hut, Captain Karni Singh Rathore unmindful of his personal safety entered the collapsing hut and retrieved dead and injured insurgents. During this action nine hard core members of People's Liberation Army including its Chairman were killed or captured.

Captain Karni Singh Rathore thus displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty.

4. SHRI SURESH KUMAR, S/o SHRI UMRAO SINGH, R/o B-35 M.C.D. COLONY, AZADPUR, DELHI.

(Posthumous)

(Effective date of the award : 28th May, 1982)

On the 28th May, 1982, Smt. Santosh W/o Shri Raj Kumar, resident of 173/55, Rameshwar Nagar, Delhi, was attacked by an unknown person when she was returning to her house after purchasing vegetables from Naniwala Bagh, Azadpur, Delhi. The incident occurred when she was passing through a dark area On hearing her shricks, Shri Suresh Kumar rushed to her aid and grappled with the assailant who stabbed him on the chest. As a result, Shri Suresh Kumar fell down and the culprit managed to escape. Shri Suresh Kumar was taken to the Hospital where he succumbed to his injuries

Shri Suresh Kumar thus displayed an act of conspicuous bravery, high degree of sense of civic responsibility and promptitude and sacrificed his life in the process.

5 SHRI ARVINDER PAL SINGH, RESIDENT OF A-227, DDA COLONY, NEW RANJIT NAGAR, NEW DELHI.

(Effective date of the award : 17th October 1982)

On the night of 16th/17th October, 1982, at about 2.00 A.M., some robbers entered House No. A-306, DDA Colony, New Ranjit Nagar, New Delhi. They over-powered Shri Baldev Raj, the owner of the house and snatched a golden chain from him On an alarm raised by Shri Baldev Raj, his wife woke up but she too was over-powered by them.

On hearing the alarm, the neighbours rushed to their rescue. The robbers, seeing the people coming towards the house, fled Shri Arvinder Pal Singh, a neighbour challenged the fleeing robbers and caught hold of one of them. The robber in a desperate bid to escape from the clutches of Shri Singh fired at him. Shri Singh received injuries on his fore-head left eye and head. He was rushed to the Willingdon Hospital but the doctors could not save his eye.

Shri Arvinder Pal Singh thus exhibited civic responsibility of a very high order, courage and an act of conspicuous gallantry.

6. SHRI ASHOK KUMAR SHARMA,
S/o SHRI GIRRAJ KISHORE SHARMA,
AT KACHEHRI GHAT (AREA),
DISTRICT AGRA.

(Posthumous)

(Effective date of the award : 17th October 1982)

On the 17th October, 1982, at about 11 00 P.M., a group of dacoits robbed a firm called Laxminarain Omparkash in Agra After inflicting knife injuries to four persons of the firm they locked them in a cell The proprietor of the firm, Shri Ganga Saran arrived on the scene He was also overpowered by the dacoits and attacked He was belaboured to open the safe.

A motor-cycle happened to pass through the rear road Thinking that it was the police, the dacoits started fleeing out of the godown of the firm Availing this opportunity, Shri Ganga Saran along with his Munim rushed towards the roof However, the robbers gave them a chase and consequently they fell into the house of Shri Ashok Kumar Sharma on the rear This led to a commotion in the house. Shri Ashok Kumar Sharma, who was taking milk at a halwai shop, heard the noise and chased the fleeing dacoits. He cought hold of one of them and pinned him to the ground and challenged the other As Shri Ashok Kumar Sharma rushed to chase the second dacoit, another dacoit shot him in the chest as a result of which he succumbed to his injuries

Shri Ashok Kumar Sharma, who was just 17 and unarmed thus displayed exemplary valour in facing the dacoits at the cost of his own life

7. 4174027 SEPOY UMESH CHANDRA,
KUMAON.

(Posthumous)

(Effective date of the award : 11th December, 1982)

On the 11th December, 1982, a party consisting of one Junior Commissioned Officer and eight other Ranks of 4 Kumaon Battalion was proceeding towards an out-post of their Unit to extricate five personnel of the out-post who had got stranded due to extremely bad weather in the high altitude area

Sepoy Umesh Chandra was in the lead and had to beat down the soft snow coming to over waist height to make a path for the party to proceed The members of this party had a rope tied around their waist connecting leading Sepoy Umesh Chandra to the last man of the party. The area through which the party had to proceed was highly avalanche prone.

All of a sudden, the noise of a sharp blast was heard and it was seen that a large avalanche was sliding towards the party. Sepoy Umesh Chandra in total disregard of his own safety anchored himself firmly by planting the rod he was carrying deep into the snow and shouted to the others to hold on to the rope strongly The slide hit Sepoy Umesh Chandra who maintained his position stead fast

The members of the party gradually thereafter extricated themselves from the rear By the time the party reached Sepoy Umesh Chandra who had borne the brunt of the avalanche, he was found burried deep in snow in an unconscious condition but still holding firmly to the stick planted in the snow In spite of best efforts, he could not be revived and died shortly thereafter

Sepoy Umesh Chandra thus displayed conspicuous courage with total disregard to his personal safety.

8 4059855 RIFLEMAN SRIPAL CHAND
GARHWAL RIFLES

(Effective date of the award : 28th December, 1982)

Rifleman Sripal Chand of 5 Garhwal Rifles formed part of a patrol which had set out from Parva on the night of the 27th December, 1982 to recounter Mizo National Front (MNF) hostiles who were reported in a nearby area.

On the 28th December, 1982 Rifleman Sripal Chand was the leading scout of the patrol when it was searching a nullah in the thickly forested area. At about 9.25 A.M. he was suddenly fired upon from the jungle. One of the bullets hit him fracturing his left arm and injuring his spine. Although bleeding from his arm, he kept his presence of mind and spotted the three jhoom huts from where the fire was coming. Showing utter disregard for his own safety, he effectively returned the fire and also indicated the area to the scout group commander Havildar Darwan Singh Negi. His prompt response enable the patrol leader to return the initiative and to launch a lightening attack on the position which led to the capture of a large quantity of arms and ammunition.

Rifleman Sripal Chand thus displayed conspicuous gallantry, presence of mind and devotion to duty of a high order.

9. MAJOR NEELAKANTAN JAYACHANDRAN NAIR (IC 25070), MARATHA LIGHT INFANTRY

(Effective date of the award : 13th February, 1983)

Major Neelakantan Jayachandran Nair had been commanding a rifle company in Mamit area in Mizoram since January, 1980.

On 8th February, 1983, two patrols, one special mission boat patrol led by Major Neelakantan Javachandran Nair and a second patrol on foot to cover the move on the eastern side of the river Pakwa, set out of Mamit on prior information After a gruelling march of 25 kilometres over inhospitable terrain, devoid of any track, his unconventional patrol reached the river line on 11th February, 1983 and then proceeded by boat dressed as the local boatmen.

On the 13th February, 1983, the patrol halted at a predesignated point on the river line and lay in wait. Soon after, two undergrounds came along as expected and were completely tricked into believing that the patrol was really the local boatmen The patrol leader remained very cool, calm and collected. He approached one of the underground armed with a rifle On realising that they were trapped, both the hostiles quickly aimed their weapons to shoot Major Neelakantan Jayachandran Nair. In the course of exchange of fire, Major Nair was fired at by one of the undergrounds at point blank range The bullet pierced both the thighs of Major Neelakantan Jayachandran Nair and wounded him seriously. However, he shot dead one of the insurgents and turned to deal with second But, before he could do so, the second hostile jumped into the river. Though he was bleeding profusely he continued to direct his patrol effectively and jumped into the river, in spite of his delicate condition to chase the underground who was trying to make good his escape The officer in spite of the injury continued to guide the patrol till he was evacuated by air to Silchar next day

Major Neelakantan Jayachandran Nair thus exhibited conspicuous gallantry and courage unmindful of his personal safety.

10. SQUADRON LEADER HARI NATH CHATURVEDI, VM (11161) MEDICAL.

(Effective date of the award : 19th February, 1983)

Squadron Leader Hari Nath Chaturvedi (11161), Medical, was selected as a medical officer of the Second Indian Scientific Expedition to Antarctica 1982-83, where he organised medical cover during the entire expedition, under extremely unfavourable weather conditions.

On the 19th February, 1983, when only three scientists remained at the Antarctic Base Camp, Sqn Ldr Chaturvedi volunteered to stay back at the Camp rather than return to the relative comforts of the ship During the early hours of the morning, the camp was struck by a severe blizzard with a wind velocity of 130 kmph when visibility became almost Zero and temperature fell to —15 deg C Within minutes the entire camp was a scene of utter destruction and devastation. All the tent-housing, the scientific equipment and the kitchen were uprooted and buried under layers of snow Even the permanent hut erected there could not withstand the fury of the blizzard, and both of its doors were blown away per-

mitting an unrestricted entry of snow. Venturing out, even from this meagre shelter was fraught with danger of being hit by camp stores flying around, and getting lost due to the zero visibility.

Sqn Ldr Chaturvedi, in utter disregard to his personal safety and at great peril to his own life, tied himself to the end of a long rope, anchored to the hut, and went from ravaged tent to tent, trying to salvage and keep in safety whatever equipment and stores he could.

By nightfall, one of the members became seriously ill and another started showing signs of hypothermia. The medicine box could not be traced during the earlier attempts. Sqn Ldr Chaturvedi though himself exhausted, again went out and by sheer determination and dedication was successful in retrieving the medicines which he administered to the ailing members and kept a vigil on them till they improved.

The entire nightmare of the blizzard lasted for fifty-two hours. During this entire period, with very limited food and almost no shelter. Sqn Ldr Chaturvedi displayed professionalism of the highest kind and a sense of devotion to duty beyond call. But for his initiative and courage, most of the sophisticated and extremely costly scientific equipment would have been destroyed and the invaluable data collected and recorded during the entire period of expedition lost.

Squadron Leader Hari Nath Chaturvedi thus displayed exceptional courage, conspicuous gallantry and devotion to duty of a very high order.

11. 17732 NAIK TEK BAHADUR THAPA, ASSAM RIFLES.

(Posthumous)

(Effective date of the award : 23rd February, 1983)

On 22nd February, 1983, the Village Council President of Sateak Shri K. THANTLUANGA, was shot dead by an unknown Mizo National Front underground hostile. The Sateak Village Council President was the first victim of the Mizo National Front violence. The murder of the Village Council President on 22nd February, 1983 created considerable concern and early apprehension/destruction of the culprit was a challenging task for the Security Forces.

On the 23rd February, 1983, an operation was launched to carry out a thorough search of the villages and Jhoom areas in the vicinity of Sateak, to apprehend/destroy the hostile responsible for the murder of the Sateak Village Council President Naik Tek Bahadur Thapa was a member of one of the patrols which participated in the operation While carrying out search of an area near Tachhip along with 3 other ranks of Assam Rifles as a Subsidiary Patrol, he observed some movement in a Jhoom hut. He immediately deployed the other members of his patrol around the Jhoom hut and approached the entrance to the hut with a view to carry out a thorough search. At the entrance, two shots were fired at him from inside the hut in quick succession, one of which hit him on his abdomen. Totally disregarding the bullet injury sustained by him, Naik Tek Bahadur Thapa jumped at his assailant to capture him alive and disarm him However, the assailant was able to shake off Naik Tek Bahadur Thapa and started running out to escape. Left with no option and maintaining his presence of mind Naik Tek Bahadur Thapa immediately opened up with his Sten Machine Carbine and shot down the fleeing assailant. Though bleeding and in agony, Naik Thapa with the help of other members apprehended two other suspects from the same area and remained in control of the situation till relieved by the patrol leader. He was evacuated to the Unit Hospital but succumbed to his injuries before an operation could be carried out to remove the bullet lodged in his stomach.

Subsequently the deceased was identified as self-styled Private Thanzuala who was responsible for the murder of the Village Council President of Sateak.

Naik Tek Bahadur Thapa thus exhibited conspicuous gallantry and courage in apprehending the hostile without any regard to his own life.

No. 25-Pres./84.—The President is pleased to approve the award of 'SHAURYA CHAKRA' to the following persons for acts of gallantry :—

1. GO-1405 CIVILIAN OFFICER GRADE III KRISHNA NAND MAINALI

(Posthumous)

(Effective date—17th April 1982)

On the 17th April, 1982, at 1530 hours when Shri Krishna Nand Mainali of Border Roads Organisation was returning to his Headquarters alongwith two pioneers, his vehicle was forced to halt on the outskirts of Imphal Town due to low pressure of one of its tyres. He was carrying a cash box and a service rifle in the vehicle.

Shri Mainali stayed in vehicle alongwith Pioneer Raveendran Vasudevan Kandathivadakethil, the driver, and sent Pioneer Chowdhary to his Headquarters for help. While Shri Mainali was sitting in the front seat of the vehicle with the cash box and the rifle and Pioneer Ravindran was facing up the rear wheel of the vehicle, two insurgents approached him and tried to snatch the cash box and rifle. In the ensuing struggle to save the cash box and the rifle, Shri Krishna Nand Mainali was shot dead by the insurgents from close quarter. Pioneer Ravindran was able to over-come the insurgent who was grappling with him and drove away the vehicle on three wheels to the nearest Central Reserve Police Camp.

Shri Krishna Nand Mainali thus displayed exemplary courage, devotion to duty and high sense of responsibility at the cost of his own life.

2. G/154636 PIONEER RAVEENDRAN VASUDEVAN KANDATHIVADAKETHIL

(Effective date—17the April 1982)

On the 17th April, 1982, Pioneer Raveendran Vasudevan Kandathivadakethil of Border Roads Organisation was driving the jeep of his officer Commanding Shri Krishna Nand Mainali to Imphal with a cash box and a service rifle. On the outskirts of Imphal, one of the wheels got punctured and the vehicle had to be halted near Naoremthong bridge. Pioneer Raveendran and Shri Mainali kept vigil on the vehicle and another occupant of the vehicle, Pioneer Choudhary, was sent to Headquarters for help.

When one of two insurgents who were passing by attempted to snatch the rifle, Pioneer Raveendran grappled with him. The other insurgent shot dead Shri Mainali who was sitting in the front seat of the vehicle. Although Pioneer Raveendran himself was badly bruised. he drove the vehicle on only three effective tyres across the bridge and to the nearest Central Reserve Police unit and thus saved the rifle and the cash box from falling into the hands of insurgents.

Pioneer Raveendran thus exhibited tremedous presence of mind, cool courage and devotion to duty.

3 LIEUTENANT RAVINDER KAKAR (01835-W)

(Effective date 16*th June* 1982)

A severe cyclonic storm with a core of hurricane winds crossed the Orissa coast near Paradip leaving behind a trail of devastation. A large number of trawlers were sunk. Several small crafts were wrecked and sunk at various places inside the harbour The wreckages made navigation inside the harbour hazardous thus closing it to shipping. Indian Navy was assigned the hazardous task of locating and extricating with utmost despatch the sunken wreckages of the trawlers and other crafts buried in the sea bed.

On the 16th June, 1982, Lieutenant Ravinder Kakar, Clearance Diving Officer (01835-W), was entrusted with the overall job of locating and removing the wreckages of sunken boats. Notwithstanding hazardous diving conditions posed by the fishing nets and the tangled wreckage and the near zero under water visibility he carried out the initial dives for

locating the wreckages Under his dynamic and inspiring leadership and sound organisation, his team succeeded in clearing the harbour in the shortest possible time

Lieutenant Ravinder Kakar thus displayed a very high degree of professonal competence determination, courage and devotion to duty.

4. SQUADRON LEADER SADANAND KESHAV DIXIT (12407) FLYING (PILOT)

(Effective date 22nd July 1982)

Squadron Leader Sadanand Keshav Dixit (12407) Flying (Pilot) while on a unit detachment at Leh, was tasked for a search mission, on 21st July 1982.

A party of ten tourists of different nationalities, had started down the ZANSKAR river on two rafts from PADAM village The same day two empty rafts had been spotted at NIMMU, where the ZANSKAR flows into the INDUS, and so the ten rafters were feared to be in some danger The ZANSKAR river is, on an average, only about seven feet in width and its valley is extremely narrow with walls of stone rising thousands of feet high from both banks of the river

Squadron Leader Sadanand Keshav Dixit took off from Leh at 1500 hours for this challenging mission of mercy with full knowledge of the hazards By the time he reached the Indus-Zanskar confluence, the sun had already dipped beyond the western ridges, casting dark and deceptive shadows This coupled with strong winds and turbulence, made his task of search, nearly impossible The narrowness of the valley and fading light compelled him to descend to about 100' over the rapids of the Zanskar, which, in itself, is a hair raising task, even under best of the conditions This endeavour of flying the machine, battling against the heavy odds and searching for the survivors was a daring display of professional efficiency and bravery of the highest order Undaunted by these Squadron Leader Dixit continued the search After 30 minutes of continuous scanning of the wind swept dark valley, he noticed a movement on the right bank of the river The stranded persons were perched on a steep and rocky slope. When all attempts to land near the party failed, a precarious landing, on a rocky spot, on the opposite bank was executed Contact was established with the stranded persons and it was ascertained that all of them were unharmed, though without food and clothes. Two survival packs were given to them to enable them to tide over the night and the helicopter returned to Leh On the 22nd July, 1982, Squadron Leader S K Dixit was airborne at first light to commence evacuation An engineer party was taken along to attempt bridging the river to bring the persons to the left bank However, it was soon realised that the make shift bridge would not work out and it was decided to pick up the persons in a low hover over the slopy right bank Executing a steady hover on a steep slope at high altitude and in strong winds is a tremendously demanding task which made operations more difficult by people climbing in the rear A total of three trips were made in a similar fashion till all ten tourists were safely landed at Leh

Squadron Leader Sadanand Keshav Dixit thus displayed bravery, indomitable courage and exceptional professionalism

5 18768 LANCE NAIK PREM BAHADUR CHHETRI, ASSAM RIFLES

(Effective date 11th August 1982)

On receipt of information about location of a hide out in the jungles near LUNGPHUN a special patrol was detailed to search the general area The terrain in this area is treacherous. having dense jungle with thick undergrowth, steep slopes and sheer cliffs The patrol was divided into small groups and systematic search of the area was being carried out After a continuous search of the area for nearly 24 hours, at about 8 00 p m on the 11th August, 1982, a party consisting of Lance Naik Pram Bahadur Chhetri and 5 other Ranks heard the voices of two persons talking in an area about 75 metres to their west Realising that these could be no one other then hostiles in that area the party immediately charged in that direction.

Lance Naik Prem Bahadur Chhetri, who was in the lead, opened fire with his sten gun which unfortunately developed some stoppage However, he had a glimpse of a fleeing hostile He rushed in the direction of the fleeing hostile with utter disregard to his safety Realising that his capture was imminent, the hostile took out his pistol from the jacket, turned around and fired at him However, Lance Naik Prem Bahadur Chhetri seeing this displayed extremely quick reflexes, jumped at the hostile and grappled with him and apprehended him

Lance Naik Prem Bahadur Chhetri, thus, displayed courage, presence of mind and devotion to duty

6 5336272 NAIB SUBEDAR DEV SINGH THAKUR, GORKHA RIFLES

(Effective date 24th August, 1982)

On the 24th August, 1982, Naib Subedar Dev Singh Thakur was commander of the protection party of a convoy consisting three vehicle which was carrying rations and essential stores to the forward most posts from Chempang When the vehicle were negotiating a climb midway between Chempang and the forward post ahead of Tohok bridge, hostiles who were lying in ambush fired three rockets and opened small arms automatic fire disabling the front vehicle, killing the driver and co driver and one other Rank instantaneously and wounding the other two occupants

Naib Subedar Dev Singh Thakur who was travelling in the second vehicle brought down Light Machine Gun fire on the site of ambush without any delay and with five Other Ranks charged on to the site in utter disregard of their personal safety He led the men bravely despite the heavy automatic fire directed at him, and the hail of bullets flying all over By his sheer speed, he reached the disabled vehicle and found one hostile trying to carry a dead Other Ranks' rifle, the co driver's sten gun and Radio set VM 2A He charged at hostile who started firing at him His action also drew heavy volume of fire from other hostiles towards the disabled vehicle but undeterred, he continued advancing which surprised and scared the hostile The hostile threw away the weapons including his own M 21 Chinese made rifle and ran away Naib Subedar Dev Singh Thakur fired at him and wounded him He chased the running hostile but the heavy volume of fire from top, the dense jungle made the hostile's escape possible Naib Subedar Dev Singh Thakur recovered own dead personnels rifles sten gun VM 25A and the hostile's Chinese rifle

Naib Subedar Dev Singh Thakur thus performed a courageous act with utter disregard to his life and personal safety

7 CAPTAIN KAVALAPPARA SIVARAMAN MUTHUKRISHNAN (IC-32583) ENGINEERS

(Effective date 29th August 1982

Captain Kavalappara Sivaraman Muthukrishnan (IC-32583) of 14 Engineer Regiment was detailed as Engineer Officer Incharge of flood relief column led by Major Kapila of 62 Field Regiment to combat the unprecedented flood in Banda District of Uttar Pradesh during August-September 1982

On the 29th August, 1982, at about 1600 hours, while Captain Muthukrishnan was returning to the base by boat, in the River Ken he heard an urgent cry for help On reaching the spot he saw 13 villagers hanging on the branches of an almost fully submerged tree with great difficulty The branches were snapping due to the fast current The situation took a turn for the worse when 11 years old boy and a 75 years old man, were washed away from the branches and began to drown Seeing this Captain Muthukrishnan in utter disregard of his own safety jumped into the turbulent and fast flowing River Ken also inspiring Sapper Ravindran and Sapper Mun wam to follow suit with life saving tubes Battling against great odds and at great personal risk Captain Muthukrishnan managed to save the young boy and the old man Thereafter, despite having been badly injured by the submerged thorny branches, he organised the rescue of the remaining 11 villagers with the help of two jawans

Captain Kavalappara Sivaraman Muthukrishnan thus exhibited exceptional devotion to duty and gallantry in the face of danger to his own life

8 2ND LIEUTENANT SUSHIL SINGH (SS 30090) JAK RIFLES

(*Effective date 31st August* 1982)

2nd Lieutenant Sushil Singh was commanding the Silchuri post located on the International border in Mizoram The outlawed Mizo National Army had established their tactical headquarters in the Chittagong hill tracts of Bangladesh From this base, hostiles frequently used to infiltrate into the Union Territory of Mizoram to commit acts of sabotage and terrorism The post commended by 2nd Lieutenant Sushil Singh was engaged in the prevention of infiltration and exfiltration of bands of hostiles from their sanctuary across the borders

At about 1930 hours on the 31st August, 1982, 2nd Lieutenant Sushil Singh received unconfirmed information about the presence of some armed hostiles in hideout located at a distance of more than five kilometres from his post 2nd Lieutenant Sushil Singh immediately planned a surprise raid to apprehend the armed hostiles He alongwith his patrol traversed the hazardous terrain, during the hours of darkness His determined efforts and reconnaissance paved the way to spot the exact location of the hideout of the hostiles All possible escape routes were effectively blocked and a raid on the hostile camp was launched at about 11 40 p m the same day As the hostiles were taken by surprise in sheer desperation they started fleeing into the jungle for safety firing at the patrol party

In the face of grave personal risk, 2nd Lieutenant Sushil Singh pursued the fleeing hostiles and opened fire thus incapacitating one hostile In this encounter another hostile was also severely wounded and yet another overpowered and captured

In this encounter 2nd Lieutenant Sushil Singh displayed high degree of initiative, courage, determination devotion to duty and dynamic leadership of a high order

9 LIEUTENANT COMMANDER AJAY HEMANT CHITNIS (01208-W)

(Effective date 8th September, 1982)

Lt Cdr Ajay Hemant Chitnis (01208 W) joined the Indian Navy in 1969 and has an excellant record as a Naval Pilot On the 8th September, 1982, Lt Cdr A H Chitnis was detailed to fly as Captain of a helicopter on an antisubmarine missions for evaluating sonobuoys against a submarine in rough sea conditions After flying for an hour and fifteen minuts over sea, he noticed a sudden malfunction in one of the two engines The visibility had become very low by then He evaluated the grave situation quickly and took the right decision to abort the mission and return to the ship which was about ten miles away As he flew towards the ship, the visibility deteriorated further considerably due to a low cloud base As the helicopter was turning towards the ship for the final approach landing, the starboard engine failed completely and had to be switched off at once, depriving the helicopter of half its available power at a critical time The option open at this stage were to either ditch the aircraft in the water or to attempt a single engine landing on the 10m × 10m helipad of INS Rajput which was steaming at a speed of 24 NM in sea state 4, resulting in a considerable amount of roll & pitch Lt Cdr Chitnis at grave risk to himself, boldly chose the second option which had never been attempted before and successfully accomplished a perfect single engine landing on the ship's deck, displaying superlative flying skill The cool courage and precision of judgement in executing this landing were of the highest order thereby saving not only a valuable helicopter but also the lives of his two observers who were on board the aircraft

Lt Cdr Ajay Hemant Chitnis thus exhibited professionalism, cool courage and bravery under conditions of extreme stress in complete disregard to his personal safety

10 G/16629 MASON PRITHI SINGH

(Effective date 9th September, 1982)

On 8th September, 1982, there was heavy rain and land slide on Lungleh-Tuipang Road which forms the back bone of communications in South Mizoram.

G/16629 Mason Prithi Singh of the Border Roads Organisation set out from his camp to the slide location at 0600 hours on the 9th September, 1982, with a party of labourers When the vehicle carrying the party reached at Kilometre 17, hostiles ambushed the vehicle and opened heavy fire Mason Prithi Singh with utter disregard to his personal safety let his men out of the vehicle from the rear After ensuring the safety of his men, when he was getting out of the vehicle he was shot in the stomach by the hostiles

Mason Prithi Singh thus exhibited courage and presence of mind with selfless dedication in saving the lives of his men.

11 1061963 SOWAR KALU RAM JAT, ARMOURED CORPS

(Effective date 8th October, 1982)

On the night of the 8th October, 1982, Sowar Kalu Ram Jat was spending his casual leave at his home, Bhani Kakrali in village Sadnagar At about 3 00 a m, awakened by the shouts for help, he saw three armed dacoits, one standing outside and two inside his house On being challenged by him, the dacoits tried to escape under the cover of fire and darkness

Sowar Kalu Ram Jat thus displayed exemplary courage in personal safety, chased the dacoits inspite of being fired upon by them After a hard chase, across narrow bounds, he was able to apprehend one of the dacoits A country made 12 bore pistol, one live and fired cartridges were recovered from the apprehended decoit

Sowar Kalu Ram Jat thus displayed exemplary courage in apprehending a dacoit

12 FLIGHT LIEUTENANT SEETHARAMAN LAKSHMINARAYANAN THANTRY (12847) AE(L)

(Effective date 14th October, 1982)

Flight Lieutenant Seetharaman Lakshminarayanan Thantry (12847) AE(L) was a member of the team entrusted with the task of Installation, testing and commissioning of Diesel Generating Sets in the Power House

On the 14th October, 1982, after the rectification of excessive vibrations in one engine, it was started for further checks As soon as the engine was started it went into runway condition, the speed shooting up much beyond the normal operating speed of 1000 RPM Efforts to shut off the engine from the electrical control panel in the Control Cabin, and also by manually operating the stop solenoid fitted on the engine failed In the mean time the material on the exhaust pipe of the engine caught fire The whole power house was filled with toxic fumes and heavy smoke which reduced the visibility inside practically to zero Heavy sparks were also noticed from the alternator Realising the gravity of situation Flight Lieutenant Seetharaman Lakshminarayanan Thantry, decided that the fuel supply to the engine should be closed to starve the engine of fuel Inspite of grave risk to his person he went crawling behind the engine and closed the fuel valve to the engine The fire extinguishers were thereafter operated to put out the fire

Flight Lieutenant Seetharaman Lakshminarayanan Thantry thus displayed exemplary courage in saving the running engine from total ruin, and also possible heavy damage to rest of installed equipment in the power House

13 FLIGHT LIEUTENANT SUMER CHAND GAUR (14118) AE((M)/AIR

(Effective date 25th November, 1982)

On the 25th November, 1982, Flight Lieutenant Sumer Chand Gaur (14118) AE(M)/Air was detailed as the Flight Engineer on board a packet aircraft to carry out a 'Circuits and Landings' exercise by night In this sortie, on the sixth circuit, the positive lock down green indication for the nose wheel gear did not come on when the under carriage switch was selected down The officer immediately took appropriate steps to handle the emergency He, on visual check of nose wheel found that the nose gear was not fully extended and ground locking pin holes were not aligned All laid down emergency procedures carried out to lower the under-carriage to extend fully failed. With the sound knowledge and back-

ground of the system, the officer envisaged that the only alternative was to disconnect the nose actuator jack and allow the nose under carriage to extend fully, whereby it would be possible to insert the nose locking pin thus ensuring a safe landing This however, required walking into the open nose wheel bay and undoing the actuator jack bolts, aligning ground locking pin holes and inserting the ground locking pin He undertook this task at grave personal risk and successfullv completely it The aircraft later carried out a safe landing

Flight Lieutenant Sumer Chand Gaur thus displayed courage and high order of professional competence

14 JC-112770 NAIB SUBEDAR DARSHAN SINGH ASWAL, GARHWAL RIFLES

(Effective date 28th December, 1982)

On the 28th December, 1982, the Naib Subedar Darshan Singh Aswal was leading a patrol in the Parva Sector of South Mizoram The patrol was carrying out search of thick forest area when it came under hostile fire which wounded the leading scout Realising the gravity of the situation Naib Subedar Darshan Singh Aswal acted promptly and with utter disregard for his own safety he personallv led his men in hold assault on the hostiles This spontaneous and unexpected action launched with speed and determination so unnerved the hostiles that they fled from the scene of action, leaving behind a large stock of arms and ammunition However, the hostiles had not given up and after gaining the safety of the nearby high feature gain brought down effective rifle and automatic fire on the patrol Naib Subedar Darshan Singh Aswal immediately re-organised his patrol and deployed them to counter the threat He also despatched a small party to dislodge the hostiles and to pursue them if possible Seeing the party approaching, the hostiles fled across the International border

Through out this action Naib Subedar Darshan Singh Aswal displayed cool courage, professional skill and determination of a very high order

15 WING COMMANDER DILIP KUMAR RANCHHODDAS ASHER (POSTHUMOUS) (7686) FLYING (PILOT)

(Effective date 24th January, 1983)

Wing Commander Dilip Kumar Ranchhoddas Asher (7686) Flying (Pilot) was commanding an operational bomber squadron of the IAF On the 24th January 1983, while on a night training flight, the Canberra trainer aircraft he was flying had a bird hit This resulted in the flaming out of the starboard engine The differential thrust to almost 90° bank only a few feet above the ground Despite the rapidity at which the grave emergency developed, Wing Commander Asher remained calm He reacted with incredible speed and took the necessary recovery action Even in the face of almost certain death Wing Commander Asher did not loose sight of his duties as a commander and a soldier In the few seconds available to him he warned his crew switched off the left engine and applied the recovery controls Failure or delay in doing so would have caused the aircraft to roll on to its back prior to the crash In the process he was himself totally injured but he saved the lives of two of his crew members

Wing Commander Dilip Kumar Ranchhoddas Asher thus displayed courage a high degree of professional competence and devotion to duty

16 MAJOR PREM BAHADUR THAPA (IC-24696) GARHWAL RIFLES

(Effective date 27th January, 1983)

On the 27th January 1983 at about 1830 hours, Major Prem Bahadur Thapa received information from one of his patrols that a group of insurgents was hiding in Damdeb, a nearby village Correctly appreciating the situation Major Thapa decided to launch a lightning raid and speedily ordered out ambushes to block various escape routes from the village and himself led a group to search the village

During the search an informer indicated a hut where the hostiles were hiding Showing no concern for his own safety Major Thapa quickly surrounded the hut and repeatedly shouted to the occupants to surrender Not heeding this call, the insurgents made a daring attempt to flee from the scene of action under the cover of darkness Reacting brilliantly to the situation, Major Thapa ran after them and opened fire from his carbine He shot dead two of the hostiles at a distance of 20 to 30 yards Emulating him, the rest of the patrol also fired at the fleeing insurgents and killed five more A total of seven Mizo National Front (MNF) hostiles tasked to create violence inside the Union Territory were eliminated in this flawlessly executed operation

Major Prem Bahadur Thapa thus displayed great personal courage, professional skill and sound judgement

17 LIEUTENANT COMMANDER RAJBIR SINGH GILL (01120-W)

(Effective date 30th January, 1983)

Lieutenant Commander Rajbir Singh Gill was the Flight Commander of the two Indian Naval Helicopters in the Second Indian expedition to Antarctica This was a very exacting and onerous responsibility as he flight was to operate in a totally alien and harsh environment, with little back up support for maintenance or search and rescue Also flying in Antarctica is always full of grave risks The erratic behaviour of the navigation and communication equipment because of the peculiar conditions at the poles and the absence of visual reference points add to the flying hazards Thus the life of a pilot flying in Antarctica always hangs in a delicate balance

Inspite of these serious dangers and handicaps, he flew the numerous sorties very successfully for the transfer of heavy equipment, material and men displaying superlative flying skill He undertook the most difficult tasks himself, boosting tremendously the confidence and morale of the flight, setting fine examples of leadership under very adverse conditions

On the 30th January, 1983, when a severe storm lashed the area some members of the Indian team were stranded at Dakshin Gangotri at a distance of 100 kms with no communications and very limited survival equipment Food and medical supplies were required to be flown to them immediately to prevent them from being frozen to certain death Completely disregarding his personal safety, Lt Cdr Gill flew to the site in near zero visibility due to dense fog and 'white out conditions with great alacrity, speed and precision He successfully evacuated three members of the expedition and returned only after the safety of the remaining members had been ensured

Lt Cdr Rajbir Singh Gill displayed conspicuous courage initiative devotion to duty and superlative flying skill at grave risks to his personal safety

18 LIEUTENANT COMMANDER KULWANT SINGH SAMRA, NM (01219 W)

(Effective date 31st January, 1983)

Lieutenant Commander Kulwant Singh Samra was a member of the two helicopters flight of the second expedition to Antarctica From the very beginning he involved himself completely with great zeal in the planning and preparing the flying task He successfully located the base camp left behind by the first expedition which was 100 km away, with speed and precision inspite of it being completely covered with snow and visibility being marginal This is a very noteworthy feat considering that the ice shelf changes shape regularly and there are no permanent features or landmarks that can be relied upon

With the expedition in Antarctica, Lt Cdr Samra continued to display professional zeal and competence of the highest order as he unloaded men and material Outstanding was his achievement when he unloaded two snow tractors weighing 1500 Lbs each in a spectacular fashion, which is the heaviest load ever lifted by a Chetak helicopter

On the 31st January 1983 at 1300 hours Lt Cdr Samra was called upon to ferry maintenance personnel to a distance of 200 kms from the base camp when the other helicopter had become unserviceable In conditions of near zero visibility very low cloud base and wind speeds upto 100 kms per hour he undertook this mission in a most professional manner with conspicuous courage

Lt Cdr Kulwant Singh Samra thus displayed conspicuous courage and high degree of professionalism by his consistently excellent performance.

19. LIEUTENANT COMMANDER KULDIP SINGH RANDHAWA, NM (01189-A)

(Effective date : 4th February, 1983)

Lieutenant Commander Kuldip Singh Randhawa was a pilot in the Indian Naval flight with the second Indian expedition to Antartica. Flying in Antartica is extremely risky on account of the erratic behaviour of the navigation and communication equipment due to the peculiar polar conditions. The most unpredictable weather, lack of visual reference points, totally unfamiliar and hostile terrain coupled with extreme cold climate add to the flying hazards.

Undeterred by these heavy odds and facing grave risk to his personal safety, Lt. Cdr. Randhawa flew numerous sorties for the transfer of heavy stores, food and other essentials, and members of the scientific teams, displaying superlative flying skill, conspicuous courage and devotion to duty of a very high order.

On 30th January, 1983, a party was stranded in WHOLTHOT mountains at a distance of 200 kms from the base camp. He flew his helicopter in extremely poor visibility with winds blowing at 80 KM per hour with undaunted determination carrying essential food and other supplies. His conspicuous courage at this critical phase averted a certain disaster and the party was evacuated the next day.

Again on the 4th February, 1983, the weather deteriorated with winds reaching velocity of 100 kms per hour. The aircraft lashing parted and the blades started flapping uncontrollably. The ballooning canopy and engine covers caught the wind like sails and pushed the helicopters towards the deck edge. Disregarding completely his personal safety, Lt. Cdr. Randhawa rushed to the halo deck, helped in removing the covers, secured rotor blades inspite of the imminent danger of being swept overboard himself. Due to his courageous and untiring efforts the helicopters were saved from suffering heavy damage and being washed overboard. Any damage to helicopters would have seriously jeopardised the expedition.

Lt. Cdr. Kuldip Singh Randhawa thus displayed conspicuous courage, highest devotion to duty and superlative flying skill at a grave risk to his personal safety.

20. LIEUTENANT COMMANDER RAJESH SETHI (01232-Z)

(Effective date : 4th February, 1983)

Lieutenant Commander Rajesh Sethi was a pilot in the two helicopters flight in the Second Indian Expedition to Antarctica. Flying in Antarctica is always full of grave risks. The erratic behaviour of the navigation and communication equipment because of the peculiar conditions at the poles add to the flying hazards.

Undaunted by these odds, facing grave risk to his personal safety with great courage and determination, Lt. Cdr. Sethi flew numerous sorties for reconnaissance, transfer of heavy stores, teams of scientists and technicians.

On 30th January, 1983, due to engine trouble, helicopter IN 458 was stranded in the WHOLTHOT mountains on an exposed ridge when the weather was fast deteriorating. Efforts were made to evacuate the crew and passengers, but Lt. Cdr. Sethi refused to be evacuated leaving the stranded aircraft to the mercy of the raging storm After ensuring the safety of the members, he picked the helicopter in strong wings lashing at 100 KM per hour and temperature below minus 10°C and personally kept a constant vigil to prevent any damage to the helicopter, which would seriously have jeopardised the expedition.

Again on the 4th February, 1983, when the weather started deteriorating Lt. Cdr. Sethi rushed to the halo deck to secure the helicopters in winds blowing at 100 KM per hour. The aircraft lashing had parted and the blades were flapping uncontrollably. The ballooning canopy and engine covers were catching the wind and pushing the helicopters towards the deck edge. Disregarding his personal safety, Lt. Cdr. Sethi helped in removing the covers, secured main rotor blades inspite of the imminent danger of being swept overboard. With his courageous and untiring efforts the helicopters were saved.

Lt. Cdr. Rajesh Sethi, thus, displayed conspicuous courage, initiative, devotion to duty and superlative flying skill, at grave risks to his own safety.

21. SQUADRON LEADER RAJENDRA SINGH TANDON (9432) FLYING (PILOT)

(Effective date : 21st February, 1983)

Squadron Leader Rajendra Singh Tandon (9432), Flying (Pilot), was a member of the first Air Force team which participated in the second Indian Scientific Expedition to Antarctica in 1982-83.

He volunteered to take on the responsibility of off-loading the entire equipment for the expedition from the ship. He organised the off-loading and worked untiringly for more than 24 hours at a stretch to ensure that over 40 tons of materials was off-loaded in the shortest possible time. At the base camp, he organised and executed the various administrative tasks with a great sense of purpose, responsibility and efficiency.

He carried out several reconnaissance trips on foot and open snow-scooter in sub zero temperature to select a site for preparation of skiway. For this purpose, he traversed through the hazardous terrain full of dangerous hidden cracks and crevasses with total disregard to his personal safety. His courage, dedication and zeal contributed a great deal in achieving the tasks in short span of ten days, in a totally alien environment and severe climatic conditions.

On the night of 18th February, 1983, a severe snow storm struck the base camp and the blizzard lasted for two days trapping four members of the expedition in their damaged hut. The base camp was ravaged and a larger number of scientific and other equipment were either blown off or damaged On the 21st February, 1983, at 0400 hours, a rescue mission was launched from the ship, Squadron Leader Rajendra Singh Tandon volunteered for the rescue mission. The ship's bow could be brought to the shelf ice for a very short period of time. With total disregard to his personal safety and displaying bravery of very high order, Squadron Leader Tandon jumped from the ship on to the shelf and proceeded on foot to the base camp where he rescued the trapped members and salvaged most of the scientific equipment and the precious data they had gathered.

Squadron Leader Rajendra Singh Tandon thus displayed courage and selfless devotion to duty.

22. CAPTAIN GOPI LAL PANERI (IC-27071) GRENADIERS

(Effective date : 22nd February, 1983)

Captain Gopi Lal Paneri had been performing the duties of Company Second-in-Command of 6 Grenadiers. He was assigned the task of carrying out operations against the insurgents in East Manipur District. The officer activated a small intelligence network of his own and successfully managed to win the hearts of the Tankhul Nagas of the said area. He not only managed to get the required information but also carried out extensive civic action programmes. The good work done by the officer earned praise and respect for the Army from all quarters.

On the 22nd February, 1983, Captain Gopi Lal Paneri was tasked to apprehend an extremist belonging to PREPAK Party. It was believed that this extremist wanted by the Security Force (SF) since long was in possession of arms and ammunition. Captain Gopi Lal Paneri made a quick plan, briefed his men and led the column to village Ithai Upokpi. The house of the extremist was cordoned in an effective manner Having come to know of the presence of Security Force, the extremists in the house tried to escape in the darkness. But Captain Gopi Lal Paneri was alert and sensed their movement He ordered one of his men to flash a torch in that direction and he himself dashed and chased the fleeing extremist over a distance of 500 meters in dense thorny areas Finally he managed to overpower one of them. Subsequently the extremist led the party to the spot where a pistol was hidden. The interrogation of this extremist by Captain Gopi Lal Paneri also revealed the presence of two more armed extremists in the same village who were

absconding. The presence of the column in the area and the talks with the family members of the absconding extremists led to their unconditional surrender to the Chief Minister of Manipur State.

Captain Gopi Lal Paneri thus displayed courage, high sense of professionalism and devotion to duty.

23. JC-112774 NAIB SUBEDAR RAJENDRA SINGH, GARHWAL RIFLES

(Effective date : 1st March, 1983)

On 28th February, 1983, an operation was launched in the area of Jagnasuri South Mizoram with a view to capture hostiles operating in the area. The above operation was based on unconfirmed reports and the area was saturated with five special patrols and one such patrol was commanded by Naib Subedar Rajendra Singh. Relentless search and raids of suspected areas on 26th and 27th February, 1983, bore no result. Undeterred the patrols moved on to search other areas of responsibility.

On the 1st March, 1983 at about 0500 hours one of the sources informed the Post Commander Jagnasuri about the presence of a group of three undergrounds in a particular area of the jungle. Since all the patrols at that time were operating away from the reported area and time was at a premium, the post Commander directed the special patrol commanded by Naib Subedar Rajendra Singh to search the said area. By virtue of his sound knowledge of the ground, Naib Subedar Rajendra Singh moved cross country with commandable speed and reached the area at 0630 hrs., much ahead of the expected time and commenced an organised search. While the operation was in progress, at about 0700 hours, Naib Subedar Rajendra Singh noticed two undergrounds running about 250—300 yards ahead and disappearing across the ridge line. One of the undergrounds carried a rifles.

The group immediately opened fire, but it was not effective due to the undulating ground and thick foliage. Naib Subedar Rajendra Singh decided to give an immediate chase to the fleeing hostiles. He quickly formulated a plan of action and divided his patrol into two groups to search both sides of the ridge. The patrol opened fire of automatics and exploded grenades along the flanks of the ridge to channelise the route of escape of the underground hostiles.

The jungle was dense and in the process of chasing the hostile, Naib Subedar Rajendra Singh was himself wounded in the knee by a bamboo stump. However, undeterred and heedless of his personal well being, he relentlessly pursued the undergrounds and physically overpowered one of them without giving the latter a chance to fire. In grappling with him Naib Subedar Rajendra Singh who had been a Commando Instructor used his skill to successfully apprehend and disarm the hostile. With utter disregard to his personal safety Naib Subedar Rajendra Singh in a daring physical scuffle captured one hostile alongwith one Chinese rifle and 74 rounds of ammunition.

Naib Subedar Rajendra Singh thus displayed courage and devotion to duty of a high order.

24. 5843330 RIFLEMAN PARSU CHHETRI, (*Posthumous*) GORKHA RIFLES

(Effective date 6th March, 1983)

On the 6th March, 1983, during an Army exercise, somewhere in Rajasthan, a fire broke out in a 3 Tonne Vehicle, which was loaded with barrels of petrol belonging to an Infantry Brigade Headquarters Camp. Though the fire was uncontrollable when it broke out Rifleman Parsu Chhetri unmindful of his own safety jumped into the vehicle and started throwing out barrels of petrol so as to bring the fire under control. While engaged in salvaging process having thrown out 8-10 barrels, one barrel exploded resulting in severe injuries to Rifleman Parsu Chhetri. During the process of salvaging one Motor Cycle, four weapons and the 3 Tonne Vehicles were saved. Rifleman Parsu Chhetri sustained 70% burns and died on 11th March, 1983, in Army Hospital Delhi Cantt.

Rifleman Parsu Chhetri thus exhibited gallantry unmindful of his personal safety.

25. MAJOR GANESH KALE (IC-25314) MARATHA LIGHT INFANTRY

(Effective date : 26th March, 1983)

Major Ganesh Kale, 'C' Company Commander, 2 Maratha Light Infantry Thoubal (Manipur), following a bid, carried out intensive investigations spread over 9 days and nights and apprehended two active members of the extremist organisation viz People's Liberation Army and PREPAK on 25th/26th March, 1983. Based on the information gathered from these two active members, Major Kale, on the 26th March, 1983 cordoned off the hide out of Nimai Singh and started search of the house. During the course of the search as he opened the door of a room a man charged at him with a long knife. With a quick evasive action, Major Ganesh Kale was able to dodge the thrust and at the same time deliver a sharp blow with the butt of his 9 mm Browning pistol on the assailant. In the ensuing scuffle, Major Kale overpowered the assailant. Further interrogations revealed his identity as a hard core PREPAK member acting as Minister of Finance of this underground organisation and a close associate of the top PREPAK leaders.

Major Ganesh Kale thus exhibited intelligence, devotion to duty and gallantry in apprehending the extremist.

26. MAJOR MOHANAN PAPPINI WEETIL (IC-23177) MADRAS

(Effective date : 12th April, 1983)

Major Mohanan Pappini Veetil was the Second-in-Command of 28 Madras Regiment which was inducted into the Mon district of Nagaland in February, 1981. This area had contributed the maximum numbers of personnel to the underground movement and its inhabitants were fiercely anti Security Force, openly assisting the rebels in anti Government activities.

Major Mohanan was directed by the Commanding Officer to show civil populace the sincerity of the Security Forces to genuinely assist the locals and to win over the hearts of the people and to establish an effective intelligence net work.

Major Mohanan applied himself to this task with zeal, diligence and infinite patience. He moved fearlessly from village to village, house to house and person to person in a spirited effort to woo the masses and win their confidence. Most of the time he moved alone unarmed unprotected and in uniform and this invoked an aura of confidence of locals who were hostile in their attitude towards Security Force and they started to accept him as one of them. He simultaneously mounted a subtle propaganda amongst masses educating them on the futility of collaborating or joining with the rebel movements and urging them to join the mainstream of Indian life. Thus he was also able to establish an excellent net work of intelligence which paid great dividends.

On the 12th April, 1983 one of the sources cultivated by Major Mohanan gave information that some undergrounds were moving in the direction of Shengha Tangten for exfiltration. Immediately special operations were launched to apprehend the individuals. Major Mohanan was incharge of the columns operating from Mon. While moving on track Shengha Tangten Shangha Chingnyu he saw the undergrounds and immediately ordered his column and that of IC-31505 Captain Sabroto Mitra to rush and apprehend them alive.

On seeing the columns the undergrounds fled and ran into the thick jungle in small groups. The Officer rushed towards the escaping hostiles through thick jungle, cut off their routes of escape by outflanking them and with utter disregard to his personal safety personally over-powered two of the three undergrounds who were trying to flee. On seeing his bold and courageous action his men were inspired to

press home the charge and capture the other fleeing hostiles. Due to Major Mohanan's intelligent appreciation of the situation and his wise deployment of out flanking the rebels, it was possible to capture all eleven undergrounds alive. The capture of these undergrounds and their subsequent interrogation assisted in further apprehension of many more undergrounds.

Major Mohanan Pappini Veetil thus displayed courage and devotion to duty of a high order.

27. G/21578 MATE KISHAN LAL
(Effective date : 19th April, 1983)

On the 19th April, 1983, a dozer was being moved on the road Rishikesh-Uttarkashi-Harshil. At Kilometer 166.150 the randon rubble masonry retaining wall suddenly collapsed due to which there was danger of the dozer over-turning into the river valley.

G/21578 Mate Kishan Lal, who was accompanying the dozer with the working party, showed great presence of mind and cool courage in saving the dozer. He got underneath the dozer and re-arranged the stones in such a manner as to give stability to the dozer till the operator could gain control and move it to safety.

Mate Kishan Lal thus displaved courage and devotion to duty and saved the dozer as well as the operator.

28. SQUADRON LEADER KRISHAN PRATAP NARAIN SINGH (11023) FLYING (PILOT)

(Effective date : 5th June, 1983)

Squadron Leader Krishan Pratap Narain Singh (11023). Flying (Pilot) was detailed to carry out a rescue mission on the 5th June, 1983, of an NCC Expedition stranded due to a severe blizzard near Devachen Peak in Himachal Pradesh. Squadron Leader Krishan Pratap Narain Singh located Cadet Shankar Thakuri and Naik Mohammed Shafi in a steep snow-covered terrain at an altitude of 17,500 ft. Exercising extreme caution and displaying remarkable flying skill and daring he managed to land the helicopter on a small flat ground in 45 knots strong cross-wind conditions and thus rescued the injured Cadet Shankar Thakuri. Sqn. Ldr. K. P. N. Singh's decision to land the helicopter at 17,500 ft. on unprepared ground and in extremely adverse weather conditions thus resulted in saving a precious life and bringing up the morale of the other expedition members.

Squadron Leader Krishan Pratap Narain Singh displayed exceptional professionalism, dedication and courage of a high order, beyond the call of duty.

29. SQUADRON LEADER GOMMENAVALLI NARAYANAPPA RAMACHANDRA (10920) FLYING (PILOT)

(*Effective date* : 13*th August,* 1983)

Squadron Leader Bommenavalli Naravanappa Ramachandra (10920) Flying (Pilot) cantained one of the MI-8 helicopters, which was rushed to Andhra Pradesh for flood relief operations. On the 13th August, 1983, in Ramagundam village, 17 villagers were trapped in a hut in the floods. The trapped victims were mostly women and children.

Minutes after receiving the message from the District Magistrate, Karimnagar, Sqn. Ldr. Ramachandra with the team got airborne and reached the spot. On sighting the isolated hut in the flood waters he immediately started winching operations. Seeing the futy of the floods and the rate at which the water was rising he quickly assessed that by winching one person at a time he may not be in a position to save all the lives. He decided to abandon the winching operation and resort to landing the helicopter so that all the victims would be rescued.

Since the only place available for landing was occupied by the victims themselves he hovered the helicopter in such a way, that the door of the helicopter came close to the hut. He then ordered the Flight Gunner to jump out on the roof of the hut alongwith the winch cable. The gunner hooked the winch cable to one of the strong member of the hut, and helped the women and children reach the helicopter by holding the winch caole. Thus all the 17 victims were rescued.

Squadron Leader Bommenavalli Narayanappa Ramachandra thus exhibited a great sense of professionalism, courage and devotion to duty throughout the operations.

30. 209669 MASTER WARRANT OFFICER SUBHASH CHANDRA SEN FLIGHT GUNNER

(Effective date : 13th August, 1983)

On the 13th August, 1983, 209669 Master Warrant Officer Subhash Chandra Sen, Flight Gunner, was detailed as Flight Gunner on the mission captained by Sqn. Ldr. Ramachandra which successfully rescued 17 marooned villagers. These villagers were stranded in a hut surrounded by the rapidly rising water of the Godavari river.

During the winching operation MWO S.C. Sen realised that the villagers were unable to operate the winch belt harness. Using sign language and hand signals he directed the villagers, operating the winch simultaneously.

Due to shortage of time the captain abandoned the winching operation, brought the helicopter to a low hover close to the hut and ordered Master Warrant Officer S. C. Sen to Jump on to the hut roof with the winch cable. Without hesitation Master Warrant Officer S. C. Sen jumped on to the hut roof hooked the winch cable to a strong member of the hut and helped the women and children to reach the helicopter. Thus all 17 victims were rescued.

Master Warrant Officer Subhash Chandra Sen thus displayed courage and devotion to duty.

New Delhi, the 8th March 1984

No. 26-Pres./84.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Haryana Police :

Name and rank of the officer

Shri Lachhman Dass.
Commandant,
H. A. P. Contingent,
Durgapur (West Bengal),
(Now DIG of Police, Haryana).

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Shri Lachhman Dass was posted as Commandant of a Haryana Armed Police Battalion at Durgapur (West Bengal). On the 19th August, 1970, at about 6.15 P.M., while the Sub-Divisional Officer and Sub-Divisional Police Officer at Durgapur were returning after law and order duties alongwith a police party, some miscreants numbering about 30, attacked them with bombs and other lethal weapons. Under the orders of the Sub-Divisional Officer, the Police fired and the Sub-Divisional Police Officer and the police party chased the fleeing miscreants. Shri Lachhman Dass, who was Commandant of the Haryana Armed Police contingent posted at Durgapur, on hearing the report of the bomb explosions, rushed out of his house. He chased the armed miscreants and apprehended two of them at a great risk to his life knowing fully well that the miscreants were carrying bombs.

In his attempt to apprehend the criminals, Shri Lachhman Dass exhibited conspicuous gallantry and courage of a very high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 19th August, 1970.

S. NILAKANTAN
Deputy Secretary to the President.

MINISTRY OF PLANNING

DEPARTMENT OF STATISTICS

New Delhi-110001, the 3rd February 1984

No. M-13016/3/81-Coord.—The Expert Committee on the International Comparison Project constituted vide this Department Notification No. M-13016/3/81-Coord. dated 29th August 1981 has been reconstituted with the following competition :—

1. Dr. A. K. Ghosh, *Chairman*
   Vice Chairman,
   State Planning Board,
   Government of West Bengal,
   6-Camac Street, Calcutta-700017.
2. Prof. M. Mukherjee, *Member*
   Hony. Professor,
   Indian Statistical Institute,
   9-G, Govindpur Road,
   Calcutta-700045.
3. Prof. K. L. Krishna, *Member*
   Dean & Director,
   Delhi School of Economics,
   Delhi University, Delhi-110007.
4. Director General, *Member*
   Central Statistical Organisation,
   Sardar Patel Bhavan, New Delhi.
5. Adviser (P. P. Division), *Member*
   Planning Commission,
   Yojana Bhavan,
   Sansad Marg, New Delhi.
6. Dr. A. Bagchi, *Member*
   Officer on Special Duty,
   Department of Economic Affairs,
   North Block, New Delhi.
7. Dr. P. K. Pani, *Member*
   Adviser,
   Department of Economic Analysis &
   Policy, Reserve Bank of India,
   New Central Office Building,
   P. B. No. 1036, Bombay-400023.
8. Additional Director, *Member-Secretary*
   National Accounts Division,
   Central Statistical Organisation,
   Sardar Patel Bhavan, New Delhi.

2. The function of the Committee will be as under :—

   (i) to examine the Methods and procedures adopted by the United Nations Statistical Office in the International Comparison Project (ICP) and to suggest possible improvements thereon, and

   (ii) to provide guidance on technical matters relating to different Phases of the ICP.

3. The expenditure of the non-officials on TA/DA for attending the meetings of the Committee will be met by the Department of Statistics according to the normal rules. The secretarial assistance to the committee will be provided by the Central Statistical Organisation, Department of Statistics.

4. The Expert Committee will continue to function as long as India participates in the International Comparison Project.

R. M. SUNDARAM, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 27th February 1984

No. U-13019/7/83-ANL.—Shri M. S. Syed Ismail Kova of Chetlet Islands ceases to be a member of the Advisory Council associated with the Administrator, Lakshadweep constituted for the year 1983-84 with effect from the date of issue of this notification.

Smt. UMA PILLAI, Director (ANL)

DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADM. REFORMS

New Delhi, the 24th March 1984

RULES

No. 10/2/84-CS.II.—The rules for competitive examinations to be held by the Staff Selection Commission (Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Administrative Reforms), New Delhi, once every two months during the year 1984, on Second Saturday and Sunday and, if necessary, on the holiday/Sunday following thereafter, for the purpose of filling temporary vacancies in Grade 'D' of the Central Secretariat Stenographers' Service are published for general information

2. The number of vacancies in the Central Secretariat Stenographers' Service to be filled on the result of the examination will be determined by Government from time to time and intimated to the Staff Selection Commission before the results of the examinations are announced by the Commission. The approximate number from each examination will be 50. The Reservations will be made for candidates who are ex-servicemen, Scheduled Caste and Scheduled Tribe and physically handicapped in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

(i) Ex-serviceman means a person, who has served in any rank (whether as a combatant or as non-combatant) in the Armed Forces of the Union, including the Armed Forces of the former Indian States, but excluding the Assam Rifles, Defence Security Corps, General Reserve Engineering Force, Lok Sahayak Sena and Territorial Army, for a continuous period of not less than six months after attestation, and

(a) has been released, otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or has been transferred to the reserve pending such release, or

(b) has to serve for not more than six months for completing the period of service requisite for becoming entitled to be released or transferred to the reserve as aforesaid, or

(c) has been released at his own request after completing five years service in the Armed Forces of the Union.

(ii) Physically handicapped person means an orthopaedically handicapped person (lower extremities) who have a physical defect or deformity which causes an interference with the normal functioning of the bones, muscles and joints and a person who is partially deaf.

No scribe will be allowed to the physically handicapped and other categories of persons appearing in the examination.

(iii) Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes)Order, 1950; the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order 1951; the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order 1951; as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956; the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956 the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order 1962 the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962 the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968 the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970 the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act 1976 and the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978

3 The examination will be conducted by the Staff Selection Commission, in the manner prescribed in the Appendix-I to these Rules. For the purpose of admission they will be required to submit applications, on plain paper as in the form

given in Appendix-II, which shall after due scrutiny will be forwarded by the Ministry/Department/Office concerned to the Staff Selection Commission latest by the 1st of the month preceding the month in which the examination is to be held.

4. Any permanent or temporary regularly appointed LDC/UDC of the Central Secretariat Clerical Service, shall be eligible to appear at the examination and compete for the vacancies.

4(1). Length of Service : He should have, on the 'crucial date' (as defined under Regulation 2(a) of the Central Secretariat Stenographers' Service Grade 'D' (Competitive Examination) (Regulation, 1969) rendered not less than two years approved and continuous service in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service.

Note 1 : The limit of two years of approved and continuous service will also apply if the total reckenable service of a candidate is partly in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clercial Service.

Note 2 : Officers of the Lower Division Grade or the Upper Division grade of the Central Secretariat Clerical Service who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible. This also applies to an officer who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer if he continues to have a lien in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service for the time being.

Note 3 : Regularly appointed officers to the Lower Division Grade or the Upper Division Grade means, an officer allotted to any of the cadres of the Central Secretariat Clerical Service at the commencement of the Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962 or appointed thereafter on a long-term basis to the Lower Division Grade or the Upper Division grade of the Service as the case may be, according to the prescribed procedure.

(2) Age : A candidate for this examination should not be more than 50 years of age on the 'Crucial date' (as defined under Regulation 2(a) of the Central Secretariat Stenographers' Service Grade 'D') (Competitive Examination) (Regulations, 1969).

(3) The upper age limit will be relaxable in the case of ex-servicemen who have put in not less than six months continuous service after attestation in the Armed Forces of the Union, to the extent of their total service in the Armed Forces increased by three years.

Candidates admitted to the examination under this age concession will be eligible to compete for all the vacancies whether reserved or not for ex-servicemen.

NOTE :—The Period of 'Call up service' of an ex-servicemen in the Armed Forces shall also be treated as service rendered in the Armed Forces for purpose of Rule 3 Above.

5. The upper age limit prescribed above will be further relaxable.

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) upto a maximum of three years if a candidate is a bonafide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Castes or a Scheduled Tribe and is bonafide displaced person from erstwhile East Pakistan (Now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) upto a maximum of three years if a candidate is a bonafide repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement October, 1964;

(v) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bonafide repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) upto a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(vii) upto a maximum of three years if a candidate is a bonafide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(viii) upto a miximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bonafide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) upto a maximum of three years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(x) upto a maximum of eight years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xi) upto a maximum of three years in the case of Border Security Force Personnel disabled in Operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof;

(xii) upto a maximum of eight years in the case of Border Security Force Personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xiii) upto a maximum of three years if a candidate is a bonafide repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam not earlier than July, 1975;

(xiv) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe and is also a bonafide repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July, 1975 and

(xv) upto a maximum of ten years if the candidate is a physically handicapped person, i.e. Orthopaedically handicapped and partially deaf.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED ABOVE SHALL IN NO CASE BE RELAXED.

A candidate who fails in the examination will not be eligible to take the next examination but only that following the next examination or subsequent examination.

7. No candidate will be admitted to examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

8. Candidates must pay the prescribed fee of Rs. 8/- (Rupees eight only) for general Candidates and Rs. 2/- (Rupees two only) for Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates either by postal orders or bank draft.

(No fees are payable by Ex-servicemen)

9. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission to the examination.

10. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) sumbitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination, or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matters in the script(s), or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations, or

(xi) attempting to commit or, as the case may be abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses,

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

11. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in one list, in the order of merit, as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate, and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination in the Central Secretariat Stenographers' Service Grade 'D'.

Provided that the candidates belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Staff Selection Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of those candidates for selection to the service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination. Ex-servicemen who are considered by the Commission to be suitable for appointment on the results of the examination shall be eligible to be appointed against the vacancies reserved for them, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

Provided further that ex-servicemen belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Commission, by a relaxed standard to make up the deficiency in the quota reserved for them out of the quota of vacancies reserved for ex-servicemen, subject to the fitness of these candidates for selection to the service irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

Provided further that if any ex-servicemen belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe is selected, his selection shall be counted against the overall quota of reservations as that shall be provided for the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

NOTE : Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be appointed to Grade 'D' of the Service on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for appointment as a Stenographer Grade 'D on the basis of his performance in this examination as a matter of right.

12. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them, regarding the result.

13. Success in the examination confers no right to selection, unless the Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is suitable in all respects for selection.

A candidate who, after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment or otherwise quits the service or severs his connection with it, or whose services are terminated by his department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer and does not have a lien on Central Secretariat Clerical Service will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a candidates who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

H. G. MANDAL, Under Secy.

APPENDIX-I

Candidates will be given one dictation test in English or in Hindi at 80 words per minute for 10 minutes. The candidates who opt to take the test in English will be required to transcribe the matter in 65 minutes and the candidates who opt to take the test in Hindi will be required to transcribe the matter in 75 minutes respectively. The shorthand tests will carry a maximum of 300 marks.

NOTE: Candidates who opt to take the shorthand tests in Hindi will be required to learn English Stenography and vice versa, after their appointment.

2. Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters and for this purpose, they will be required to bring their own typewriters with them.

APPENDIX-II

PROFORMA

STAFF SELECTION COMMISSION

GRADE 'D' STENOGRAPHERS COMPETITIVE EXAMINATION

Closing Date : 10th of the month previous to the month of the Examination.

Signed passport size photograph of the candidate to be pasted here. Another signed photograph should be firmly attached to the application.

(1) Particulars of Postal Orders/ Bank Draft and the value

(2) Name of the candidate
(in capital letters)
Shri/Smt./Kum.

(3) Exact date of birth
(in Christian Era)

(4) Name and address of office where working

(5) Are you a
(i) Scheduled Caste
(ii) Scheduled Tribe
(iii) Ex-Servicemen
(iv) Physically handicapped person ?
Answer 'Yes' or 'No'

(6) (i) Father's name
(ii) Husband's name (in case of lady candidate)

(7) State the language (Hindi or English) in which you wish to take the shorthand test.

(8) Whether appeared in the previous Examination, If so, indicate the month and Roll No.

(9) Are you a permanent or temporary regularly appointed officer of the Lower Division Grade/Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service and have rendered not less than two years approved & continuous Service in the relevant grade on the 1st January of the year in which the examinaiton is held.

(10) In case you are on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority or the ex-cadre post is on transfer basis,
State whether you continue to hold a lien on the previous post.

SIGNATURE OF CANDIDATE

TO BE FILLED BY THE HEAD OF DEPARTMENT OF THE OFFICE WHERE THE CANDIDATE IS IN SERVICE

Certified that :—

(i) the entries made by the candidate in columns of the application have been verified with reference to his/her service records and are correct.

(ii) his application has been scrutinised and it is certified that he fulfils all the conditions laid down in the rules and in eligible in all respects to appear the examination.

Signature :

Name :

Designation :

Deptt./Office :

No.

Date :

Note :—A candidate who once fails can take the examination only after another three months, *i.e.* a candidate who fails in the examination to be held in April, can take the examination to be held in August or subsequently.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 18th February 1984

RESOLUTION

No. V-11014/6/83-NM(CMO).—The Government of India are pleased to constitute a Task Force on Communications. The composition of the Task Force will be as under :—

Chairman

(1) Joint Secretary (FW), Ministry of Health and Family Welfare

Co-Chairman

(2) Adviser (Marketing), Department of Family Welfare

Member

(3) Chief Media, Department of Family Welfare

Member-Convenor

(4) Sales Promotion Executive, Department of Family Welfare

Members

(5) A nominee of I & B Ministry, Government of India

(6) A nominee of Doordarshan, Ministry of I & B, Government of India

(7) A nominee of A.I.R., Ministry of I & B, Government of India

(8) State MEM Officer, Government of Kerala

(9) Dy. Director (MEM), Government of U.P.

(10) Asstt. Director (MEM), Government of Gujarat

(11) A nominee of NIHFW, New Delhi

(12) A nominee of Indian Institute of Mass Communication, New Delhi

(13) A nominee of ITC Ltd., Shri Satish Mehta or his nominee

(14) A nominee of Union Carbide India Ltd., Shri R. M. Nayyar or his nominee

(15) Health Secretary, Government of Maharashtra

(16) Dr. Mrs. Indira Kapoor, Officer-in-Charge, Family Welfare, Training and Research Centre, Bombay

(17) Chairman/M. D. Hindustan Latex Ltd., Trivandrum

(18) A nominee of the Operations Research Group

(19) A nominee of the Hindustan Thomson Associates Ltd.

2. *Terms of Reference* :

(1) The Task Force will formulate strategy for the IEC component of the Contraceptive Marketing Organisation and to provide policy guidelines to the Appex Institute responsible for implementing Information, Education and Communication (IEC) training activities as envisaged in the Social Marketing Project. The Task Force will submit its preliminary report within 4 months.

(2) The Task Force shall have the power to co-opt/invite other experts to attend its meetings.

3. Non-Official members of the Task Force shall be entitled to the grant of travelling and daily allowance for attending the meetings of the Task Force according to the provisions of the Rules of the Government of India. Members of the Committee who are Government servants will draw travelling allowances and daily allowances as admissible to them from the same source from which they get their pay.

4. The expenditure involved is debitable to Demand No. 49-FW; Major Head '281'; A 7 (6) Nirodh Scheme; A 7 (6)(2) Travel Expenses (Plan) during the year 1983-84 & 1984-85.

ORDER

ORDERED that the resolutions be published in the Gazette of India for general information.

J. S. KANG, Dy. Secy. (Policy)

MINISTRY OF AGRICULTURE

DEPARTMENT OF AGRI. & COOPERATION

New Delhi, the 24th February 1984

No. 8-25/83-PPS.—In this Ministry's Notifications No. 16-10/58-PPS, dated 4th July, 1961 and 8-10/74-PPS dated 20th February 1975 for the existing entries against Gujarat the following shall be substituted in the list of persons authorised to inspect, fumigate or disinfect and to grant phytosanitary cerificates in respect of plants and plant projects intended for export to foreign countries, governments of which require such certificates :

Plant Quarantine Officer, Plant Quarantine and Fumigation Station, Deptt. of Agriculture, Jamnagar.

A. M. SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF EDUCATION & CULTURE

(DEPTT. OF EDUCATION)

New Delhi-1, the 18th January 1984

No. F. 7-17/79-BP.II.—In pursuance of para 5 of the Government of India Resolution No. F. 7-17/79-BP-II dated 15th September, 1983 Shri Surendra Jha, Editor, "Science Age" Nehru Centre, Bombay is nominated as a member of the National Book Development Council in his individual capacity for a period of four years from the date of the first meeting of the Council..

MAN MOHAN SINGH, Jt. Secy. and
Financial Adviser

MINISTRY OF ENERGY

(DEPARTMENT OF COAL)

New Delhi, the 29th February 1984

RESOLUTION

No. 11/2/83-CL.—In partial modification of this Department's Resolution No. 11/2/83-CL dated the 17th January, 1984, reconstituting the Coal Advisory Council, the list of members shown at S. No. 55 to 60 is amended as under:—

55 Six representatives of Indian National Trade Union Congress.

56 Three representatives of All India Trade Union Congress.

57 Three representatives of Centre of Indian Trade Unions.

58 One representative of Hind Mazdoor Sabha.

59 One representative of Bharatiya Mazdoor Sangh.

SAMAY SINGH, Under Secy.

(DEPARTMENT OF PETROLEUM)

New Delhi, the 28th February 1984

ORDER

Subject : Grant of Petroleum Exploration Licence for North Tapti (C-1 Structure) area measuring 113.75 sq. kms (offshore) to ONGC.

No. O-12012/42/83-Prod.—In exercise of the Powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil & Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehra Dun (hereinafter referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to prospect for Petroleum for 4 years from 20th April 1983 for North Tapti (C-1) structure area measuring 113.75 sq. kms (offshore) the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The Grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below.

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged.

(i) Rs. 61/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Department of Petroleum, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, easing head condensate and natural gas obtained during the proceeding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 6000/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometer or part thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence;

(v) Rs. 300/- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month's notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to the Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

SCHEDULE 'A'

Details regarding Geographical Coordinates of North Tapti Area

(offshore)

	LONG	LAT.
Point 'A'	72° 18'00" E	21° 04' 00" N
Point 'B'	72° 30'00" E	21° 06' 00" N
Point 'C'	72° 30'00" E	21° 04' 00" N
Point 'D'	72° 18'00" E	21° 00' 00" N

SCHEDULE 'B'

Monthly return of Crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof

Petroleum Exploration Licence for

Area

Month and Year

A.—Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	REMARKS
1	2	3	4	5

B.—Casing head condensate

Total number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 & 3	REMARKS
1	2	3	4	5

C.—Natural Gas

Total number of cubicmetres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of Cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 & 3	REMARKS
1	2	3	4	5

I, Shri _____ do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

(Signature)

By ORDER and in the name of the President of India.

The 29th February 1984

ORDER

Subject : Petroleum Exploration Licence for Godavari area (offshore) measuring 733.593 sq. kms. granted to Oil & Natural Gas Commission vide order No. 12012/5/80-Prod. dated 30th June 1980, 1st renewal.

No. 12012/5/80-Prod.—In pursuance of Rule 10 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959 (as amended from time to time), Central Government is pleased to grant 1st renewal for a further period of one year with effect from 30th November 1983 (i.e. for the period from 30th November 1983 to 29th November 1984) of the existing Petroleum Exploration Licence already granted to Oil & Natural Gas Commission under Government's order mentioned above.

By ORDER and in the name of the President of India.

VINAY BANSAL, Director (E)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1984.